Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य विवरण

अङ्क २	द्वितीय विधान सभा के ग्यारहवें सत्र, १९६१ का द्वितीय दिवस	संख्या २

मंगलवार, दिनांक १२ सितम्बर, १९६१

———

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर २ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सामान्य प्रशासन, राजस्व, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, उद्योग, विद्युत, देव-स्थान तथा समाज कल्याण-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भैरोंसिंह।

कार्यालयों का स्थानान्तरण

३१ श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) १ अप्रेल, सन् १९५२ से किस किस वर्ष में किस किस डिवीजनल हैड-क्वार्टर से किस किस विभाग के कौन कौन से कार्यालय हटाये गये और क्यों ?

(ख) ये हटाये गये कार्यालय कहां कहां ले जाये गये और क्यों ?

(ग) क्या कुछ कार्यालयों के विषय में सरकार ने कोई कमेटी नियुक्त की थी ? यदि हां, तो क्या इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और की गई तो किस किस विषय में ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) संलग्न सूची के अनुसार। शासकीय सुविधा के हेतु।

श्री भैरोंसिंह : सूची नहीं मिली है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : सूची नोटिस ऑफिस में रखी गई है, ऐसी सूचना है। अगर लम्बी सूची नहीं हो तो पढ़ दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : काफी लम्बी है। करीब ३४ तो उसके नाम हैं। आप कहें तो पढ़ दूं।

श्री भैरोंसिंह : आप दूसरे पार्ट्स का जवाब दे दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : (क) संलग्न सूची के अनुसार। शासकीय सुविधा के हेतु।

Page No.2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा कैपीटल टाउन इम्प्रूवमेंट कमेटी इसी विषय पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। उस कमेटी की सिफारिश पर भी साथ ही विचार करने के लिए उस विषय को स्थगित कर दिया गया था।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री भैरोंसिंह : 'जी नहीं', आपने किस बात के लिये कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : "यदि हां, तो क्या इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की गई ?"

श्री भैरोंसिंह : इसकी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जवाब आगे दिया है। भारत सरकार द्वारा कैपीटल टाउन इम्प्रूवमेंट कमेटी इसी विषय पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। उस कमेटी की सिफारिश पर भी साथ ही विचार करने के लिए इस विषय को स्थगित कर दिया गया था। इस हेतु इसको implement नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : वह रिपोर्ट कब तक एक्सपेक्टेड है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह रिपोर्ट आ गई है।

श्री भैरोंसिंह : वह रिपोर्ट तो काफी समय हुआ आपके पास आ गई, मगर उस पर एक्शन क्या लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ तो कर लिया है और बाकी के, लिये प्रशासनिक असुविधाओं के कारण अमल करना उचित नहीं समझा गया।

श्री भैरोंसिंह : कौन कौन से हैं जिनको प्रशासनिक असुविधाओं के कारण हटाना उचित नहीं समझा गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूची में दिया हुआ है। मैं, आपको, कहें तो पढ़ कर बता सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : जिनको आपने हटाना उचित नहीं समझा, वे कौन से हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूची में दर्ज है। इनके अलावा और को उचित नहीं समझा।

श्री भैरोंसिंह : वे कौन से विभाग है जिनको प्रशासनिक सुविधा के कारण हटाना उचित नहीं समझा गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राजस्व मंडल, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिये फैसला कर लिया। सूची में दिये हुए दूसरे विभागों को भी जब सुविधा हो जावेगी हटा दिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : सूची में कितने दिये हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप खुद जोड़-बाकी करके निकाल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप ही बता दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जोड़-बाकी नहीं की जा सकती है । वह सूची लम्बी नहीं है । दो-तीन डिपार्टमेंट को छोड़ कर आप निकाल लें । कमेटी की रिपोर्ट में २१ डिपार्टमेंट हैं, उसमें से ३ डिपार्टमेंट निकाल लें जो नहीं थे । कैपिटल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में भी तीन हैं । इसको आप मुलाहिजा कर लें ।

श्री भैरोंसिंह : आपने इसमें से कितनों को स्थानान्तरित कर दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूची में है ।

श्री भैरोंसिंह : आप इसकी संख्या बता दें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ये प्रशासनिक असुविधाएं आपको कब कब हुईं ? किसी डिपार्टमेंट को सन् ५४ में हटाया गया, किसी को सन् ५३ में हटाया; क्या यह आपकी इच्छा पर होता है या इस पर विचार करके निर्णय लिया जाता है ? समय समय पर क्यों परिवर्तन किया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह किसी की मर्जी पर या इच्छा पर नहीं होता, वह तो सारी परिस्थितियों को देख कर किया जाता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : एक बार देखा जाता है । बार बार क्या देखा जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कहना चाहता हूँ कि प्लान को ज्यों ज्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है उस समय जिसको कैपिटल में लाने की जरूरत होती है उसको लाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जो आपने दो-तीन डिपार्टमेंट का स्थानान्तरण करने के बारे में बताया उनको उसमें से निकाल लें, बाकी के कितने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप ही देख लें ।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास सूची आ गई है । १३ कौन से हैं वे बता दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जोड़ लगा लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : कौन से स्थानान्तरित किये हैं, वे सूची में नहीं हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल दर्ज है ।

श्री भैरोंसिंह : सूची में लिस्ट ऑफ ऑफिसेज शिफ्टेड ही हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें नेम ऑफ डिपार्टमेंट, शिफ्टेड फ्रोम-टू है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछता हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ट्रान्सफर करने थे और नहीं किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : १. इन्सपेक्टर जनरल ऑफ प्रोजन्स को अलवर ।

२. डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल,	भरतपुर
३. डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन	बीकानेर
४. पब्लिक सर्विस कमीशन	बीकानेर

Page No.4

(श्री दामोदरलाल व्यास)

५. सेटिलमेंट कमिश्नर	जोधपुर
६. डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ	जोधपुर
७. लेबर कमिश्नर	कोटा
८. डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़	कोटा
९. रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज	कोटा
१०. डाइरेक्टर ऑफ लैन्ड रेकॉर्ड्स	टोंक
११. कमिश्नर ट्रान्सपोर्ट	टोंक
१२. कमिश्नर देव-स्थान	जोधपुर
१३. डाइरेक्टर बेकवर्ड क्लास वेल्फेयर	उदयपुर

श्री भैरोंसिंह : जिन डिपार्टमेंटों को ट्रान्सफर करना था उनको ट्रान्सफर क्यों नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको यहां रखना ज्यादा अच्छा समझा गया।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपने अभी जो नाम बताये उनमें ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनको प्रेक्टीकल काम करना पड़ता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप डाइरेक्टर एग्रीकल्चर की बात करते हैं, लेकिन इस डिपार्टमेंट को प्लान में रखना आवश्यक है क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ती है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या उनको फील्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है और जब फील्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है तो उनको वहां रहना चाहिए या यहाँ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दोनों जगह।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में कमेटी के सामने जिन लोगों को प्रशासनिक कठिनाई आने वाली थी उसको समझते हुए कोई रिप्रेजेन्टेशन किया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मुझे मालूम नहीं कि कमेटी के पास में किसी ने रिप्रेजेन्टेशन किया हो। रिप्रेजेन्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह एक कैपिटल की आवश्यकता को देखते हुए किया था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने प्लान पीरियड में कुछ डिपार्टमेंट को भेजना उचित नहीं समझा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकारी रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ का इन्टव्यू हुआ उसका हवाला और नाम दिये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन्होंने यह समिति को बताया कि इस प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयां आ सकती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में मिनिस्टर अपनी लेवल पर फैसला कर सकते हैं। ऐसा फैसला करने का अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह : क्या वे अधिकारी वहां पर बिना मिनिस्टरों की सलाह लिये गये थे ?

Page No.5

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि गये हों।

श्री श्रीभानसिंह : क्या गवर्नमेंट यह विचार कर रही है कि टेक्निकल साइड और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को अलग करके एक को जयपुर में रख दिया जावे और दूसरे को दूसरी जगह।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं हो सकता।

श्री श्रीभानसिंह : क्या मेडिकल एन्ड हैल्थ डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में सेन्टर के मिनिस्टर ने यह कहा है कि टेकनिकल साइड को अलग किया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव को अलग ? क्या इस पर हमारी सरकार भी कुछ सोच रही है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने मुझे इसकी सूचना दी है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। रावराजा श्री सरदारसिंह।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि जब कोई इन्क्वायरी कमेटी बैठाई जाती है तो उसकी रिपोर्ट आने पर सदन की मेज पर उस कमेटी की रिपोर्ट को ले(lay)करें। जो केपिटल इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की थी उसकी रिपोर्ट को भी सदन की मेज पर रखने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह कमेटी सन् १९५१ में एपोइन्ट हुई थी। उस समय विधान सभा नहीं थी। आप प्रोसीजर एडॉप्ट करना चाहते हैं।........

श्री भैरोंसिंह : हाउस उस पर विचार करे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन इस प्रकार लोक सभा में भी जो कमेटी रिपोर्ट पेश करती है उसको सदन के सामने रखते हैं, जब वह सरकार के सामने आती है। बद-किस्मती से यह हमारे राजस्थान में नहीं रखी जाती है। समझ में नहीं आता कि सरकार इससे क्यों गुरेज करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको बताया कि यह कमेटी सन् १९५१ में मुकर्रर हुई थी, उस समय विधान सभा नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन उसने विधान सभा चालू होने के बाद रिपोर्ट पेश की थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री प्रभुलाल पुरोहित।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

टोंक जिले में लगान की वसूली

३२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जिला टोंक में तहसील उनियारा व देवली में बिना पर्चा जमीनों पर काश्त करने वाले किसानों से, बावजूद आदेश राजस्व विभाग, पर्चे न दिये जाकर छः छः गुना लगान वसूल हो रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम बनेड़ा

Page No.6

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तथा झोपड़ियान मीनगान के काश्तकारान से छः छः गुना लगान वसूल हो रहा है ?

(ग) क्या उपरोक्त देहातों के जमींदारान के प्रार्थना पत्र अधिकारियों के विचारार्थ पड़े हुए हैं ? अगर हां, तो कब से ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सिर्फ ऐसे लोगों से वसूल हो रहा है जो राजस्व विभाग की ९ मार्च, सन् १९६० की आज्ञा के अन्तर्गत खातेदारी पाने के हकदार नहीं ।

(ख) सिर्फ ऐसे लोगों से जिनका जिक्र प्रश्न के 'क' भाग में किया है ।

(ग) सिर्फ उन लोगों के प्रार्थना-पत्र विचारार्थ हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मई में माननीय मंत्रीजी का दौरा हुआ था तो उन लोगों ने प्रार्थना की थी कि सन् '५५ से पहले के काश्तकार काश्त करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे छः गुना लगान क्यों वसूल हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दौरे पर गया था तो किसानों ने शिकायत जरूर की थी कि उस वक्त के जागीरदारों ने जमीन अलॉट कर दी थी, लेकिन बाकायदा पट्टे नहीं दिये थे और जो सेटलमेंट से रेट्स कायम थी उनसे दो या पौने दो गुना अधिक कायम करके वसूल किया । मैंने मौके तहसीलदार को जांच करने के लिये आदेश दे दिये थे । जांच इसकी अलग से हो रही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उस वक्त के जागीरदारों ने वसूल किया था, लेकिन इस वक्त के जागीरदारों ने यह क्यों नहीं किया कि छः गुना लगान उनसे वसूल न किया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : तामील हो रही है ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : जागीरदारों ने यदि पट्टे नहीं दिए तो फिर छः गुना लगान वसूल करना क्या गवर्नमेंट जस्टिफाइड मानती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जस्टीफाइड मानने का सवाल नहीं है । मैंने शिकायत के बारे में बताया था कि शिकायत यह हुई थी कि उनको पट्टे नहीं दिये गये और सेटलमेन्ट से करीब १।। गुना अधिक लगान वसूल हो रहा है । मैंने तहसीलदार को आज्ञा दी थी कि जांच करे कि उनको जमीन अलॉट हो चुकी थी और ठिकाने में लगान करते आये थे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अन्दाज लगाएँ कि छः गुना और १५ गुना से क्यों लेते हैं, क्यों नहीं जल्दी ही इसको तय कर देते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : 'अतिक्रमण' का मतलब ही ट्रेस्पासर से है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : छः गुना लेकर भी उनको पर्चे क्यों नहीं दिये आपको दे देने चाहिये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मार्च १९६० में हिदायत हुई उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है । रहा सवाल जागीरदारों ने अलॉट कर दी थी, तो वह मान्य होगी ।

Page No.7

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मार्च सन् ६० से आदेश निकल गये, फिर भी कम क्यों नहीं होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह किसने कहा कि नहीं होती है। उस हिदायत के अनुसार काम हो रहा है। उस प्रोसीजर में इतना टाइम लगता है, यह आपको मालूम होना चाहिये।

प्रश्न संख्या ३३

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

अध्यापकों की पदोन्नति

३४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के इन्स्पेक्टोरेट्स (Inspectorates) में अध्यापकों को सीनियर ग्रेड-वाइज कोई सीनियोरिटी लिस्ट नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो यह कब कब प्रकाशित हुई है ?

(ख) सरकार ने अध्यापकों के प्रमोशन के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था (Criteria) बना रखी है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द-बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिए अगले हफ्ता इसका जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : फरवरी में प्रश्न आया था। लिस्ट थोड़ी ही मांगी है। क्या क्राइटेरिया है, यह मांगा है। नेक्स्ट टाइम जल्दी दे दें।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

भूमि आवंटन

३५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( ) क्या यह सही है कि तहसीलदार उनियारा ने भूमि आवंटन हेतु ता० ३० जुन, ६१ को ग्राम देवली में मीटिंग रखी थी ? अगर हां, तो क्या वह मीटिंग हुई थी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या उपरोक्त मीटिंग की तारीख की सूचना तहसीलदार ने परामर्श कमेटी को दे दी थी ? अगर हां, तो किस तारीख को ?

(३) क्या यह सही है कि तहसीलदार उनियारा पड़त भूमि भूमिहीनों को अलॉट नहीं करके जो जमीन काश्तकार हमेशा से सिवाय चक काश्त कर रहे हैं उन्हीं को अलॉट कर रहे हैं ?

(४) १६ जून, १९६१ से अब तक तहसीलदार उनियारा द्वारा कितनी कितनी भूमि, किस किसको अलॉट की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां। लेकिन प्रार्थना पत्र रकबे के लिए प्राप्त हुए वह जंगलात विभाग के अधिकार में था इसलिए मीटिंग नहीं हुई।

(२) जी हां, दिनांक २३-६-६१ को।

Page No.8

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) जी नहीं ।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि २३ को इत्तिला दे दी । इत्तिला नहीं दी थी और तहसीलदार २९ को मौके पर मौजूद था और जबानी कहा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जानकारी दे रहे हैं, मैं जरूर जांच करवाऊंगा ।

प्रश्न संख्या ३६

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

सड़क निर्माण की योजना

३७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि टोडा से वाया नासिरदा, थावला, मालेरा तक सड़क की तजवीज थी ? अगर हां, तो कब से ?

(ख) क्या यह भी सही है कि बनास नदी के भराव की वजह से व उपरोक्त ग्राम डूब में आने से उपरोक्त स्कीम बन्द कर दी गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां । टोडा रायसिंह से नेगड़िया वाया भासू नासिरदा थांवला सड़क की तजवीज़ थी ।

(ख) प्रश्न 'क' के उत्तर में वर्णित ग्राम के बिसलपुर बांध की डूब में आने के भय से यह तजवीज फिलहाल ड्रॉप कर दी गई है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इरिगेशन मिनिस्टर साहब ने जो लिस्ट पहले सप्लाई की थी उसमें नासिरदा नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास: अलाइनमेंट रोड का था उसमें हो सकता है । आप चाहें तो ठीक बता सकता हूँ । बिसलपुर का बांध है । १२ मील सड़क अलाइनमेंट के हिसाब से डूब में आ सकती है । कुल १४ मील सड़क है और उसमें से १२ मील डूब में आता है, इसलिए उस अलाइनमेंट को एबन्डन करना पड़ा । टोडारायसिंह को मिलाने के लिए दूसरी तजवीज है जिसमें टोडारायसिंह होश्यामपुर और थांवला होकर मिलाया जाय । वह विचाराधीन है । उसमें से पांच मील का ठेका देने की कार्यवाही की जा रही है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नासिरदा की ४॥ हजार की पॉपुलेशन है और वह गांव खुद डूब में नहीं आता है । यह सड़क उसको टच करके जायेगी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलाइनमेंट फाइनल नहीं हुआ है । नासिरदा के साथ पूरी हमदर्दी है कि सड़क वहां होकर जानी चाहिये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वाकई हमदर्दी है या कहने को ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी वजह से ज्यादा ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह सड़क माननीय राजस्व मन्त्रीजी की कॉन्स्टिट्युएन्सी की है इसलिए अलाइनमेंट चेन्ज हो रहा है, दूसरों की नहीं होती ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनकी कान्स्टिट्युएन्सी में बिल्कुल नहीं आता है । अभी तो वह कॉन्स्टिट्युएन्सी रावराजा साहब की है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सदा उनकी रहेगी आपकी कृपा रही तो ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

रेवेन्यू बोर्ड के निर्णयों की तामील

३८. श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड में अपीलों से जो मुकदमें वापिस आये उन पर वर्तमान डिप्टी क्लेक्टर, जागीर, जोधपुर ने कोई ध्यान नहीं दिया व कोई तामील नहीं की ? ऐसे कितने केस हैं और उन पर तामील न करने का क्या कारण है ? कितने केस में बोन्ड्स इन्डेन्ट कर दिये गये ? कुल कितने केस रेवेन्यू बोर्ड से वापिस वास्ते तामील आये ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल ...)
जी नहीं । यह सही नहीं है कि रेवेन्यू बोर्ड से अपीलों से जो मुकदमे वापिस आये उन पर वर्तमान डिप्टी कलेक्टर जागीर ने ध्यान न दिया हो और तामील नहीं की हो । रेवेन्यू बोर्ड से कुल ३२ केस आये और उनमें से १३ में बोन्ड्स इन्डेन्ट किये गये और बोन्ड्स भी प्राप्त हो गये ।

श्री अनूपसिंह : पांच रह गये उनका इन्डेन्ट न करने का क्या कारण है ?

श्री दमोदरलाल व्यास : ५००) रु. की आय के ऊपर के २४ मुकदमे आये उनमें १३ के इन्डेन्ट भी आ गये । पांच मुकदमात और फाइनल कर दिये गये मगर मयाद बाकी होने से, बाद गुजरने मयाद इन्डेन्ट भेजे जा सकेंगे । बकाया छः मुकदमात हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है । यानी ४ में वास्ते बहस व १ में वास्ते शहादत स्वयं वकलाय जागीरदारान ने पेशियां ले रखी हैं । एक मुकदमा रेवेन्यू बोर्ड में रेफर किया गया है ।

श्री अनूपसिंह : किस तारीख को रेवेन्यू बोर्ड से आये, इन्डेन्ट करने की कौन सी तारीख है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है । अलग से पूछ सकते हैं । ३२ मुकदमों का पूरा हाल मैंने आपको बता दिया ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह प्रश्न सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय से पूछा गया है तो क्या माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने ही सब ही मन्त्रियों के पॉवर्स को सेन्ट्रलाइज कर लिया है ? यदि यह है तो दूसरी बात है । आपने भी विधान सभा में फरमाया था कि जिन मंत्री महोदयों से सम्बन्धित प्रश्न या बिल हों तो उनको यहां विधान सभा में उस दिन उपस्थित रहना चाहिये । लोक सभा के अध्यक्ष महोदय ने भी सख्त हिदायतें निकाली हैं कि जिन मंत्रियों से बिलों अथवा प्रश्नों से सम्बन्धित उत्तर

Page No.10

(श्री भैरोंसिंह)

देने का दिन हो वे लोक सभा में उपस्थित होकर उत्तर दें और बिलों को पास करायें। लेकिन यहां सदन में यह प्रणाली चल रही है कि राजस्व मन्त्री महोदय ही यहां क्यों इन्ट्रेस्टेड हैं कि वे सब ही मंत्रियों के जबाब देते रहें ? मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहां पर भी इस प्रणाली को, इस प्रेक्टिस को, डिस्करेज किया जाना चाहिये और मंत्रियों को सख्त हिदायत दी जानी चाहिये कि सदन में वे उपस्थित रह कर अपने प्रश्नों का उत्तर दें और बिलों को पास-करायें, अन्यथा यह सदन की एक प्रकार से मानहानि है। चूंकि यदि मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय राजस्व मन्त्री ही दें तो मैं इस प्रोटेस्ट में यह प्रश्न नहीं पूछना चाहूँगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मेरा अर्ज करना यह है कि आम तौर से मिनिस्टर यहां रहते हैं। इसलिये यह कहना कि यहां अनुपस्थित रहकर वे सदन की अप्रतिष्ठा करना चाहते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। हर मन्त्री जिम्मेदार है और सब की सम्मिलित जिम्मेदारी है। अमूमन सब यहां रहने का प्रयत्न करते हैं, पर कभी एड-मिनिस्ट्रेटिव बहुत जरूरी काम आ जावें तो जाना भी पड़ता है। आज निर्माण मन्त्रीजी किसी सरकारी काम की वजह से यहां नहीं आ सके हैं, इसलिये मैं जबाब देने के लिये तैयार हुआ हूँ और जवाब देने का मुझे पूरा अधिकार है। अब अगर मेरे जबाब देने से उनके पल्ले कुछ न पड़े तो यह मुझे अफसोस रहेगा, पर वे यह इत्मिनान रक्खें, यह इत-मिनान मैं दिला सकता हूँ कि उनको पूरा पूरा जबाब मिल सकेगा, वे यह महसूस नहीं कर सकेंगे कि किसी खास मन्त्री की अनु-पस्थिति के कारण उनको ठीक जबाब नहीं मिल रहा है। अब कोई सदन में, इस कारण से नहीं आ सके कि किसी सरकारी काम से बाहर जाना पड़े तो यह उनकी मजबूरी है। उस सूरत में लोक सभा में भी और यहां भी यह परिपाटी है कि दूसरा मन्त्री जबाब दे सकता है, जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी के हिसाब से। मैं उनकी अदम मौजूदगी में यह मौका नहीं दूंगा कि जबाब पूरा नहीं मिला। जो सूचना वे चाहेंगे वह मिलेगी। इसके बाद भी वे अगर प्रश्न करना नहीं चाहें तो उनकी मर्जी है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिये मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस सदन में इस प्रकार का प्रश्न कोई यह पहली बार आया हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न पहले भी कई बार आ चुके हैं और इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी व्यवस्था दी है कि सरकारी काम विधान सभा के काम के बाद में दूसरे नम्बर पर आता है। जब विधान सभा चलती हो तो पहले विधान सभा का काम पूरा करना पड़ता है. फिर सरकारी काम का नंबर आता है। पर यहां तो वही पुराना हाल है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और अगर कहीं प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन भी करना है तो वहां पहले जावेंगे पर यहां आकर अपने सवालों का जबाब नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में यह जाहिर होता है कि उनको सदन की चिन्ता नहीं है, यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इससे सदन की प्रतिष्ठा को हानि होती है। हां, यदि किसी मजबूरी के कारण से या किसी अप्रिय घटना के कारण वे दूर रहते हैं तो इसके बारे में किसी को कोई

(श्री भैरोंसिंह)

आपत्ति नहीं है। पर यहां तो यह जनरल प्रेक्टिस चलती आ रही है कि इस विधान सभा के काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसके बारे में....

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने मजबूरी जाहिर की है। कोई उद्घाटन करने नहीं गये हैं।

श्री रावराजा सरदारसिंह (उनियारा): पर इसकी इत्तिला तो करनी चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नोत्तर के समय में यह निश्चित हो जाता है बहुत दिन पहले कि इस इस तारीख को ये जवाब देंगे। तारीखें भी निश्चित हो जाती हैं। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि वे इस इस तारीख को यहां उपस्थित रहकर अपने अपने विभागों के सवालों का जवाब दें। अब यह सब निश्चित होने के बाद भी वे समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि सदन को प्रतिष्ठा की उनको चिन्ता नहीं।

श्री अध्यक्ष : जो बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं मन्त्री महोदयों के बारे में, वह सवाल और वे बातें पहले भी सदन के सामने आ चुकी हैं और इसमें कोई दो रायें या मतभेद हो नहीं सकता कि जहां तक हो मन्त्री महोदय सदन में उपस्थित रहें और जो भी उनका कार्य सदन के समक्ष हो उसको वे स्वयं यहां बैठकर पूरा करें। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जैसा कि राजस्व मन्त्रीजी ने बताया कि किसी प्रशासनिक कारण से वे न आ सके और इसकी सूचना मुझे मिल चुकी थी कि मन्त्री महोदय आज नहीं आ सकेंगे, हालांकि वे यह नहीं बता सके कि क्या कारण था जिसकी वजह से वह काम यहां के काम से ज्यादा जरूरी हो सकता है। इसलिये मन्त्री महोदयों से मैं पुनः यह निवेदन करूंगा कि जहां तक हो वे सदन की कार्यवाही को प्राथमिकता दें और अन्य प्रशासनिक कामों को बाद में। साधारणतया बहुत कम मौके ऐसे आते हैं जब कि यहां के काम से प्रशासनिक प्रोब्लम अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिये जैसा कि पहले कई बार कहा जा चुका है उसी को पुनः दोहराते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और यथासम्भव स्वयं यहां हाजिर होकर अपने कार्य को निपटावें, तो इसमें सदन की प्रतिष्ठा, जिसमें उनकी, हमारी सब की प्रतिष्ठा शामिल है, बढ़ोत्तरी होगी।

रोड बाउन्डरी की जमीन पर दुकान का निर्माण

३९. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि कस्बा कांवट में एक नागरिक ने रोड बाउन्डरी की जमीन में पुख्ता दुकान बनाई है?

(२) क्या पंचायतों को रोड बाउन्डरी की जमीन पट्टे पर देने के अधिकार हैं?

(३) क्या यह सही है कि इस दुकान को तुड़वाये जाने के आदेश दिनांक २७ अगस्त, १९५८ को पत्र संख्या ८५७१ द्वारा सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर झुंझुनूं को दिये थे?

(४) क्या यह सही है कि इस ऑर्डर के

Page No.12

(श्री भैरोंसिंह)

रोकने के वास्ते श्री शिवपुरी, डिप्टी सेक्रेटरी, निर्माण विभाग ने तार दिया और दुकान नहीं तुड़वाने दी, यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या सरकार यह बतावेगी कि अब इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है अगर यह दुकान रोड बाउन्डरी के अन्तर्गत है तो क्यों नहीं तुडवाई जाती ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) जी हां। डिप्टी सेक्रेटरी ने मन्त्री महोदय के सामने दुकानदार द्वारा अपील पेश होने पर मन्त्री महोदय के हुक्म से यह आदेश जारी किया।

(५) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है कि इसमें आगे क्या कार्यवाही की जावे।

श्री भैरोंसिंह : पहले जो सरकार ने आदेश जारी किया था वह क्या सेक्रेटरी या मन्त्री महोदय के आदेश से दिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसा ?

श्री भैरोंसिंह : २७ अगस्त, ५८ वाला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर का है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट ने सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को लिखा था कि इसको तुड़वा दिया जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यही तो कारण है कि हम कहते हैं कि जिन मिनिस्टर्स को जानकारी हो उन्हें यहां रहना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : जवाब तो मैं दे रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : उसने अपने अख्तियार से ऑर्डर दिया था या गवर्नमेन्ट ने उनको कहा तो उन्होंने अपने हस्ताक्षरों से ऑर्डर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो जानकारी मैं आपसे ले रहा हूँ। उसने ऑर्डर अपने आप दिया था और किसी की कम्प्लेन्ट पर लिखा कि उसको तुड़वा दिया जावे। माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है इस मामले की। इस कन्स्ट्रक्शन के खिलाफ उस दुकानदार का चालान करवाया गया कोर्ट में और कोर्ट ने उसको ट्रेस-पास नहीं मानकर दुकानदार को एक्विट कर दिया। उस दुकान को तुड़वाने का ऑर्डर देने का चूंकि कानून नुक्ते निगाह से उसको अधिकार नहीं था इसलिये उस ऑर्डर को कैंसिल किया गया। अगर पी० डब्ल्यू० डी० को तुड़वाना है तो बाजाब्ता दावा कोर्ट में दायर करना होगा।

श्री भैरोंसिंह : सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने सरकार के आदेश के कारण से ऑर्डर दिया था या अपने अधिकार को काम में लेते हुए दिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अपने

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अधिकार से दिया था।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जावे कि सरकार ने उनको आदेश नहीं दिया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मानने, नहीं मानने का तो आपको अधिकार है। मैं क्या कह सकता हूँ ?

श्री भैरोंसिंह : आप क्या मानते हैं ? या तो आप कह दीजिये कि लॉ डिपार्टमेन्ट का आदेश था और सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने अपने नाम से फार्वर्ड कर दिया और फिर दुबारा सरकार ने ही कह दिया कि उसको अधिकार नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास : That is the subsequent stage when the Law Department examined and when the demolition orders were given and challenged. पर जहां तक पहला ऑर्डर था, उसने अपने अधिकार से ही दिया था जैसा मैंने बताया। उसे कोर्ट में चालान करवाया गया था, but he was acquitted there and he was not treated as a tresspasser because allotment was made by the Panchayat.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जावे कि वह मकान रोड बाउन्डरी पर बना हुआ है तो बना हुआ ही रहेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I cannot say at the moment because the Government is examining whether we have to go to the Civil court for this demolition or not......

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं कि वह सवाल कोर्ट में ले गये और मामला खत्म हो गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have said about the criminal court and not about the civil court. Acquittal is in the Criminal court...

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : जिस पंचायत ने अधिकार के बाहर की भूमि को बेचा है उसके खिलाफ क्या प्रशासनिक कार्यवाही की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह सरकार के विचाराधीन है।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, जयपुर

४०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर में भी क्रय-विक्रय सहकारी समिति है ? अगर हां, तो वह कब कायम हुई ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त समिति को कुछ धन-राशि भी दी गई थी? अगर हां, तो कितनी और कब ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त सहकारी समिति को पत्थर के कोयले का कोटा सरकार से फिक्स्ड है ? अगर हां, तो माहवारी और सालाना सॉफ्ट कोक हार्ड कोक व स्टीम कोल का कितना कितना ?

(४) क्या यह सही है कि इस क्रय-विक्रय समिति के कोयले के स्टॉक की, आमद, वितरण, व्यय वगैरह की सरकार जांच भी करती है ? अगर हां, तो किसके द्वारा ? कृपया सन्

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

१९५८, ५९ व ६० के आय तथा व्यय के आंकड़ों की सूची देने की कृपा करें।

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्रय विक्रय सहकारी समिति के हिसाबात का ऑडिट होता है ? अगर हां, तो सन् ५८, ५९ व ६० के ऑडिट की रिपोर्ट हाउस में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) ; (१) जी हां। यह क्रय-विक्रय समिति ३१ मार्च, १९५५ में स्थापित हुई।

(२) जी हां, राजस्थान सरकार द्वारा १९५६-५७ में २५,०००) रुपया का हिस्सा राशि में योगदान दिया गया।

(३) जी हां, सरकार की ओर से इस समिति को ६०—६१ से ३८० वैगन केवल सोफ्ट कोक का सालाना कोटा फिक्स किया गया है।

(४) इसकी जांच जिलाधीश के निरीक्षक तथा विभागीय ऑडिट निरीक्षकगण समय समय पर करते हैं। आय तथा व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार है :

खरीद	बिक्री
१९५८—५९	१९५८—५९
१,०५,९०९.८२ न.पै.	१,००,२११.५८ न.पै.
१९५९—६०	१९५९—६०
१,३२,२२३.९५ न.पै.	१,३७,५८१.१२ न.पै.

(५) जी हां, प्रतिवर्ष ऑडिट होता है। ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि इस समय प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

जोधपुर जिले में जागीरों का पुनर्ग्रहण

४१. श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) जोधपुर जिले में कुल कितनी ऐसी जागीरें हैं जिनका बन्दोबस्त न होने के कारण १—७—५८ को पुनर्ग्रहण नहीं किया गया ? कितनी ऐसी जागीरों का पुनर्ग्रहण १—७—५८ के बाद किया गया और कितनों के दावे विभाग द्वारा तैयार करवाये गये ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) जोधपुर जिले में धार्मिक सेवाओं के अलावा ऐसी कितनी जागीरें हैं जिनका अभी पुनर्ग्रहण ही बकाया है या चार्ज लेना बाकी है और वह किस कारण से ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जोधपुर जिले में खालसा ग्राम की जागीरें (डोली, माफी, इनाम वगैरह) को छोड़ शेष तमाम जागीरों का पुनर्ग्रहण १—७—५८ को कर लिया गया है। खालसा ग्रामों की जागीर का बन्दोबस्त हो चुका है, जिनके पुनर्ग्रहण की तारीख १—३—६० रही। सम्बन्धित तहसीलों से सूचियां मंगवाई गई हैं जिसकी संख्या मालूम हो सके और सूचियां प्राप्त होने पर दावे भरने की कार्यवाही हो सके।

(२) धार्मिक सेवाओं के अलावा कुल जागीर जो खालसा क्षेत्र में स्थित है उनका पुनर्ग्रहण १—३—६० को कर लिया गया है।

राजस्थान स्टेट होटल की बकाया

४२. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

Page No.15

(श्री भैरोंसिंह)

(१) राजस्थान स्टेट होटल के एक्स-सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्री हाइन्स, में किस किस मद की कितनी कितनी सरकारी रकम बाकी है ? यह रकम क्यों और किस प्रकार, किसकी गलती से इतनी एक्युमुलेट हुई ?

(२) क्या सरकार में भी श्री हाइन्स की कुछ रकम बाकी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(३) श्री हाइन्स में बकाया रकम की वसूली अब किस प्रकार की जायगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) श्री हाइन्स में खान-पान के ५६६४) रु. बाकी हैं। श्री हाइन्स की गलती से ।

(२) जी हां। २५६४.८८न.पै. देने हैं ।

(३) श्री हाइन्स की बकाया रकम की वसूली श्री हाइन्स की मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान (डैथ कम रिटायरमैन्ट ग्रेच्युटी) से वसूल कर ली जावेगी ।

श्री भैरोंसिंह : उनमें कितनी नेट रकम लेनी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ५६६४) में से २५६४.८८ रुपया देना है, यह नम्बर दो का जवाब है । बकाया शेष रकम वसूल करनी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार का उपादान है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : यह उपादान मृत्यु के बाद इम्प्लीमेन्ट होगा या पहले ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको इसका पूरा हिसाब समझाता हूँ। इनका जमो ५,७६.३ रु० है। ये अब रिटायर हो चुके हैं, ग्रेच्युटी जो इनको मिलेगी उसमें से यह रकम काट ली जायगी।

श्री भैरोंसिंह : ग्रेच्युटी की रकम बाकी भी है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : कितना अमाउन्ट है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहरहाल जितना अमाउन्ट उनमें बाकी है उससे ज्यादा ही है।

श्री भैरोंसिंह : वह अमाउन्ट कितना है, यह भी बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कितना अमाउन्ट है, यह जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि जितना उनमें अमाउन्ट है उससे ज्यादा ही है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको बताऊं ग्रेच्युटी नाम का अमाउन्ट उनके नाम से है ही नहीं, पिछली बार इसी प्रकार का सवाल आया था उस वक्त आपने यह कहा था, रकम एकुमुलेट होने के बाद ही बकाया वसूल कर ली जायगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया, जितना रुपया बाकी है सरकार के पास उनकी ग्रेच्युटी मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह : मैं कह रहा हूँ ग्रेच्युटी उनकी है नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह है।

श्री भैरोंसिंह : पिछली बार आपने इसी प्रकार के प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि उनकी तनख्वाह अलाउन्स के रुपये बाकी हैं उसमें से वसूल किया जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : गालिबन उस वक्त वे रिटायर नहीं हुए होंगे।

श्री भैरोंसिंह : तो बतलाइये कि ग्रेच्युटी उनकी कितनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बहरहाल सरकारी रकम वसूली के लिए जितना रुपया चाहिये उतना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नेहरू एवार्ड के अनुसार जागीरदारों का लाभ

४३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में माननीय नेहरूजी के एवार्ड के माफिक पांच हजार से कम आय वाले जागीरदारों को पुनर्वास व भत्ता की मात्रा बढ़ाई गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि कई छोटी आय वाले जागीरदारों के दावे फाइनल हो गये हैं, मगर नेहरू एवार्ड का जो फायदा उनको मिलना चाहिये था वह नहीं दिया गया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि जिला जालोर में नेहरू एवार्ड के माफिक किसी भी छोटे जागीरदार को इसका फायदा नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितने व्यक्तियों को इसका फायदा दिया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। छोटी आय वाले जागीरों के दावे जो अब फाइनल हुए हैं उनके फाइनल एवार्ड पर नेहरू एवार्ड की रकम अंकित हो चुकी है। जिनके पहले दावे जनवरी ६० में तय हो गये उनके रिवाइज्ड फाइनल एवार्ड जारी करने की कार्यवाही हो रही है।

(३) जी नहीं। जो दावे फाइनल हुए हैं उन पर नेहरू एवार्ड की रकम अंकित की जा चुकी है या की जा रही है। मगर नेहरू एवार्ड की रकम का भुगतान धारा ३८ 'ई' के अन्तर्गत जागीर खालसा होने की तारीख से १५ वर्ष से पश्चात् होगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : 'रिवाइज' की कार्यवाही कब से की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मार्च सन् १९६० से एवार्ड के बाद जिनके दावे फाइनल हो गये उनके रिवाइज्ड करने की कार्यवाही चल रही है।

नसीराबाद कस्बे में बिजली

४४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री विद्युत विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नसीराबाद कस्बे को बिजली देने की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?

(२) क्या यह सही है कि पिछले पांच

Page No.17

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

वर्षों में किसी भी नये ग्राहक को कनेक्शन नहीं दिया गया है ?

(३) यदि हाँ, तो सरकार इस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) यहां एक केन्द्रीय सुरक्षा विभाग का बिजलीघर है जिससे कुछ मात्रा में बिजली शहर में दी जाती है, जिनका इन्तजाम कैन्टोनमैन्ट बोर्ड करता है ।

(२) जी नहीं, एक पॉवर कनेक्शन विमेन्स हॉस्पीटल, नसीराबाद को एक्सरे मशीन के लिए सन् १९५८ में दिया गया था।

(३) अगले वर्ष जब अजमेर को चम्बल हाइडल सिस्टम से जोड़ा जायगा उस वक्त फन्ड उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : घरेलू उपयोग के लिए बिजली देने के लिए कितने प्रार्थना पत्र आये और कितनों को कनेक्शन दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विमेन्स हॉस्पीटल, नसीराबाद को सिर्फ कनेक्शन दिया गया । यह सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पॉवर हाउस नहीं है, डिफेन्स मिनिस्ट्री का पॉवर हाउस है, जो मिलिटरी एरिया को बिजली देने के लिये है, उसमें से जितनी सरप्लस होती है उतनी देते हैं, उनके पास सरप्लस बिजली है नहीं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब कैन्टोनमैन्ट बोर्ड व्यवस्था नहीं कर सकता तो क्या वहां के लिये दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया, जब चम्बल के हाइडल सिस्टम से अजमेर को जोड़ा जायगा उस वक्त यह देखा जायगा कि नसीराबाद की आवश्यकता भी इससे पूरी हो सकती है या नहीं ।

गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिन्सिपल की नियुक्ति के आधार

४५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिन्सिपल की नियुक्ति के आधार निश्चित किये हुए हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(ख) क्या यह सत्य है कि ऐसे लोगों को इन्टर क्लॉसेज के ऊपर की कक्षाओं को पढ़ाने का कोई भी अनुभव नहीं था लेकिन उनको सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज का प्रिन्सीपल तथा अपने विषय का अध्यक्ष बना दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया ऐसे व्यक्तियों की सूची, इनको इस पद पर नियुक्त करने के कारण सहित, सदन की मेज पर रखें ।

(ग) क्या यह सही है कि डिग्री कॉलेज के टीचिंग स्टाफ की सीनियोरिटी लिस्ट अभी तक अन्तिम रूप से नहीं बन सकी है तथा वह बार बार रिवाइज होती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) यदि नहीं, तो डिग्री कॉलेज के टीचिंग स्टाफ की सीनियोरिटी लिस्ट सदन की मेज पर रखते हुए कृपया यह बतलावें

Page No.18

(श्री भैरोंसिंह)

कि उसके बनाते समय सरकार द्वारा क्या आधार निश्चित किये गये थे, वह कब बनी थी तथा इसकी पुनरावृत्ति किसके द्वारा कब कब किस किन कारण से की गई ?

(ङ) क्या यह माना जावे कि सरकार द्वारा अब डिग्री कॉलेज में इसी वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पदोन्नतियाँ की जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां । डिग्री कॉलेजों के प्रिन्सिपल की नियुक्तियां राजस्थान विश्व विद्यालय के नियम तथा राजस्थान एजुकेशनल सर्विसेज (कॉलेज शाखा) के अन्तर्गत नियमानुसार की जाती है । मई सन् १९५९ से पहले प्रिन्सिपल की नियुक्ति के लिए तीन साल का डिग्री कक्षाओं का पढ़ाने का अनुभव या पांच साल का इन्टर कक्षाओं के पढ़ाने का अनुभव राजस्थान विश्व विद्यालय द्वारा निर्धारित किया हुआ था । इसके बाद संशोधित नियमों के अनुसार अब १२ साल के अध्यापन अनुभव के साथ साथ ५ साल का डिग्री कक्षाओं के विभागीय अध्यक्ष का पद का अनुभव या तीन साल का पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के पढ़ाने का अनुभव होना आवश्यक है ।

(ख) जी हां, ऐसा केवल एक केस श्री आर० एस० त्रिपाठी, प्रिन्सिपल गवर्नमेंट कॉलेज, सीकर का है किन्तु उनकी नियुक्ति जुलाई सन् १९५८ में वरिष्ठता के आधार पर राजस्थान विश्व विद्यालय के उस समय के लागू नियमों के अनुसार की गई थी जिसके लिये तीन साल के डिग्री कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव निर्धारित था । श्री त्रिपाठी को उक्त नियम के अनुसार पदोन्नत किया गया । उस समय श्री त्रिपाठी को लगभग ५ वर्ष (४ वर्ष ८ माह) का इन्टर कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव था ।

(ग) डिग्री कालेजों के टीचिंग स्टाफ की सीनियोरीटी लिस्ट ९-७-५३ तक अन्तिम रूप से तैयार हो चुकी है । अतः बार बार रिवाइज होने का प्रश्न ही नहीं उठता । ९-७-५३ के बाद की सीनियोरिटी लिस्ट तैयार की जा रही है, क्योंकि अजमेर के टीचिंग स्टाफ की वरिष्टता का भी निश्चय कर व उसमें यथा-स्थान समावेश करना आवश्यक हो गया है ।

(घ) दिनांक ७-४-४९ के एकीकरण के फलस्वरूप प्रोवीजनल सीनियोरिटी राजस्थान राजपत्र दिनांक २६-९-५७ में सीनियोरिटी नियमों के साथ साथ प्रोवीजनल प्रकाशित की गई । इसके पश्चात् प्रार्थना पत्रों के आने पर उन पर विचार किया जाकर सीनियोरिटी के नियमों के साथ साथ ९-११-५८ को फिर प्रोवीजनल सीनियोरिटी प्रकाशित हुई । इस सम्बन्ध में सारे आये हुए प्रार्थनापत्रों पर पूरा विचार करने के बाद राज्य सरकार द्वारा अन्तिम सीनियोरिटी दिनांक १८-११-६० को प्रकाशित की गई ।

(ङ) जी हां, किन्तु पदोन्नति के लिये केवल वरिष्ठता ही एक आधार नहीं है, बल्कि राजस्थान एजुकेशनल सर्विसेज (कालेज शाखा) के नियमों की धारा २३ (२) के अनुसार सिलेक्शन कमेटी द्वारा निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए उच्च पदों के लिये सिलेक्शन कराया जाकर योग्य प्रत्याशियों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

Page No.19

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

१. शोध कार्य व अनुभव के साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता।

२. कुशलता, कार्यक्षमता, बुद्धिमता।

३. संगठन शक्ति।

४. पुरानी सेवाओं का रेकॉर्ड।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने अभी कुछ टेकनिकल बातें बतायीं उनके बिना पदोन्नति नहीं की जायगी, क्यों इन बातों का समावेश रूल्स में किया हुआ है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : Is it a fact that the University has accorded a different treatment to the Government institutions and the private institutions ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : University might have. But we have our own view and according to our own criteria we decide.

श्री जनार्दनराय नागर : No. Is t a fact that the University accords a different treatment in the Government institutions and public institutions ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This is entirely a different question.

जालोर जिले में जागीरों का पुनर्ग्रहण

४६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि जालोर जिले में जागीरों को खालसा करने के लिये जो इन्कम ग्रुप (Income Group) बनाये थे उनमें पसायतेदारों की आमदनी शामिल की जाकर रिज्यूम की गई थी ?

(२) भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत जो जागीरदारों से आमदनी का १।१६ हिस्सा सरकार द्वारा वसूल किया गया है क्या उसमें पसायतेदारों की आमदनी जागीर की आमदनी में शामिल की गई है या पसायतेदारों से १।१६ हिस्सा अलग वसूल किया जाता है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) बहुत से पसायतेदारों की जागीर मुख्य जागीरदारों की जागीर पुनर्ग्रहण के साथ ही पुनर्गृहीत हो गई।

(ख) जिन पसायतेदारों की जागीर का पुनर्ग्रहण मुख्य जागीर के साथ ही साथ हो गया उनसे कोई लैन्ड रेवेन्यु पृथक् रूप से वसूल नहीं किया गया और जिन पसायतेदारों की वार्षिक आय ५०० रुपये से कम थी उनसे भी १।१६ हिस्सा लैन्ड रेवेन्यू वसूल नहीं किया गया।

झुंझुनू-गुढागोडजी-उदयपुर

४७. **श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) झुंझुनू-गुढागोडजी-उदयपुर सड़क का ठेका किसको दिया गया है ?

(ख) क्या उक्त सड़क का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

(श्री अनूपसिंह)

(ग) यदि कार्य आरम्भ नहीं हुआ है तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) इस सड़क का ठेका निम्नलिखित ठेकेदार को दिया हुआ है ।

(१) माइल १ से ४ जोन 'ए' श्री दतुराम ठेकेदार

(२) " ५ से ७ श्री दालचन्द

(३) " ८ से १० सी

११ से १३ डी श्री देवी सहाय
१४ से १७ ई एन्ड कं.

(४) १८ से २१ एफ श्री दालचन्द ठेकेदार

(ख) जी हां, योजनानुसार यह सड़क तृतीय योजना काल में पूर्ण होने की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उटता ।

श्री अनूपसिंह : जिन सहकारी समितियों ने इस प्रकार का ठेका लिया अगर वे निर्धारित समय में पूरा नहीं कर सकतीं तो उनके खिलाफ क्या कदम उठा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको अर्ज किया रोड का जो फेज्ड प्रोग्राम है वह बराबर चल रहा है और तृतीय योजना-काल में पूरा होने को है ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द

पंचायतों के दावे तथा प्रोवीजनल एवार्ड, जिला जालोर

४८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

तहसील सांचोर, जिला जालोर के किस किस गांव के पंचायतों के दावे भर कर प्रोवीजनल एवार्ड जारी कर दिये गये हैं तथा किन किन गांवों के अभी तक नहीं भरे गये हैं और न भरने के क्या कारण है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : तहसील सांचोर, जिला जालोर के तमाम गांवों के पंचायतों के दावे डिप्टी कलेक्टर (जागीर) जालोर के कार्यालय द्वारा भरे जाकर प्रोवीजनल एवार्ड जारी किये जा चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

अनिवार्य पाठशालाओं के अध्यापकों के पे स्केल

४९. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर म्युनिसिपल बोर्ड के अनिवार्य पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतनक्रम (पे स्केल) क्या है ?

(२) सरकार द्वारा निश्चित पे स्केल में वहां के शिक्षकों को कितना रुपया कम कितने वर्षों से मिल रहा है ?

(३) क्या मुख्य मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि उनका पे स्केल सरकारी स्तर पर जल्द ही कर दिया जायेगा व उनका बकाया दिया जायेगा ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(४) सरकार अब उनका बकाया पैसा देने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

उप–मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) बीकानेर म्युनिसिपल बोर्ड के अनिवार्य पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन क्रम निम्न हैं :

(१) प्रधानाध्यापक–५०–२–७०

(२) सहायक अध्यापक–४५–१॥–६०

(३) सहायक अध्यापक–४०–१–५०

(४) सहायक अध्यापक–३५–१–४५

(२) सरकार द्वारा निश्चित वेतनक्रम में वहां के शिक्षकों को जो ५०–२–७० की वेतन क्रम में हैं २० व ४५–१–६० के वेतन क्रम के अध्यापकों को ५ रुपये कम मिल रहे हैं। इन अध्यापकों को १–४–५५ से युनीफाइड पे स्केल्स व १–३–५६ से रेश्नेलाइज्ड पे स्केल्स की वेतन श्रृंखला में फिक्स करने की स्वीकृति दी जा चुकी है और इनका युनीफाइड पे स्केल्स व रेश्नलाइज्ड पे स्केल्स में फिक्सेशन होते ही बकाया का चुकारा कर दिया जायेगा।

(३) राजस्थान सरकार ने अपने आज्ञा-पत्र संख्या एफ ६ (३२) एज्यू० बी। ६१ दिनांक २४–५–६१ के द्वारा १–४–५५ से युनीफाइड पे स्केल्स व १–३–५६ से रेश्नलाइज्ड पे स्केल्स की वेतन श्रृंखला की स्वीकृति दे दी है और अध्यापकों के फिक्सेशन अब करवाकर उनके बकाया का चुकारा करने के लिए म्युनिसिपल बोर्ड को लिख दिया गया है।

(४) प्रेसीडेन्ट, म्युनिसिपल बोर्ड, बीकानेर से कहा गया है कि शीघ्र से शीघ्र अध्यापकों के फिक्सेशन के मामले शिक्षा विभाग से एप्रूव करवा लें और उनके बकाया का चुकारा कर दें और तब ७५ प्रतिशत सहायता की मांग करें। अभी तक वहां के फिक्सेशन के मामले एप्रूव कराने को प्राप्त नहीं हुए हैं। ज्यों ही ऐसे मामले प्राप्त होंगे उन पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रेसीडेन्ट के पास कब से विचाराधीन है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : म्युनिसिपेलिटी जाने, हमको मालूम नहीं। हमने तो फैसला कर दिया और उसकी उनको सूचना कर दी। वह आटोनोमस बॉडी है, उसको ही मालूम है।

श्री मुरलीधर व्यास : म्युनिसिपेलिटी जाने ठीक बात है, लेकिन शिक्षकों के प्रति तो सरकार ही उत्तरदायी है। उसने यह १९५५ से नहीं किया और आपके आदेश के बाद भी विलम्ब करते हैं और यह आदेश भी गये सत्र के समय भी हो चुके थे और उनका पालन अभी तक नहीं हुआ, उसका क्या कारण है ? म्युनिसिपल प्रेसीडेन्ट उसको क्यों नहीं करता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारे शिक्षा विभाग के स्तर पर ऐसी बात नहीं है। म्युनिसिपेलिटी का प्रश्न बिल्कुल अलहदा है। वह अपना फिक्सेशन शिक्षा विभाग से एप्रूव करा ले और उनके बकाया का चुकारा कर दे और तब ७५ प्रतिशत सहायता की मांग करें। बिल्कुल साफ स्थिति है। आप ही कोशिश करके वहां से जल्दी करवा लें।

Page No.22

श्री मुरलीधर व्यास : अच्छा समझ जाइये कि म्युनिसिपल बोर्ड ऐसा नहीं करे तो ऐसी हालत में सरकार शिक्षकों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं करेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह तो म्युनिसिपेलिटी ही निर्णय करेगी हमारे हाथ में कोई इलाज नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सरकारी आदेशों की तामील अगर कोई स्कूल नहीं करे तो जिन स्कूलों को ग्रान्ट-इन-एड मिलती है उनकी ग्रान्ट-इन-एड आप रोक देते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : ग्रान्ट-इन-एड रोकने से तो शिक्षक ही मारे जायेंगे । मैं तो कहता हूँ कि शिक्षकों के प्रति भी तो सरकार का उत्तरदायित्व है । इसके अलावा माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी आश्वासन दिया था और कहा था कि बहुत जल्द उनको मिल जाना चाहिए । मगर नहीं मिला है, इसलिए सरकार को प्रेस करके उनको दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा है कि म्युनिसिपल बोर्ड एक लोकल बॉडी है उसके लिए कौन सा तारीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वह आप ही बतायें ?

श्री मुरलीधर व्यास : वह तरीका यही है कि बोर्ड के चुनाव होते हैं और कई बोर्डों के आप पीरियड बढ़ाते जाते हैं । मैं कहता हूँ कि ऐसा काम यदि वह नहीं करते हैं और आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उनको हटाइये । आपके पास आखिर सब तरह के इलाज हैं ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या सरकार यह कहती है कि जो म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यापक कर्मचारी हैं उनसे यदि बोर्ड बेगार में ही काम लेता है तो सरकार का कन्ट्रोल होने की गुंजाइश नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर नियमों के अन्तर्गत हैं और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई है उसको वह निभायें । उसको नहीं निभाते हैं तो सरकार के पास तो एक्स्ट्रा-आर्डिनेरी पॉवर्स हैं उसको सुपरसीड करने के । तो क्या सरकार इस छोटे से मामले के लिए ऐसा कर सकती है कि उसने इतनी डिले की तो सुपरसीड कर सकते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सरकार शिक्षण संस्थाओं को अपने हाथ में क्यों नहीं वापिस ले लेती है ?

श्री तनसिंह : उसका इलाज हम बतायेंगे तो आप वहां कैसे रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डा० बहादुरसिंह ।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर जो...

डॉ० बहादुरसिंह : प्रश्न संख्या ५० ।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर जो अनिवार्य स्कूल चलते हैं वे गवर्नमेंट के...

श्री दामोदरलाल व्यास: अगला प्रश्न कॉल किया जा चुका है । Another question has been asked, Sir.

धौलपुर के श्री नृसिंहजी व श्री राधाबिहारी जी के मन्दिरों में सामग्री की व्यवस्था

५०. डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) :

(डॉ० बहादुरसिंह)

क्या देवस्थान मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या मन्दिर श्री नृसिंहजी व श्री राधाबिहारीजी, धौलपुर के राजभोग व अन्य आवश्यक पूजा की सामग्री आदि की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा होती है ? यदि हां, तो क्या ठेके निश्चित तिथि पर किये गये ? यदि नहीं, तो अन्तरिम काल में क्या व्यवस्था रही ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त मन्दिरों के पुजारियों ने विभाग को इस प्रकार की शिकायत की है कि मन्दिरों को सप्लाई करने वाला ठेकेदार निश्चित समय पर सामान नहीं देता, जिसके परिणामस्वरूप अव्यवस्था होती है ? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि विभाग द्वारा गार्डन विभाग को फूलादि का पेमेन्ट न करने के कारण मन्दिरों को जाने वाली फूलादि की टोनी बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो पेमेन्ट क्यों नहीं किया गया ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि उक्त मंदिरों की देव मूर्तियों के वस्त्र भी नहीं बदले गये ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि उक्त मंदिरों के भोजनालयादि के बर्तन भी बहुत दिनों से नष्ट-भ्रष्ट हो जाने पर भी परिवर्तित नहीं किये गये ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? यदि बदलवाना चाहते हैं तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(६) क्या उक्त मन्दिरों पर वार्षि उत्सव हमेशा की तरह नियमित होते हैं ? य नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कौन कौन उत्सवों की व्यवस्था है ? उत्सवों पर होने वा व्यय के आंकड़े, गत तीन वर्षों के, सद में प्रस्तुत करें ?

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरला व्यास) : (१) जी हां, ठेके निश्चित तिथि पर किये गये । परन्तु परचूनी सामा के टेन्डर किसी दुकानदार ने भी नियत तिथि पर प्रस्तुत नहीं किये इस कारण कम्पेरेटि रेटस पर बाजार से सामान लेने की व्यवस्थ की गई ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी हां, काफी समय से बर्तन नहं बदले हैं क्योंकि पुजारियों की ओर से को रिपोर्ट इस संबंध में प्रस्तुत नहीं हुई । अब रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिस पर कार्यवाही चाल है । शीघ्र ही बर्तन बदलवा दिये जायेंगे ।

(६) जी नहीं । उत्सवों का खर्चा सरकार द्वारा सन् ५० से ही बन्द किया जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट

५१. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) १ अप्रेल, सन् १६५८ से लेकर

Page No.24

(श्री भैरोंसिंह)

१ जनवरी सन्, १६६१ तक किस किस व्यक्ति अथवा पार्टी या फर्म को किस किस कार्य के लिए कब कब कितने कितने किस प्रकार के सामान का एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट दिया गया ? कृपया इसकी एक तालिका, नाम-पते सहित, सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) ये सर्टिफिकेट्स किस किस अधिकारी द्वारा किन किन शर्तों पर दिये गये ?

(३) क्या इन सर्टिफिकेट्स के दिए जाने से पूर्व रेड-बुक में तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा सर्टिफिकेट्स दिये जाने संबंधी जारी किये गये सर्कुलर के अनुसार कम्पलाएन्स हो गई थी ? कृपया ऐसे सर्कुलर की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(४) क्या सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्था है कि जिससे इसकी जांच कराई जा सके कि इन सर्टिफिकेट्स के द्वारा प्राप्त किये गये माल का वांछित उपयोग किया गया है ?

(५) क्या सरकार ने कभी ऐसी कोई जांच करवाई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचंद धारीवाल): (१) १ अप्रेल, १६५८ से १ जनवरी, १६६१ तक जिन व्यक्तियों अथवा पार्टियों या फर्मों को एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट दिये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । सब एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेटस औद्योगिक कार्यों के लिये दियेगये हैं ।

(२) ये सर्टिफिकेट्स संचालक, उद्योग विभाग द्वारा निम्न शर्तों पर दिये गये :

(१) आयात किया हुआ माल उस ही उद्योग में माल तैयार करने हेतु प्रयोग किया जायेगा जिस उद्योग के लिए वह कच्चा माल दिया गया है ।

(२) आयात किये हुए माल का पूरा पूरा हिसाब रखा जायेगा ।

(३) माल के उपयोग का माहवारी और तिमाही विवरण विभाग को नियत समय पर देते रहेंगे ।

(४) माल के उपयोग का हिसाब विभाग के किसी भी अधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा ।

(३) जी हां, प्रत्येक पीरियड के प्रारंभ में चीफ कन्ट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स तथा एक्सपोर्ट्स के द्वारा पॉलिसी पुस्तक के रूप में (रैड बुक) प्रकाशित की जाती है जिसके अनुसार एसेंशियलिटी सर्टीफिकेट्स दिये जाते हैं ।

(४) जी हां, युटीलाइजेशन सर्टीफिकेट्स जिला उद्योग अधिकारी देते हैं । उच्च अधिकारी भी समय समय पर इसकी जांच करते रहते हैं ।

(५) जिला उद्योग अधिकारी, युटीलाइजेशन सर्टिफिकेटस हर पीरियड का भेजते रहते हैं । शिकायत जाने पर इसकी जांच इन्स्पेक्शन कमेटी द्वारा, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ/१/४२/इन्ड/सप्लाई/६० दिनांक १७-१२-६० द्वारा की गई है, की जाती है ।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने कोई ऐसी मशीनरी इवॉल्व कर रखी है जो इस बात की सरप्राइज चैकिंग करें कि जिस उत्पादन के लिए माल दिया गया है उसका उत्पादन हो रहा है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी व्यवस्था है वह ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि सरप्राइज चेकिंग करने के लिए जो हमारे रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं, वे कर सकते हैं और डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज भी कर सकते हैं और इन्सपेक्शन कमेटी भी कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि जिस तादाद में एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट्स दिये गये हैं और जिस तादाद में इस प्रकार की जांच होना आवश्यक था उस प्रकार की जांच हो रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट्स तो सिर्फ कागज हैं। जब तक इनको माल आकर मिल न जाये तब तक उसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है क्योंकि ये एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट्स की तादाद बहुत दिखती होगी लेकिन इसके अन्दर जो डेवलमेंट विंग है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अधिकारी हैं वे बहुत 'कट' कर देते हैं और एक्चुअली उनको कितना मिलता है वह देखना पड़ता है और उसके अनुसार जो डी० आई० ओज० हैं वे देखते रहते हैं और क्वार्टरली रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद में रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर साल में दो बार चैकिंग करते हैं और उसके बाद में सारा का सारा जो प्रोफॉर्मा बना हुआ है वह लिखकर भेजते हैं। यह सारी व्यवस्था हमने कर रखी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या विभाग द्वारा डी० आई० ओज० को यह सूचना दी जाती है कि अमुक फर्म को इतने सर्टिफिकेट्स दिये गये थे और उसके अगेन्स्ट में इतना माल इम्पोर्ट किया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, जो इन्सपेक्शन करने के लिए जाते हैं और जैसे एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट्स किसी को ग्रान्ट किया है तो उसकी इत्तला डी० आई० ओ० को दी जाती है और रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर को भी दी जाती है कि इतने इतने व्यक्तियों को एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट्स ग्रान्ट किये गये हैं और उसके बाद में एक्चुअली उनको कितना माल मिलता है और कितना माल बनता है उसकी जांच डी० आई० ओ० करता है और अपनी रिपोर्ट रीजनल डिप्टी डाइरेक्टर को भेजता है।

(१२ मध्यान्ह)

श्री भैरोंसिंह : कमेटी के मामले में मेरा सवाल नहीं है। मेरा तो सवाल यह है कि माल जो रियली इम्पोर्ट होता है ऐसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट के अगेन्स्ट में, उसकी सूचना डी. आई. ओज. को दी जाती है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो डाइरेक्टर को देगा, ऐसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट का माल कितना इम्पोर्ट किया है तो एक्चुअली इम्पोर्ट करने के बाद में उसकी सारी इत्तिला डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज को देना पड़ती है; डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज डी. आई. ओ. को।

Page No.26

श्री भैरोंसिंह : वह भेजता है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरा ऐसा ख्याल है कि जरूर भेजता है। उनको बताता है कि इतना इतना माल फलां फलां आदमी को मिला है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह भी सही है कि जैसा कि क्वेश्चन नं० ९ के जवाब में आपने बताया कि डाइरेक्टर एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट देता है, लेकिन सेन्टर में एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट देने के लिये उन्होंने एक कमेटी बना रखी है और उस कमेटी के मार्फत एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट दिये जाते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट जो ग्रान्ट करते हैं उसके बाद में सेन्ट्रल गवर्नमेंट में डेवलपमेंट विंग है और जो कन्ट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स है तो वह फॉरिन-एक्सचेन्ज को देखकर उसके अनुसार एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट देते हैं, क्योंकि एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट दो प्रकार का होता है, एक मशीनरी लाने के लिए और एक रॉव मेटीरियल इम्पोर्ट करने के लिए।

श्री पी. के. चौधरी : मेरा सवाल ऐसा था कि सेन्टर में एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट देने के नियम हैं उसमें कमेटी का प्रोविजन रखा है कि वह कमेटी देती है, जब कि यहां पर डाइरेक्टर, इन्डिविजुअल, को आपने पॉवर्स दे रखे हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There is also a Committ ee.

श्री पी. के. चौधरी : There is no provision of a Committee in your rules.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यहां पर भी एक कमेटी बैठी है जो कि एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट को देखती है कि किसको कितना दिया जाय, कितनी मशीनरी आयेगी, क्या होगा। ये सारी की सारी बातें कमेटी बैठी है वह देखती है। The Director of industries is Chairman of that committee and he recommends that so much essentiality certificate may be granted to a particular person. Then it is again scrutinised by the Central Government where there is another committee and then it goes to the Controller of Imports. So it is scrutinised at different levels.

श्री पी. के. चौधरी : सेन्ट्रल गवर्नमेंट में कमेटी है, उसका प्रावधान रूल्स में है। आपके यहां जो कमेटी है उसका प्रोविजन रूल्स में कुछ नहीं है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रूल्स के अन्दर रेड बुक के अन्दर वह है कि डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज will grant essentiality certificate, but in order to assist the Director of Industries to find out as to how much essentiality certificate is to be granted we have formed a committee consisting of the Joint Director and Deputy Directors.

श्री पी. के. चौधरी : Why not make a provision for committee in your rules also ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल When we frame rules, we will add it.

पाली जिले में नई सड़कों का निर्माण

५२. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) :

(श्री बेनाराम गहलोत)

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

पाली जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौन सी नई सड़कों का सरकार निर्माण करने का विचार रखती है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है, अत: निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कौन कौन सी सड़कें तृतीय योजना में ली जावेंगी। जो सड़कें १६६१–६२ में लेनी हैं वह मंजूरशुदा बजट में दर्शा दी गई हैं।

फोल्डिंग कैमरा की खरीद

५३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, लाडनूं में एक फोल्डिंग कैमरा स्कूल की ट्यूरिंग पार्टी के दिल्ली प्रवासकाल में खरीदा गया था ?

(२) क्या यह सही है कि कैमरे की रसीद नहीं है ? अब वह कैमरा कहां है ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई): (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। जो कैमरा स्कूल द्वारा टेन्डर लेकर खरीदा गया उसकी रसीद मौजूद है। कैमरा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है।

धौलपुर नगर के गार्डन्स पर व्यय

५४. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि धौलपुर नगर में गार्डन्स के हेतु बजट में बचत होकर पूरा रुपया व्यय नहीं होता ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि धौलपुर कोर्ट कम्पाउण्ड के अन्दर जो गार्डन है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग का है ? यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है, तथा उसमें उक्त बचत को व्यय क्यों नहीं किया जाता ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि यह सम्पूर्ण कम्पाउन्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। उदयभान बाग को हर-हाईनेस राजमाता को दे देने तथा कुछ सामान की खरीद–फरोख्त में अधिक समय लगने की वजह से।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(३) सिर्फ अहाता सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार में है।

डॉ० बहादुरसिंह : उस गार्डन के अन्दर का ?

श्री दामोदरलाल व्यास : म्युनिसिपल बोर्ड।

सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल में पढ़ाये जाने वाले विषय और उनके निमित्त अध्यापक

५५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या

(श्री लक्ष्मीचन्द)

शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालोर के सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल में कौन कौन से विषय किस किस कक्षा में पढ़ाये जाते हैं ? कौन अध्यापक किस किस विषय को पढ़ाते हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) वहां किस किस विषय के पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं ? क्या सरकार अध्यापक भेजने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल में कक्षा ६ से ११ वीं तक विषय जो जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

( ) जब तक अध्यापक थे पाठशाला का कार्य सुचारु रूप से चल रहा था किन्तु तीन सीनियर टीचर्स बी. एड. और एम. एड. की ट्रेनिंग में गये हैं उनकी जगह नये अध्यापकों को नियुक्ति-पत्र तथा आदेश भेजे जा चुके हैं, अतः वे भी शीघ्र ही अपना कार्यभार संभाल लेंगे । उसके अलावा एक सहायक अध्यापक एम. ए. तथा एक इन्टर पास उत्तीर्ण अध्यापक हेतु आदेश दिये जा चुके हैं । वैसे शाला का कार्य ठीक चल रहा है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

भरतपुर जिले में विद्युत वितरण की व्यवस्था

५६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर जिले में चालू वर्ष में विद्युत वितरण की क्या व्यवस्था की गई है ? और यह किस आधार पर निश्चित की गई है ?

(२) भरतपुर से विद्युत की जो लाइन डीग ले जाई गई है उसके द्वारा किन किन स्थानों पर इस वर्ष के अन्त तक बिजली मिल सकेगी ।

(३) नगर और नदबई कस्बों को कब तक बिजली पहुंचाने की योजना है ?

(४) क्या जिन जिन स्थानों पर बिजली पहुँचाई जा रही है उसकी एवज में वहां के निवासियों से कोई रकम वसूल की जाने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो इस संबंध की राज्य की क्या नीति है ? क्या यह सत्य है कि कस्बा नदबई को तभी बिजली देने की बात की गई है, जब कि वहां के निवासी एक निश्चित रकम राज्य सरकार को दें ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : भरतपुर जिले के कुछ स्थानों के विद्युतीकरण के लिए भरतपुर से ट्रांसमिशन लाइनें खींचने की व्यवस्था की गई है । विद्युतीकरण के आधार राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में अंकित है । इनके अनुसार जिन कस्बों की ५,००० या उससे अधिक आबादी हैं अथवा जो इससे कम आबादी वाले स्थान भी हैं परन्तु किसी ट्रांसमिशन सिस्टम से अथवा किसी स्टीम या डीजल स्टेशन से सुगमता से बिजली पा सकते हों तो उनका विद्युतीकरण उपयोगिता व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर किये जाने का प्रयास है ।

भरतपुर से जो लाइन डीग ले जाई गई है

Page No.29

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उसी से कुम्हेर कस्बे का भी विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(३) नदबई का लोड सर्वे हो गया है। नगर का सर्वे अभी नहीं हुआ है। नीति स्पष्ट है। उसके अनुसार जहां जहां काम हो सकेगा किया जावेगा। कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

(४) अभी तो किसी से कोई सहयोग प्राप्त नहीं किया गया है, परन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत के लिए बड़े सीमित प्रावधान को देखते हुए यह आवश्यक सा प्रतीत होता है कि जनता का भी इसमें कुछ सहयोग प्राप्त हो। नदबई के कतिपय सज्जन जयपुर आये थे और चाहते थे कि नदबई का विद्युतीकरण जल्दी से जल्दी किया जाय। उनको वस्तुस्थिति से परिचय करा दिया गया। उन्होंने कुछ सहायता का संकेत किया, परन्तु वह काफी नहीं थी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ५,००० से ऊपर देने का आपने प्रावधान रखा है, वह किस आधार पर है और किस तरह से उनका फ्रेमिंग हुआ है: क्या हुआ है, उस सम्बन्ध में क्या है, किनको दिया जाय, किन को नहीं दिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया है सवाल के आन्सर में ? कि इसके अनुसार जिन कस्बों की ५,००० या उससे अधिक आबादी है, अथवा जो इससे कम आबादी वाले स्थान भी हैं परन्तु किसी ट्रांसमेशन सिस्टम से अथवा किसी स्टीम या डीजल स्टेशन से सुगमता से बिजली पा सकते हैं तो उनका विद्युतीकरण उपयोगिता व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर किये जाने का प्रयास है। ये तीनों क्राइटेरिया हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ट्रांसमिशन लाइन, डीजल इंजिन जहां पर लगायेंगे उसका भी आधार कोई होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मैंने अर्ज किया कि ट्रांसमिशन लाइन जैसे कि भरतपुर की है वह मैंने सारी इत्तिला दे दी है और आधार बतला दिए हैं। दूसरा प्वाइन्ट मैंने बतलाया.......

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : भरतपुर से डीग तो है ही। यह जो बिजली जाती है बाकी दूसरी जगह वहां जाने का किस आधार पर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मसलन।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जहां जहां देने का रखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान में बहुत सारी जगह हैं। अमुक स्थान के लिए पूछें तो बता सकता हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने भरतपुर के सम्बन्ध में पूछा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : भरतपुर के लिए सब जगह का पहले ही बता दिया है। वैर का भी बता दिया है, नदबई का बता दिया और किसके लिए पूछना चाहते हैं ?

प्रश्न संख्या ५७

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

परिगणित जातियों तथा परिगणित जन-जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति

५८. श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू—सु०) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १६६०—६१ में समाज कल्याण विभाग, जयपुर में जिला जयपुर के परिगणित जातियों के और परिगणित जन-जातियों के छात्रों के कितने प्रार्थनापत्र छात्रवृत्ति हेतु आये ?

(ख) उक्त प्रार्थनापत्रों में से परिगणित जाति एवं परिगणित जन-जाति के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई और जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई उनका क्या कारण था ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) गत वर्ष, १६६०—६१ में परिगणित जाति के १०६८ छात्रों व परिगणित जन-जाति के ३०५ छात्रों के छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थनापत्र इस विभाग को प्राप्त हुए थे ।

(ख) परिगणित जाति के २०८ छात्रों को व परिगणित जन-जाति के २६१ छात्रों को छात्र वृत्ति स्वीकृत की गई । परिगणित जाति के ८६० छात्रों को धन के अभाव में छात्रवृति स्वीकृत नहीं की गई तथा परिगणित जन जाति के १० छात्रों के प्रार्थनापत्र अपूर्ण थे, अतः उन्हें छात्रवृति नहीं दी जा सकी ।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या यह सही है कि १०६०, करीब ११०० प्रार्थनापत्र थे उनमें से करीब २५०, २७५ को छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कह दिया जवाब में ।

श्री लादूराम सुलाणिया : एक तरफ तो राज्य सरकार चाहती है कि परिगणित जातियों के छात्रों को आगे बढ़ाना चाहती है और दूसरी तरफ छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं; करीब १० पर्सेन्ट को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : धन के अभाव के कारण से नहीं दी जा सकती हैं ।

श्री लादूराम सुलाणिया : धन का अभाव इन्हीं लोगों के लिए पड़ गया है सारे राजस्थान में ?

भरतपुर जिले की कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य तथा मरम्मत

५६. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(क) भरतपुर जिले के हलैना से भरतपुर तक की सड़क की आजकल क्या अवस्था है ? क्या उसके ऊपर वाहनों के चलने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं कराया जाता है, जब कि उसके संबंध में सदैव यह शिकायत की जाती है ?

(२) गत वर्ष से लेकर चालू वर्ष के दौरान में पहाड़ी—सीकरी—नगर सड़क के कार्य में क्या प्रगति हुई है ? आजकल इस सड़क पर किस किस ठेकेदार का काम कहां कहां हो रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या इसकी पूर्ति की कोई अवधि निश्चित की गई थी ? यदि हां, तो वह क्या थी ? क्या इस अवधि के अन्दर ही उसकी पूर्ति हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

Page No.31

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) यह सड़क ठीक है। वाहनों सम्बन्धी कठिनाई की इस विभाग के पास कोई शिकायत नहीं आई है।

(२) कार्य बन्द है और कोई ठेकेदार कार्य नहीं कर रहा है।

(३) जी हां। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २६ मील पूर्ण होने को थी। बाकी १६ मील तृतीय योजना में पूर्ण करने को हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह शिकायत नहीं है, आपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है, मैं समझता हूँ कि सदन के समक्ष कोई भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इसकी शिकायत नहीं की गई हो। हलैना से भरतपुर की, २५ मील की, शिकायत हर सत्र में आती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब जब शिकायत आई है मरम्मत हो जाती है।

(विराम)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने कहा कि शिकायत नहीं की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे लेटेस्ट पोजीशन अर्ज कर रहा हूँ कि कोई शिकायत नहीं हैं।

श्री जुगलकिशोर चर्वेदी : अब भी शिकायत कर रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप शिकायत कर रहे हैं तो फिर जानकारी की जायगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न के दूसरे हिस्से में आपने बताया कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, मैंने बताया था कि दो साल से वह सारा काम बन्द रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि दूसरी योजना में २९ मील पूरी होने को थी, बाकी १६ मील तृतीय योजना में पूरी होने को है। इस वक्त वहां पर ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। सवाल इस ... का है और इस समय वहां काम नहीं कर रहे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने प्रगति पूछी है। ५ मील से ज्यादा कहीं भी सड़क पूरी नहीं हुई है। एक स्ट्रेच में कोई २६ मील सड़क पूरी नहीं हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक है कि ठेकेदारों ने कुछ कारणों से काम करना छोड़ दिया और इस काम को वे करने के लिये कत्तई तैयार नहीं हैं, क्योंकि लेबरर्स वगैरह की दिक्कत है। उनको नोटिस भी कायदे के अनुसार दिये गये हैं, लेकिन उन्होंने इस काम को हाथ में लेने से इन्कार कर दिया। २६ मील तक सड़क है, बाकी काम स्टेन्डस्टिल पड़ा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ठेकेदारों ने कितने अर्से से काम नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने काम करने से इन्कार किया है, उनको नोटिस दिया जा चुका है। नियमानुसार उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। फिजीकली तो उनको कम्पैल नहीं किया जा सकता।

श्री जुजुगलकिशोर चतुर्वेदी ३ साल

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

से काम नहीं हो रहा है । डिपार्टमेंटली इसे पूरा कराने का फैसला हुआ है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब तक ठेकेदारों का फैसला न हो तब तक डिपार्टमेंटली कैसे करा सकते हैं और यह मुमकिन भी नहीं है कि डिपार्टमेंटली इतनी लम्बी सड़क का काम कराया जाय, क्योंकि इसके लिये काफी स्टाफ चाहिये । इतनी लंबी सड़क को ठेके से कराने की ही पॉलिसी है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(१२. १२ म० प०)

सदन के अनुपस्थिति हेतु अनुमति

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) ने ११ सितम्बर से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये प्रार्थना की है । क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई ।

(१२. १३ म० प०)

राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता विधेयक, १९६१

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दि राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रीज बिल, १९६१ (The Rajasthan State Aid to Industies Bill, 1951 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति को विचारार्थ सुपुर्द किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल को माननीय मंत्री महोदय ने सदन में प्रस्तुत किया है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में और उसके साथ जो फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम और डेलिगेटेड लेजिस्लेशन का मेमोरेन्डम शामिल किया है इन तीनों चीजों को देखा जाय तो इस बात की निश्चय ही आवश्यकता महसूस होती है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को दिया जाय । जहां तक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि सरकार ने अब तक ऐसी इन्डस्ट्रीज को लोन दिया है जिनके संबंध में जो व्यवस्था थी उसमें काफी कठिनाइयां आती थीं; रूल्स के अन्दर और एक्ट के अन्दर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काफी अन्तर था और ये कठिनाइयां सरकार ने कई दिनों के बाद अब जाकर महसूस की हैं । लेकिन सरकार को किसने महसूस करवाया, किस प्रकार से सरकार को यह महसूस करना पड़ा और इन सारी कठिनाइयों को रिमूव करने के लिये इस प्रकार का विधेयक सदन में प्रस्तुत करने के लिये मजबूर करना पड़ा, वह सारा आधार ऑल इन्डिया हेन्डीक्राफ्ट बोर्ड की रिपोर्ट पर है । ऑल इन्डिया

(श्री भैरोंसिंह)

हैन्डीक्राफ्ट् बोर्ड ने सभी स्टेट्स के कानून और नियम देखे और उनको देखने के बाद उन्होंने कुछ मॉडल बिल्स सारी स्टेट्स के पास भेजे। यह केवल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स से पता लगता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार कोई भी कानून बनावे, लेकिन कानून बनाने का जो आधार होता है उसके संबंध में केवल स्टेटमेंट में लिख देना ही पर्याप्त नहीं है। सदन के माननीय सदस्य भी अपेक्षा रखते है कि सरकार को किन मजबूरियों के कारण विधेयक सदन के सामने रखना पड़ा, पहले उन मजबूरियों की जानकारी करके उन पर विचार किया जाय और उसके बाद जिस प्रकार की आवश्यकता हो उसके अनुसार नया कानून बनाने की आवश्यकता हो तो नया बनाया जाय या वर्तमान कानून या नियम हैं उनमें परिवर्तन या परिवर्धन करने की आवश्यकता हो तो उसको पूरा किया जाय। लेकिन बदकिस्मती यह है कि तीन दिन का नोटिस देकर यह बिल सदन को विचार करने के लिये दे दिया। इस सिलसिले में सरकार के पास जितना रेकॉर्ड आया, ऑल इन्डिया हैन्डीक्राफ्ट बोर्ड की रिपोर्ट आई और एक एक मोडल बिल सरकार के पास आया, वह किसी भी माननीय सदस्य को सक्यूलेट नहीं किया गया जिससे यह कहा जा सके कि उक्त रिपोर्ट और सुझाव के अनुसार सरकार ने यह बिल प्रस्तावित किया है। मैं समझता हूँ, यह उचित नहीं होगा। सरकार को चाहिये कि वह रिपोर्ट और उसके साथ मोडल बिल, सभी माननीय सदस्यों को वितरित करे ताकि सभी के द्वारा इसे देख लिया जाय। इसके आगे डेलिगेटेड लेजिस्लेशन का मेमोरेन्डम है उसमें लिखा है :

" Clause 8 of the Bill empowers the Sate Government to make rules to carry out the purposes of the Act. The rules will mostly deal with procedural matters and the prescribing of fees."

क्लॉज ८ में लिखा है :

" 8. Power to make rules- (1) The State Government may from time to time make rules consistent with this Act, for the purposes of carrying out generally the provisions there of and regulating any particular matter thereunder which require to be prescribed or in respect of which rules are required to be or may be made."

मैं माननीय मन्त्री महोदय और सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों में इस राजस्थान विधान सभा द्वारा नियुक्त सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने एक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट में एक्ट और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम और नियमों के विस्तार, इन सारे मुद्दों पर विचार करने के बाद उन्होंने सरकार के सामने सुझाव प्रस्तुत किये थे। वे सुझाव केवल सरकार के लिये ही थे, ऐसा मानकर नहीं चला जाता। लेकिन विधान सभा कानून बनाती है, उसने निवेदन किया था कि सरकार को किसी कानून को केरी—आउट करने के लिये रूल्स बनाने का अधिकार नहीं दिया जाय। आप उस रिपोर्ट का मुलाहिजा कर लें, उसमें कहा है कि कानून बनाने के लिये जब तक सरकार स्पेशल प्रोविजन्स नहीं बनाती उस समय तक नियम बनाने का अधिकार नहीं दिया जाय। लेकिन इसमें स्पष्ट

(श्री भैरोंसिंह)

तौर से कहा है कि सरकार द्वारा बिल के प्रोविजन्स को लागू करने के लिये नियम बनाये जायं, मैं अर्ज करूंगा कि बाकी प्रोविजन्स नहीं रखते और बिल का नाम देते और क्लॉज ८ जोड़ देते तो सरकार जो कार्यवाही करना चाहती है इसको इम्प्लमेन्ट करने के लिये सरकार को रूल्स बनाने का अधिकार दिया और बाकी क्लॉज माइनस करते तो मन्त्रीजी की मंशा, जिसका मैं आगे चल कर जिक्र करूंगा, पूरी हो जाती और उनका मतलब पूरा हो जाता।

अध्यक्ष महोदय, सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्ट का किसी ने विरोध नहीं किया है, सब ने स्वीकार किया है, लेकिन बदकिस्मती से जिस चीज को सदन स्वीकार करता है, कमेटी जिसको उचित समझती है और सरकार के प्रतिनिधि जिसको कमेटी के सामने उचित समझते हैं, उसको, सरकार द्वारा कार्यान्वित करने का समय आता है तो सरकार उससे गुरेज करती है। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, जब आप कहते हैं कि हमें कानून बनाना है, इन्डस्ट्रीज को लोन देना है, इन्डस्ट्रीज को सब्सिडी देनी है; इन्डस्ट्रीज को कई प्रकार की एड प्रोवाइड करनी है, कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। आप उस आवश्यकता को एन्युमरेट करिये, उस आवश्यकता को बताइये और उसके बारे में एक्ट में जो प्रोविजन हो सकते हैं वे रखवाइये। हमें चिन्ता नहीं कि आज जो एक्ट हो चार पेज का है, वह कल पेज ६ का हो जायगा और ६ पेज का एक्ट हो जायगा तो दो पेज का ज्यादा खर्चा हो जायगा, प्रिन्टिंग का ज्यादा खर्चा हो जायगा और सरकार दिवालियापन की स्थिति में आ जायगी। मैं उस खर्च की चिन्ता नहीं करता हूँ, मैं चिन्ता करता हूँ कि सरकार को जो सलाह दी जाती है उसके अनुसार काम क्यों नहीं करती है? इसका जो फाइनेन्शियल मेमोरन्डम है, उसको देखें तो मालूम पड़ेगा कि यह इस बात की ओर संकेत करता है कि इसके पीछे राजनैतिक चाल है। इसमें लिखा है :

"Clause 5 of the Bill provides for the giving of aid to the industries in different ways as enumerated therin. One of such ways in the payment of a subsidy which may involve expenditure frcm the Consolidated Fund of the State. Some of other modes may also involve such expenditure" आगे लिखा है : "It is. however, not possible at present to gauge the actual amount (recurring or non-recurring) which may be required to be paid in giving such aid out of the Consolidated Fund."

मैं ऐसा समझता हूँ कि इस समय जो महीना चल रहा है, उसके बाद इस वर्ष के केवल पांच महीने बाकी रहते हैं। जो बाकी के चार वर्ष और सात महीने निकल गये, उनके मुकाबले में पांच महीने इम्पोर्टेन्ट हैं। हम एक साल का बजट बना सकते हैं, एक साल में इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट में कितना खर्चा करना है इसकी तादाद निश्चित कर सकते हैं, कितने लोन्स हम देंगे उसके लिए धनराशि निर्धारित कर सकते हैं, कितनी सब्सिडी देंगे, उसके लिए रकम निश्चित कर सकते हैं, लेकिन इन पांच महीनों में कितना रुपया खर्च के लिए चाहिए, उसके लिए सरकार विचार नहीं कर सकती है और इस पर

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार इसलिए विचार नहीं करना चाहती है कि अगर कोई सीमा निश्चित कर दी जाय, अगर धनराशि मर्यादित कर दी जाय, तो सरकार के सामने डिफिकल्टी आ सकती है; ऐसी डिफिकल्टी आ सकती है कि ज्यादा लोग एप्लीकेशन्स दे दें, या नहीं दें तो भी एप्लीकेशन्स इतनी तादाद में आ जायं कि अगर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर डिस्ट्रीब्युशन किया जाय तो भी सरकार सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती और सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती तो जो लोग सरकार से सेटिस्फेक्शन लेकर उसका रिटर्न देने का इन्तजार कर रहे हैं-माल का प्रोडक्शन और उत्पादन का रिटर्न नहीं पोलिटिकल आधार पर जो लोन लेकर सहायता करने के लिए बैठे हैं, उनको मिल नहीं सकता। अगर कोई सीमा हो तो जिनको लोन देना है, उनको मिल नहीं सकता। इसलिए सरकार ने कह दिया कि कन्सोलिडेटेड फन्ड में से कितना खर्चा होगा, वह नहीं बता सकते।

मैं पूछता हूँ कि सात महीने तक जो खर्चा किया है, उसके मन्थली स्टेटमेंट आते होंगे, डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होता है, उसकी इन्फोर्मेशन आपके पास आती होगी, फिर आप क्यों नहीं बता सकते कि सात महीने में इतना खर्चा हुआ है तो पांच महीने में इतना खर्चा होगा और इसे कन्सोलिडेटेड फन्ड में से खर्च करने वाले हैं, जिसके लिए गवर्नर महोदय की स्वीकृति प्रदान करा ली है ? आप अपने हाथ में सारे स्टेट के कन्सोलिडेटेड फन्ड को रखना चाहते हैं ताकि इन्डस्ट्री के नाम पर, कन्सोलिडेटेड फन्ड में से खर्च किया जाय और राजनैतिक लाभ उठाया जाय। वे लाभ उठाने वाले कौन हैं, अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू से लेकर आज तक देखा है और मैं ऐसा समझता हूँ कि राजस्थान में १९५१ से शुरू प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से देखते आये हैं, १९५१ से कॉटेज इन्डस्ट्रीज, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और इन्डस्ट्रीज को इस प्रकार की सहायता देने के बारे में राजस्थान में योजनायें बनती आ रही हैं और उन योजनाओं के नाम पर धनराशि को वितरित किया गया है। १९५६ से शुरू हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, राजस्थान में इन्डस्ट्रियल अपलिफ्टमेंट करने के लिए योजनायें बनाई गई और रुपया तकसीम किया गया। राजस्थान में इन्डस्ट्रीज एस्टेब्लिश हों, इसके लिए कानून बनाये हैं। आज हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंच वर्षीय योजना के खत्म होने के बाद और तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के पहिले महसूस किया है, सरकार को कानून में कठिनाई महसूस हुई है, जिनके कारण इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। यह कठिनाई आपने प्रथम पंच वर्षीय योजना और दूसरी पंच वर्षीय योजना में महसूस नहीं की, तीसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने पर, जब कि हमारे इलेक्शन आने वाले हैं, तब आप यह कठिनाई महसूस कर रहे हैं। यह इस बात का संकेत करता है कि आपको, राजस्थान की सरकार को, राजस्थान में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में चिन्ता नहीं है, १९६२ में होने वाले इलेक्शन के बारे में चिन्ता है। १९६२ के इलेक्शन के बारे में चिन्ता इसलिए है, मैं निवेदन करना चाहूँ, कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट पांच महीने में खत्म नहीं हो सकता। जब आपने दस वर्ष तक इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए

पैसा लगाया, तब ही नहीं हुआ। अब आप पांच महीने में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर लाखों रुपया दें और वह लाखों रुपया कांग्रेज के प्रचार के लिए, कांग्रेस के एजेन्टों को इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर दिया जाय और उस पर विधान सभा की स्वीकृति ली जाय, तो मैं समझता हूँ कि कानून का नाम यह नहीं रखा जायगा जो सरकार ने रखा है:

'This Acc may be called the Rajasthan State Aid to Industries Act.' "Aid to Industries Act" के बजाय आप लिखिये. "Aid to Congress

Organisasion Act" यह नाम रखेंगे तो जो मन्शा है उसके अनुसार आपके कानून की भाषा बोलने लगेगी। लेकिन कानून में कुछ है, आपके दिमाग में कुछ है। आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को कुछ और कहते हैं, भारत सरकार को कुछ और कहना चाहते हैं। ऑल इंडिया हैंडी क्राफ्ट बोर्ड से एड लेकर उसके अन्दर धोखा करने की, गबन करने की कोशिश करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम इन सारी बातों को सरकार गहराई के साथ देखें।

एक प्रश्न के उत्तर में मुझे यह बताया गया कि एक हरिजन छात्र को छात्रवृत्ति दी गई; उसके कारण हमारे सामने धनाभाव हुआ है। मैं समझता हूँ कि उनको यह मालूम नहीं है कि एस्टीमेंट कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर यह कहा गया है कि हरिजन छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति की राशि बची रह गई। ऐसी कई मिसालें होंगी जिनमें सरकार हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे पाई है। उसी तरह की समस्या इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के अन्दर भी आयेगी। अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज के लिए क्या सहायता दी जायगी, यह इस प्रकार का प्रश्न है जिसके ऊपर सदन को गहराई के साथ विचार करना पड़ेगा। विरोधी दल के सदस्य भी इस पर गहराई के साथ विचार करेंगे, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस दल के, उधर बैठने वाले सदस्यों को भी गहराई के साथ विचार करना चाहिए क्योंकि सेबोटेज एक्टीविटीज जो कि १९५७ में हुई थीं, उनका संचालन करने के लिए उनका दुरुपयोग होगा। इसलिए आपको शांति के साथ, गहराई से विचार करना चाहिये ...

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): क्लॉज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: क्लॉज नहीं है, कन्वेन्शन है। इसमें जो मेथड् ऑफ गिविंग एड (aid) है, उसमें लिखा है

(a) by grant of loan,
(b).........

(c) by paying a subsidy for the conduct of research, for the purchase of implements, tools, machinery of for any other specific purpose".

Now that purpose has not been specifically defined in the Act. It is to be prescribed by the Government according to rules. अब हमारी सरकार जैसा चाहेगी, जिस तरह की व्यवस्था करनी है, वह कर लेगी। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि जो सब्सिडी दी जाती है, आपने अब तक जो सब्सिडी दी है, उसका क्या अनुभव आपको रहा है? अगर आप इस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार का अनुभव चासते हों कि आपने जो सब्सिडी दी है, जो रुपया एडवान्स दिया है, उसके इम्प्लीमेंट खरीदे, या टूल्स खरीदे, मशीनरी इवॉल्व की हो या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई काम किये हों, तो मैं समझता हूँ कि आपको अनुभव इस प्रकार का हुआ होगा कि वे इस प्रकार के काम नहीं करते हैं। अपने अनुभव के लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदन में इस संबंध में काफी चर्चा हुई है।

खादी के मसले को लेकर काफी चर्चा हुई है। खादी और बाकी की बेसिक इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपये की सब्सिडी दी जाती है और उस लाखों रुपये की सब्सिडी के अन्दर से क्या काम हो पाता है ? मैं माननीय मंत्री महोदय को कह सकता हूँ और अगर वे नाम जानना चाहें और संस्थाओं के नाम, व्यक्तियों के नाम जानना चाहें तो मेरे पास कम्प्लीट लिस्ट है, जिसमें से मैंने पहले नाम पढ़ कर सुनाये थे और आज भी बताने को तैयार हूँ, जिन्होंने लाखों रुपयों का दुरुपयोग किया है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कांग्रेस का फीडिंग आर्गेनाइजेशन है, जो रचनात्मक संस्था के नाम से काम करते हैं और आपके कन्सोलिडेटेट फंड में से रुपया लेकर काम करते हैं, उस पैसे से कांग्रेस का प्रचार करते है। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यकर्त्ता के नाम से इन संस्थाओं में शामिल होंगे जिन्हें इन्डस्ट्रीज के लिए पैसा दिया जायगा। खादी का एक प्रश्न उठाया था, जिसके बारे में सरकार मौन धारण कर गई और मौन धारण करके बैठ गई, केवल इसलिए कि हमारे वित्त मंत्री जी उसमें इन्वॉल्व्ड थे, एक रचनात्मक कार्यकर्त्ता इन्वाल्व थे। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का क्राइटेरिया सरकार का नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार अब तक करती आई है और इसकी रेस्पोन्सिबिलिटी हमारे उन मंत्री महोदय के ऊपर है, जिनके पास खादी के लाइसेन्स देने का काम है।

मैंने पिछले सत्र में एक प्रश्न पूछा था। एक जानकारी मिली थी उसके आधार पर मैंने सरकार से पूछा था कि किन किन इन्डस्ट्रीज को सब्सिडी दी है, कितना कितना एमाउन्ट सरकार ने सब्सिडी के रूप में दिया है। उसके उत्तर में सरकार ने ५२ फर्म्स की लिस्ट दी थी। ५२ फर्म्स की उस लिस्ट में ३ लाख ८७ हजार रुपया सब्सिडी के रूप में ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों को दिया था। इस प्रकार का संकेत प्रश्न में किया था। इस संबंध में मैं निवेदन करूंगा कि मैं इस सम्बन्ध में जितने डिस्ट्रिक्ट्स में घूमा हूँ....

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मंत्री) : मैं जानना चाहूँगा कि सब्सिडी किस बात की है ?

श्री अध्यक्ष : लिस्ट कहां से आई है ?

श्री भैरोंसिंह : इन्डस्ट्रियल बोर्ड द्वारा डिस्बर्समेंट ऑफ लोन एन्ड सब्सिडी।

श्री अध्यक्ष : यह लिस्ट कहां से आई है, माननीय सदस्य के पास ?

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन के जवाब में मिली है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं जानना चाहूँगा कि यह सब्सिडी किस बात की है ?

श्री भैरोंसिंह : खादी बोर्ड की है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : खादी बोर्ड की है, हमारी तो नहीं है।

श्री भैरों सिंह : यह मैं नजीर दे रहा हूँ, आपके डिपार्टमेंट की भी आ रही है। खादी बोर्ड की, जिसकी मैंने कई स्थानों पर जा जाकर प्रत्यक्ष में जांच की है, उसे ३८७ हजार रुपया दिया है। इसमें देने का बहुत अच्छा तरीका है। कोई आदमी चाहता है कि तेल की घानी का कारखाना चलाना है, या साबुन बनाने का कारखाना चलाना है, तो सरकार उनको ५० प्रतिशत सब्सिडी देती है, बाकी जो लोन का पैसा आ रहा है उससे काम करता रहे। खादी बोर्ड के सेक्रेटरी को करीब २५ हजार की सब्सिडी दी है, वह उन्होंने युटिलाइज नहीं की, जिस जगह के लिए सब्सिडी दी है उसे उस जगह युटिलाइज नहीं किया, एन्टी-करप्शन ने इस बात की जांच करके रिपोर्ट की है, और ऑडिट ने संकेत किया है कि वह पैसा युटिलाइज नहीं किया गया, पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।

अजमेर-मेरवाड़ा में जितने इस तरह के कारखाने हैं, मैंने वहां जाकर जांच की है, वहां पर तेल-उत्पादन नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ एक सज्जन वहां बैठे मिलते हैं जो लोगों को कहते हैं कि राजनीति बहुत बुरी चीज है, राजनीतिक क्षेत्र बहुत गन्दा क्षेत्र है, रचनात्मक क्षेत्र बहुत अच्छा है। मेरा यह अनुभव है कि राजनैतिक क्षेत्र में काम करने वालों से रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वाले कम पापी नहीं हैं। गांधीजी के सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों की हत्या करने में ये लोग सबसे ज्यादा पापी हैं, उन पापियों को भी हमारी सरकार सहायता देती है।

इसके बाद आता है इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने मुझे एक बड़ी लिस्ट दी है। एसेन्शियलिटीज के सर्टिफिकेट के बारे में सरकार ने कहा है, सरकार को यह नहीं कहना पड़ता कि जिन्होंने सार्टिफिकेट लिए हैं उनको उतना ही माल इम्पोर्ट करना पड़ता हो। भारत सरकार जितनी तादाद निश्चित करती है उतना ही माल उनको मिलता है। मैंने जब प्रश्न किया कि आपके यहां जांच कराने की मशीनरी है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि है। मैंने पूछा कि कौन हैं, तो मंत्री महोदय ने कहा कि डी. आई. ओज. हैं. मन्त्री महोदय ने कह दिया कि डी. आई. ओज. के पास इत्तिला जाती है पर वास्तव में डी. आई. ओज. के पास कोई इत्तिला नहीं जाती। आपने कहा है तो मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इस तरह के आदेश देने वाले हैं कि इन आदेशों की तामील हो। असेन्शियेलिटीज सर्टिफिकेट दिये हैं, आप कोई भी क्षेत्र को बता दीजिये, जयपुर के अन्दर बता दीजिये, या जयपुर के बाहर बता दीजिये या कोटा में, जहां आपका निवास-स्थान है, जहां आपकी कॉन्स्टीट्युएन्सी है, वहां आप जांच करिये; आपको पता चलेगा कि जो माल इम्पोर्ट होता है उसका ब्लैक होता है और सबके हिस्से बंधे हुए हैं। इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट भी इसमें मुक्त नहीं है, सबके हिस्से बंधे हुए हैं। आपने जो कोटा निर्धारित करने की प्रणाली रखी है उसमें स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं। उन्हें कोटा निर्धारित करने में डिफरेन्शियेट किया है। स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज को दूसरे एजेंट्स के थ्रू दिया जायगा। ब्लैक शीट्स की कीमत है ९०२ रुपया, सरकारी कीमत है १००० रुपया और टाटा की ७५७ रुपया

(श्री भैरोंसिंह)

कीमत है, पर उनको कहा जाता है कि सारी की सारी ब्लैक शीट्स खरीदनी पड़ेंगी । तो इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने यह रवैया अख्त्यार कर रखा है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के नाम से भी जो उन्हें फायदा पहुँचाये, सरकार को फायदा पहुँचाये, उनको सहायता दी जाय ।

यहां इस कानून के अन्दर आगे लिखा है: "(e) by guaranteeing a minimum return on the capital of a company," यह तो निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा, पर : "(f) by providing at concessional rates supply of land, raw material, fire wood or water," :

यह अब सरकार ने अपने हाथ में रखा है, किनको किस प्रकार से दिया जायगा कोई नियम नहीं, कितना कन्जम्प्शन होगा, कितनी प्रिंसिपल रेट दी जायगी, कोई जिक्र नहीं,; पर सरकार इनको रियायत देगी । इसका असर क्या होगा ? सदन सुन ले, निश्चित रूप से इसका यह असर होगा कि मंत्री महोदय जिस इन्डस्ट्री वाले से कहेंगे कि कांग्रेस के फन्ड में २ लाख रुपया दे दो, दो लाख नहीं तो ५० हजार,५० हजार नहीं तो २५ हजार रु० ही दे दो: २५ हजार रुपया कांग्रेस के फंड में जमा करा दो और ५० हजार ले जाओ और मर्जी आये जैसे उपयोग करो, कांग्रेस को जिताओ और खुद जीतो । इस प्रकार की व्यवस्था हमारे मन्त्री महोदय नहीं दे दें तो देख लेना ।

सदन के माननीय सदस्य देख लें कि ऐसी घटनाएं होंगी । डिस्ट्रिक्ट्स और पंचायत समितियों में इन्डस्ट्रीज बनी हुई हैं, पर सरकार के कोई मन्त्री नहीं कह सकते कि इन्डस्ट्रीज में खर्चा करने के बाद उत्पादन कितना किया है, गांवों में कितना हुआ है, यहां कितना हुआ है ? गांवों में तो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को क्रश किया गया है, कोटा स्टोन की सारी छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज की हत्या करदी गई है । कोटा स्टोन फैक्टरी से कांग्रेस फंड में पैसे लिये जा रहे हैं और लिए जायेंगे । आज वहां छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन्स रोते हैं । मैं सारे एरिया में घूम कर आया हूं । मुझे ताज्जुब हुआ कि सरकार अन्धी है, गूंगी है, या बहरी है, सुनती नहीं । डिमार्केशन किया है, ७ मील का एरिया कोई यों नहीं है कि रामगंज मंडी के पास का ७ मील का एरिया हो, सात मील का एरिया बढ़ा दिया, २१ मील तक बढ़ा दिया, जहां जहां पट्टियां मिल सकती हैं वहां तक बढ़ा दिया । डिमार्केशन का कानून बना रखा है वह छोटे लोगों के लिये है, उसको सेठों के लिए लागू नहीं करते, छोटे छोटे लोगों के लिए लागू करते हैं; छोटे आदमी लाइसेंस लेते हैं तो डिमार्केशन उन पर लागू होता है । सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी से सरकार ने दो लाख रुपया ले लिया और ६० लाख रुपये का लोन दे दिया, चाहे वह लोन वसूल हो या नहीं हो, पर कांग्रेस फंड में १८ लाख रुपया इकट्ठा करना है; यह कैसे किया जाय, यह बात आज सरकार के सामने है ।

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : कांग्रेस की चिंता तुम्हें क्यों हो रही है ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे हराना है आपको ।

श्री ज्वालाप्रसाद : आपके हराने से हारेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : मेरे हराने से हारेंगे ।

Page No.40

श्री ज्वालाप्रसाद : यह तो उस वाली बात है, गाड़ी के नीचे चलने वाला....

श्री भैरोंसिंह : उस वाली बात नहीं; गाड़ी के नीचे चलने वाले की बात नहीं। ऐसे कानून बनाना छोड़ दो और फिर मैदान में आओ। फिर देखो कि हारते हो या नहीं? ईमानदारी से लड़ो, फिर देखो कि हारते हो या नहीं?

राजस्थान में एक तरफ तो राजनीति की चिन्ता रखना और दूसरी तरफ अपने राजनैतिक मकसद हल करने के लिए इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, मैं इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट का विरोधी नहीं। इन्डस्ट्रीज के लिये लोन देने की जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, उनसे १० वर्ष तक सरकार के सामने कठिनाइयां आई हैं, अगर पांच महीने और ये कठिनाइयां रह जाती हैं तो इन्डस्ट्रीज के कोई ताले नहीं लगते। पर उन कठिनाइयों को ५ महीनों में दूर करने की सरकार ने कोशिश की तो सब्सिडी का सीधा मतलब होगा कि सामान खरीदो या नहीं खरीदो, पर कांग्रेस के फंड में पैसे जमा कराते जाओ और लोन लेते जाओ। १० लाख की इन्डस्ट्रीज में ५० प्रतिशत का लोन दे दिया, ५ लाख का लोन दे दिया; तो इस तरह दो दो लाख, करते करते आपके पास १८ लाख रुपये जमा हो जायेंगे और राजस्थान की जनता के कन्सोलिडेटेड फंड में से पांच-पांच लाख रुपया निकलते रहने से दिवाला निकल जायगा।

मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में बहुत जबरदस्त घोटाले होते हैं, इसके लिये कहें किसको कि किसकी जिम्मेदारी है। कहते हैं तो सुनता कौन है? डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, मिनिस्टर सबको कहते हैं, मगर सुनवाई नहीं होती। आज समाचार-पत्रों में हम खबरें पढ़ते हैं, भगवान करे वे खबरें सही नहीं हों और गलत हों। मगर जब हम पत्र पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि उद्योग मन्त्री ने मकान बना लिया है, दुकानें बना ली हैं। समाचार-पत्र इस प्रकार से उनके लिये लिखते हैं, आखिर वे भी तो कुछ अपनी जिम्मेदारी पर ही लिखते हैं? अगर वे ऐसा लिखते हैं, तो आखिर समाचार-पत्र वाले भी रिस्क लेते हैं, उनकी खबरें गलत नहीं होती हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वे खबरें गलत हों, मगर फिर भी मन्त्री महोदय को जब वे इस प्रकार की खबरें अखबारों में पढ़ते हैं, तो उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि गलत सूचनाओं का खंडन करें। वे, मकान बना लिया है और दुकानें बना ली गई हैं, इसका स्पष्टीकरण करें, लेकिन यह वे, नहीं करते। यह मनुष्य की कमजोरी है और वही यह समझता है कि जो घटनाएं हैं वे सामने आयें, उनको आने दें और निकलने दें। हो सकता है कि हमारे मावली से आनेवाले माननीय सदस्य जिस प्रकार से कहते हैं और वे भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझते हैं, इसलिये वे भी इसी प्रकार का भ्रष्टाचार से शिष्टाचार का इन्फरेन्स निकालें।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझें। मैंने तो कहा था....

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा था।

श्री जनार्दनराय नागर : आपको किसी बात को ट्विस्ट करना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैंने यह नहीं कहा था, मैंने यह कहा था कि भ्रष्टा—

Page No.41

(श्री जनार्दनराय नागर)

चार की शिकायत करना लोगों के लिये शिष्टाचार हो गया है ।

श्री भैरोंसिंह : बड़ी खुशी की बात है कि आपने इसमें संशोधन कर लिया है । इसमें आगे लिखा है :

"(k) by granting concessions in or exemptions from State or local taxes and duties where the law relating thereto authorises such concessions or exemptions."

अब भी यह प्रश्न आता है कि यह अधिकार सरकार किस बेसिस पर अपने पर लेना चाहती है ? आज तक सरकार ने लोगों को जो एक्जेम्पशन्स दे रखे थे या जो कन्सेशन देने की व्यवस्था कर रखी थी, उसमें राज्य सरकार को कौन सी कमियां महसूस हुईं, जिनके कारण यह लाया जा रहा है ? मैं समझता हूँ कि जो कुछ कानून आज तक बने हैं उसमें कोई डिफिकल्टी उनके लिये नहीं है । आज टैक्स पर टैक्स आते हैं । पूंजीपति आपके पैसे से पर्चेज करते हैं । आप उनको खजाने से रुपया देते हैं, खजाना खाली हो जावे तो आप उनको, बिजली विभाग-जो एक स्टेचुटरी बोर्ड है, वहां से जोर देकर कन्सेशन रेट पर बिजली दिलाते हैं और अगर उससे भी उनका काम न चले तो किसी काश्तकार की लैण्ड लेकर, उसको एक्वीजिशन एक्ट के अन्तर्गत लेकर, उनको काश्तकार की जमीन एक्वायर करके, उनको जमीन दिला देते हैं और उससे भी अगर उनका घाटा पूरा नहीं होता है तो आप वाटर वर्क्स को कहें कि उनको फ्री पानी दे । अगर इस प्रकार के कानून बनेंगे तो राजस्थान की इन्डस्ट्री किसी प्रकार से डेवलप नहीं हो सकेगी । इसमें जबरदस्त घोटाला होगा और करप्शन बढ़ेगा ।

पिछले दिनों में, अध्यक्ष महोदय, सांभर, डीडवाना, पचपदरा के लोग अपना एक जुलूस लेकर यहां आये थे । रोते रोते यहां आये थे । वे यहां रोते २ इसलिये नहीं आये थे कि उनके कोई घर वाले मर गये हों, लेकिन वे इसलिये यहां पर आये थे कि उनके पेट को राजस्थान सरकार ने फोड़ दिया था, उनका धन्धा सरकार ने छीन लिया था । जो लोग छोटे-छोटे धन्धे, नमक का करते थे उनको नमक का अलॉटमेंट नहीं दिया गया । नमक का पिछले दिनों में कुछ अलॉटमेंट हुआ और हमारे पूंजीपतियों को २०० और ३०० वेगन्स का अलॉटमेंट किया गया । जो लोग एक एक वेगन से अपना पेट पालते थे उनको नहीं दिया गया और उन गरीबों का पेट फोड़ कर, दूसरे लोगों को, जो गरीबों का शोषण करते हैं, उनको, दो सौ और तीन सौ वेगन्स दे दिये जाव तो इसके पीछे रहस्य क्या है ? रहस्य वही हो सकता है जो अभी मैंने कहा था । अब वही परिस्थिति आ रही है कि कन्सोलिडेटेड फन्ड का दुरुपयोग होगा । राजस्थान में कई इन्डस्ट्रीज में करप्शन के केसेज दबे हुए पड़े हैं और जिन्हें माननीय मंत्री दबा कर रख रहे हैं और उसकी जांच नहीं कराना चाहते; जनता के सामने उनको प्रकट नहीं करते ।

एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स के नाम पर जो सरकारी लोन लेते हैं उसके लिये मैं सरकार की तरफ से बोलनेवालों को चुनौती देता हूँ और उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ कि वे किसी एक डिस्ट्रिक्ट को मोडल मान कर

(श्री भैरोंसिंह)

चलें और देखें कि उनको कितना रुपया सहायता के रूप में मिला है। मैं यह कहूँगा कि वहां ५र जो लोन दिया गया उसका ५० प्रतिशत भी उपयोग में नहीं लिया गया है। अगर यह गलत हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और नहीं तो आप दे दें। यही नहीं, यदि चुनावों में कोई ऐसी स्थिति आ जावे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

प्लानिंग बोर्ड की जिस समय बैठक हो रही थी उस समय मैंने सीकर की एक इन्डस्ट्री के बारे में कहा था। ७, ८ दिनों के बाद में मेरे पास एक चिट्ठी, जो कुछ उन्होंने किया, उसके बाद आती है। चिट्ठी के आने से मैं भी अपने आपको बहुत बड़ा समझने लगा कि चिट्ठी आई है, अब तो उसको फांसी लगा दी जावेगी। मगर जिसकी शिकायत की गई उसको सरकार ने सहायता की। अध्यक्ष महोदय, आप इस सम्बन्ध में पूछ लें, जिनकी शिकायत होती है उनको उलटी सब्सिडी और लोन दिया जाता है। इसका उपयोग वास्तव में क्यों होता है, कोई नहीं कह सकता। मन्त्री भी नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों की शिकायत नहीं, तो वे कहते हैं शिकायत नहीं, हम क्या करें। जब शिकायत करते हैं तो आप उनको उल्टा कहते हैं कि तैयार हो जावो। जांच आप नहीं करते। जांच करने के बारे में जब प्रश्न आता है तो आप जांच नहीं करते। आपने एमरी स्टोन कम्पनी की जांच की। उसने उसमें ४२० किया वह सिद्ध कर दिया, मगर आपने कहा कि इसके बावजूद भी इसको १५ हजार का लोन दिया जावे। खादी कमीशन ने ४२० किया, उसको आपने एसेन्शियलिटी सर्टिफिकेट दिया। राइस सीलिंग मशीन और दूसरी ऐसी कई इन्डस्ट्रीज हैं जिनके नाम जरूर सुने होंगे, यहां पर वे नहीं तो कलकत्ते में सही। आज अगर हम देखने जावें तो उनके नाम राजस्थान में कहीं नहीं मिलेंगे। मैं सब जगह घूमता रहता हूँ, मगर मुझे तो उनके नाम के बोर्ड कहीं नजर नहीं आते। हो सकता है कि वे प्रचार नहीं करना चाहते हों और घरों में कहीं चला रहे हों। अगर इस प्रकार वे इन्डस्ट्रीज घरों में चलती हो तो उसका मुझे पता नहीं। आज शहरों में जितने लोहे के काम किये जाते हैं, लोग इतने चतुर हो गये हैं कि आपको मालूम नहीं हो सकता कि काम होता है या नहीं। आज जितना माल है उसका सेल्स टैक्स देते रहते हैं। वे उसके आधार पर अपनी किताबों में सेल्स टैक्स दिखाते रहते हैं; उसके हिसाब-किताब बराबर लगाते रहते हैं; ७० बाल्टी बनीं और इतना लोहा लगा, यह दिखाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल शीट कितना उपयोग में लिया जाता है, यह पता नहीं चलता। वे सेल्स टैक्स माइनस करते रहते हैं, मगर प्रोडक्शन का कहीं नाम नहीं। उनकी दुकानों में बाल्टी देखने को नहीं मिलेगी, मगर ऐसा होता है और वह क्यों होता है कि हमारे माननीय मन्त्री की उन पर कृपा है। उनकी उन्ही लोगों पर कृपा हो सकती है जो उनको खुश कर सकते हैं।

मैं यह कहूँगा कि चुनावों में आप जीते या हारें, उसकी राजस्थान सरकार को चिन्ता नहीं है। हो सकता है कि समाज कल्याण बोर्ड से दो लाख रुपये लेकर आपने उनको बांट दिया, अगर आप दो लाख से नहीं जीतेंगे तो इन्डस्ट्री के लाखों रुपये खर्च करके भी जीत नहीं सकते, हम भी तैयारी कर रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No.43

(श्री भैरोंसिंह)

एक लाख का लोन ऐसे लोगों को मिलता है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम इन्डाइरेक्टली इन्डस्ट्रीज में करप्शन को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि केवल यह आत्मवेदना इसलिए है कि जनता के पैसे का कांग्रेस के इलेक्शन के लिए उपयोग किया जावेगा, मन्त्री महोदय के इलेक्शन के लिए उपयोग किया जावेगा और उसके लिए यह तैयारी कर रहे हैं; इससे राजस्थान में होने वाले आम इलेक्शन्स फेयर नहीं होंगे, राजस्थान में इस प्रकार की जनता की पूंजी के आधार पर इलेक्शन्स लड़ने की कोशिश की जावेगी। चूंकि मैं इसका विरोध कर रहा हूँ इसलिए मैं प्रतिक्रियावादी के नाम से पुकारा जाऊंगा, लेकिन मैं इससे घबराने की जरूरत नहीं समझता हूँ और इसलिए भी इसका विरोध कर रहा हूँ कि छः महीने में कोई इन्डस्ट्रीज खत्म नहीं हो जावेंगी, दस साल से भी तो चलती आ रही हैं, बढ़ा-चढ़ा कर आँकड़े जरूर बताये जा रहे हैं कि राजस्थान में यह इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया। यदि यह बिल आज पास होता है तो सब लोगों की कब्र उस कन्सोलिडेटेड पैसे के ऊपर खुदेगी और यदि कोई विधान सभा का सदस्य कब्र खुदवाने के लिए तैयार है तो पास करें और तैयार नहीं है तो जोर से इसका विरोध करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस राय का हूँ कि इस बिल को वास्तविक रूप से सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने जो राय रखी है मैं उससे तो सहमत नहीं हूँ। उन्होंने इसको राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा है और मैं इसको इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ। मैं इसको समाजवादी व्यवस्था के तौर पर भी देखता हूँ। यह बिल समाजवादी समाज व्यवस्था के दृष्टिकोण के विपरीत पड़ता है।

देश में आर्थिक व्यवस्था का किस प्रकार से निर्माण होगा, यह निश्चय हो चुका है कि देश में समाजवादी समाज व्यवस्था होगी। देश में समाजवादी व्यवस्था लावेंगे और गरीब लोगों पर शोषण करने वाले रहेंगे नहीं और जो शोषित थे अब उन पर कोई शोषण भी नहीं करने वाला होगा। यह नीति निर्धारित हो चुकी है। लेकिन इस बिल में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है जो कि उस नीति के अनुकूल पड़ता हो, एवं जिस स्टेट में इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेन्ट में शोषण न हो, बल्कि इसके द्वारा तो शोषण करने की शक्ति दी गई है। कैपिटलिस्ट्स को हम जानते हैं। उनके लिए आपने शोषण करने की शक्ति अधिक रखी है। सबसे पहले तो हमारी जो आर्थिक नीति है वह स्पष्ट है कि हम देश में सोशियलिस्टिक पेटर्न ऑफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं और यह भी निर्णय कर लिया है कि प्रोडक्शन और कन्जम्पशन में जितने कम एक्सप्लॉइटर्स, इन्टरमीजयरीज और नुकसान पहुंचाने वाले हों, उसके लिए कोशिश करना चाहिये।

तीन सैक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट

(श्री मोतीलाल चौधरी)

सैक्टर और कोऑपरेटिव सैक्टर। पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर, दोनों, को ठीक रास्ते पर लाने के लिए और कम्पीटीशन लाने के लिए कोऑपरेटिव सैक्टर का नाम दिया है। इन्डस्ट्रीज का राजस्थान में डेवलमेन्ट हो इसके लिए सरकार मदद दे रही है और ऑल इन्डिया हैंडी क्राफ्ट बोर्ड ने भी कुछ सुझाव दिये हैं, मोडल दिया है। मैं इस बात का पक्षपाती हूँ कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिए सरकार की हैल्प मिलनी चाहिये और जब तक इन्डस्ट्रियल डेवलमेंट नहीं होगा आर्थिक स्थिति जनता की सुधर नहीं सकती। सवाल यह है कि किसके मार्फत करें? आया केपिटलस्ट, या समाज का दूसरा वर्ग या सरकार की मार्फत। क्या केपिटलिस्ट द्वारा इन्डस्ट्रीज का उत्थान कर रहे हैं, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई आदि स्थानों पर मजदूर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और उन्हीं के बल-बूते केपिटलिस्ट बने हैं और कैपिटिलिस्ट्स कहलाये हैं। या समाजवादी दृष्टिकोण से इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट करना चाहते हैं? जो उद्देश्य इस बिल में रखा है उसकी ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसका जो नाम रखा गया है वह भी गलत है। ऑल इन्डिया हैंडी क्राफ्ट बोर्ड का सुझाव था कि कॉटेज इन्डस्ट्रीज हों, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हों और यदि यह दृष्टिकोण बिल में होता तो मानते। सारे बिल में भी कोऑपरेटिव का कहीं नाम नहीं रखा है। Credit facilities to industrial co-operatives, किसी में नहीं रखा है कि क्या ढांचा होगा? बोर्ड बैठेगा या नहीं? उसके विपरीत बिल में है। Company means this कम्पनी मजदूर नहीं बना सकते, साधारण जनता नहीं बना सकती। इस बिल के नाम से और कम्पनी की डेफिनिशन से स्पष्ट जाहिर है कि हम क्या चाहते हैं। बोर्ड चाहता है कि कॉटेज इन्डस्ट्रीज, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को हैल्प करें। बड़ी इन्डस्ट्रीज को सब्सिडीं देने का कहीं पर प्रावधान नहीं है। छोटी इन्डस्ट्रीज के लिए आज भी है। रूल ५९ में साफ है। कहां रुकावट है कि छोटी इन्डट्रीज को डेवलप नहीं कर सकें। बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के लिए नहीं है और इस बिल में घूम-फिर कर उन इन्डस्ट्रीज को ही लोन देने के लिए व्यवस्था की गई है। माननीय मन्त्री कहेंगे कि बिजली की रेट ६ आने के बजाय ३ आना करेंगे। इन्डस्ट्रीज में सिनेमा इन्डस्ट्रीज भी आती हैं। क्या इसको अधिक पनपाना है?

जयपुर में सिनेमा इन्डस्ट्रीज हैं, मान प्रकाश है। पॉवर कम रेट में दिया गया। होटल भी फिर इन्डस्ट्रीज में आ जावेंगी। Every thing will come and include this जो डेफिनिशन रखी गई है उससे। ऐसी डेफिनिशन से तो समाजवादी व्यवस्था नहीं आ सकती। यदि छोटी इन्डस्ट्रीज को हैल्प करने का है तो फिर इसमें साफ करें और इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि वे इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजें। डेवलपमेन्ट का दृष्टिकोण सही रूप से आवे।

सरकार की अधिक इच्छा है कि स्टेट में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, सब की है; लेकिन हो अच्छी तरह से। केपेटलिस्टों को बुलाने और उनको पनपाने के लिए नहीं। राजस्थान अधिक सौभाग्यशाली है कि यहां अधिक केपेटलिस्ट्स नहीं हैं। इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिये लेकिन बिल के उद्देश्य तो वे चीजें आवेंगी जिनसे खतरा पैदा हो रहा है।

Page No.45

(श्री मोतीलाल चौधरी)

(१ म. प.)

यहां एक तरह का वातावरण बना रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में वे आकर अपना कार्य करें। मैं इसका विरोध करता हूँ। आज कलकत्ते में और दूसरे स्थानों पर राजस्थानी केपिटलिस्ट हैं, अगर वे भी इसे एक्सप्लोइट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं दी जानी चाहिये। माननीय अध्यक्ष, मैं अदब से अर्ज करूंगा कि पूंजीपतियों को बुलाना एक प्रकार से गरीबों का शोषण करना होगा और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के हाथ में उनको देना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा डेफिनिशन में कहा है कि 'कम्पनी'। कम्पनी क्यों होगी? आपने कम्पनी जो होगी उसको देने का रखा है। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में कम्पनी आनी ही नहीं चाहिये। कॉटेज, विलेज और हेन्डीक्राफ्ट इन्डस्ट्रीज के लिये ग्रान्ट देते हैं। वह दी जानी चाहिये। आज अगर बिडलाजी को हेन्डीक्रॉफ्ट के लिये बुला कर कहें या टाटा साहब को बुला कर इसके लिये प्रेरणा दें, तो ऐसा उचित नहीं होगा। सबसे पहले इस बिल का नाम हो 'कॉटेज एन्ड स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज' मगर इसका जो नाम है इसके उद्देश्य से दूसरे इन्डस्ट्रीज को मिल जाता है। यह उचित नहीं है। अगर ऐसा होगा तो जो छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज राजस्थान में पनप रही हैं वे खत्म हो जावेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हैन्डलूम और हेन्डीक्रॉफ्ट इन्डस्ट्रीज हैं उनको नुकसान पड़ रहा है। हेन्डलूम हैं उनको पॉवर लूम दें। पहले गवर्नमेंट का यह प्रोपोजल था कि पॉवर उनको देंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनावेंगी। अब यह सुना गया है कि जोधपुर में एक व्यक्ति को पॉवर लूम दिया गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : यह बिल्कुल गलत है।

श्री मोतीलाल : मुझे जो जानकारी मिली है, वह यह है। वह अभी मिली है। अभी कोटा में स्माल स्केल इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिये सम्मेलन हुआ था, उसमें डेलीगेट गये थे, उन्होंने कहा था। यह बात मैं माननीय मंत्री महोदय को याद दिला दूं कि केपिटलिस्ट्स को भी दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है; लेकिन इक्विलिब्रियम रखना चाहिये, जिससे कि बैलेन्स ठीक बना रहे, किसी प्रकार से मोनोपोली केपिटलिस्ट्स की न रहे।

माननीय अध्यक्ष, मैं अभी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्होंने वहां क्या कहा था? मैंने उनके भाषण को पढ़ा था, जो छपा हुआ था और जो उन्होंने स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज सम्मेलन में दिया था। राजस्थान सरकार आज भी कहती है कि कोऑपरेटिव के मार्फत सहायता दी जाएगी, मगर यह सब भाषा और प्रचार के अलावा कोई बात नहीं है। डाइरेक्टर और जोइन्ट डाइरेक्टर आदि इस पर ध्यान नहीं देते। अगर यही हाल रहा तो समाजवाद नहीं आ सकता।

प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्युशन पर कन्ट्रोल जनता के मार्फत रहना चाहिये। क्या समाजवाद लाने के लिये हम सारी इन्डस्ट्रीज को केपिटलिस्टों के हाथ में दे दें? ऐसा नहीं हो सकता। मैं माननीय मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि आपने जो यह बिल रखा है वह

Page No.46

(श्री मोतीलाल)

बहुत उचित मन्शा से रखा है और आप छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज़ को पनपाना चाहते हैं, लेकिन किसके द्वारा उनको पनपाना चाहिये और उसका मुनाफा किसको मिलना चाहिये, किसके पास उसका मुनाफा जाना चाहिये। मुनाफा केपिटलिस्ट के पास नहीं जाना चाहिये, गरीब जनता और मजदूरों को इसका ज्यादा फायदा मिलना चाहिये। हम यह नहीं चाहते कि ९० प्रतिशत फायदा पूंजीपति उठाये। पिछले दो सालों में इसकी क्या स्थिति रही है और पर-केपिटा कितना फायदा हुआ है, तो आप देखेंगे कि केपिटलिस्ट को ज्यादा फायदा हुआ है। यह माना हुआ है। आप इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट से आंकड़े ले सकते हैं और पता चला सकते हैं कि केपिटलिस्ट को ज्यादा फायदा हुआ है और जितना उनको फायदा हुआ उतना काम करने वालों को नहीं हुआ। चाहे कॉटेज इन्डस्ट्रीज में ले लें, चाहे दूसरे सेक्टर में ले लें।

इसके अलावा नमक का भी जिक्र आया है; उसके लिये मैं कहना चाहता हूँ कि नमक का कोटा पचपदरा, डीडवाना, सांभर के लोगों को न मिल कर बड़े बड़े पूंजीपतियों को मिला है। सांभर में जो लोग पीढ़ियों से नमक का काम करते थे उनको कोटा नहीं मिला। सांभर और कुचामन में रहने वालों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं मगर उनको नहीं मिला और नये नये लोगों को मिला। लोगों ने समितियां बनाई, मगर उनको नहीं मिला। दूसरे लोगों को, जो वहां पर रहते नहीं, उनको मिला है। अगर यही स्थिति रही, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह समाजवाद का ढांचा झूठा होने वाला है, सच्चा नहीं होने वाला है। आप देखेंगे कि जो लोग झालावाड़ और कोटा के रहने वाले हैं उनको नमक का कोटा मिला है। मुझे सही नाम तो मालूम नहीं है, मगर डीडवाना के बाजार में नमक का काम करने वालों को कोटा नहीं दिया गया और इस कारण वहां पर आम चर्चा है कि हमारे यहां के लोगों को कोटा नहीं दिया गया है और हमारे यहां के व्यापारियों के पेट काटे जाते हैं और दूसरे स्थानों के लोगों को कोटा मिल जाता है। अगर इस प्रकार का प्रचार भी होता है और चाहे वह सही हो या नहीं हो, फिर भी इस प्रकार के प्रचार का होना भी गलत है। जनता का दिमाग जब एक दफा बन जाता है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल है।

इसी तरह से आप छोटी इन्डस्ट्रीज को लीजिये; मकराना मारबल इन्डस्ट्रीज। इसमें आप देखेंगे कि कोटा के एक आदमी को जितनी इसके लिये हैल्प मिली है वह पूरे मकराना को नहीं मिली। हम आखिर कहां जा रहे हैं ? हम केपिटलिस्ट के फेवर में जा रहे हैं। मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। इसलिए मैं आपके जरिये पूरे हाउस को निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का पक्षपात न हो और किसी भी हालत में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा न दें, जिससे कि वे उसके मालिक बन कर बैठ जावें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना कर उनको मदद दी जाए, उनको सब्सिडी और लोन दिया जावे। सरकार चाहे तो सब कुछ दे सकती है। किसी न किसी फॉर्म में उनको लोन या सब्सिडी मिल सकती है, चाहे गवर्नमेंट से, चाहे और किसी बैंक से ले। हर दृष्टिकोण से उनको रुपया मिल सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि तरह तरह की, अलग अलग छोटी इन्डस्ट्रीज बना दें, ताकि

(श्री मोतीलाल)

स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के मार्फत कार्य हो। यह मेरा निवेदन होगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस तरह का ढांचा बनावें जिससे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का, सहकारी समितियों का अलग प्रबन्ध हो ताकि समाजवादी समाज व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये आप सहमत हों।

(१. १. म० ५०)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी में देने के मोशन का में विरोध करता हूँ। इसको सिलेक्ट कमेटी में देने के जो प्रस्तावक हैं और जो समर्थक हैं उन दोनों के भाषणों को मैंने बड़े गौर से सुना है। मुझे ऐसा लगा कि उनके भाषण का ताल्लुक इस बिल से नहीं है. बल्कि एक पोलिटिकल स्टन्ट ही है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट को या किसी मिनिस्टर को या किसी व्यक्ति विशेष को किसी तरह से रन-डाउन किया जावे; किसी तरह से उनके खिलाफ कुछ कहा जावे और इसका फायदा उठाया जावे। वे बिल के प्रोविजनों को गहराई से समझ नहीं पाये, उसकी गहराई में नहीं गये, ऐसा मैं महसूस करता हूँ।

प्रस्ताव के समर्थक ने कहा कि कोऑपरेटिव किस जरिये से डेवेलप हो, इन्डस्ट्री किस तरह से डेवलप हो, इस तरफ ध्यान नहीं रखा गया है। मोनोपोली डेवलप होने का डर है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों महानुभावों ने इस बिल को और इसके उद्देश्य को न तो अच्छी तरह समझा है और न समझने की कोशिश ही की है।

जहां तक हमारी इन्डस्ट्रियल पोलिसी का प्रश्न है, वह ऑलरेडी फिक्स्ड है। भारत सरकार ने अपनी इन्डस्ट्रियल पोलिसी एक प्रस्ताव में डिफाइन कर दी है कि पब्लिक सेक्टर में किस किस तरह की इन्डस्ट्री होंगी और प्राइवेट सेक्टर में किस किस प्रकार की इन्डस्ट्री होंगी और कोऑपरेटिव किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो यह जो उनका डर था कि आया इस बिल के जरिये हम प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दे रहे हैं या मोनोपोली को डेवलप कर रहे हैं; तो मैं समझता हूँ कि वह बेबुनियाद है, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर के स्फियर अलग अलग डिफाइन्ड हैं।

दूसरी बात, जहां तक सब्सिडी और लोन देने का सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जहां इन्डस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कन्सेशनल रेट पर बिजली देने का, बिल्डिंग देने का, जमीन देने का या वाटर देने का सवाल आता है, मैं इसकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज जो एन्टरप्रिन्योर या इन्डस्ट्रियलिस्ट किसी प्रकार का उद्योग स्थापित करना चाहता है तो वह अपना नफा देखता है कि कहां उद्योग को लगाने से उसको नफा मिलेगा या बराबर के उद्योग के मुकाबले में टिक सकेगा। इन दो बातों का ख्याल रख कर वह इन्डस्ट्री लगाता है। हम सोचें कि आज यह बात क्यों हुई कि बम्बई में, कलकत्ता में या कानपुर में ही सारी इन्डस्ट्री कन्सेन्ट्रेड हो गई। राजस्थान का इन्डस्ट्रियलिस्ट क्यों कलकत्ता, बम्बई या मद्रास या कानपुर में जाकर इन्डस्ट्री लगाता है, राजस्थान में क्यों

(श्री पी के. चौधरी)

नहीं लगाता ? शेखावाटी में, सीकर, या झुंझुनूं में क्यों नहीं लगाता ? इस इस सवाल को सोचिये। तो जो इन्डस्ट्री लगाता है वह सबसे पहले यह देखता है कि वहां जहां वह फैक्टरी लगा रहा है, उसे क्या सहूलियतें मिल सकेंगी, रॉ मैटीरियल आसानी से मिल सकेगा या नहीं, कम्पीटीटिव रेट से दूसरी सारी चीजें मिलती हैं या नहीं, ट्रान्सपोर्ट की फैसीलिटी कम्पीटिटिवली उसको मिलती है या नहीं, उसका माल कम्पीटीटिव रेट पर पड़ता है या नहीं और माल को निकालने के लिये कम्पीटीटिव रेट पर मार्केट मिलता है या नहीं। ये बातें वह सबसे पहले देखता है। दूसरी बात यह देखता है कि एनर्जा, कोयला, पॉवर या पानी की सप्लाई कम्पीटीटिव रेट पर मिलती है या नहीं। आज कुछ बड़ी इन्डस्ट्रीज, जैसे कैमिकल इन्डस्ट्रीज हैं, उनमें प्लैन्टी ऑफ वाटर चाहिए। यह भी देखता है कि जमीन या साइट ठीक मिला है या नहीं।

अब यह भी सवाल आता है कि जैसे आप हलवाई से चीज लेने के लिये हलवाई बाजार में जाते हैं, कपड़ा लेने के लिए कपड़ा बाजार में जाते हैं, लोहे का व्यापार करने वाला देखता है कि जहां लोहा लेने के लिये लोग जाते हों, जहां लोहे का बाजार हो वहीं अपनी दूकान लगाऊं, इसी तरह कपड़े का व्यापारी जहां कपड़ा के दूसरे व्यापारी होंगे वहीं अपनी दुकान लगाना पसन्द करेगा और यह इसलिये करता है कि उसको उनका जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने वाला कस्टमर वहां अवेलेबल रहता है। डिस्पोजल की फैसिलिटी देखता है, तो इस तरह की फैसिलिटी आज उद्योगपति को कलकता, बम्बई, मद्रास आदि नगरों में ईजीली अवेलेबल है। वे ही फैसीलिटीज अगर हम उनको अपने यहां नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वे इन्डस्ट्री यहां लगाने को तैयार नहीं होंगे।

इस तरह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को लीजिए। जैसे बिजली में पंजाब आगे बढ़ा हुआ है, कोऑपरेटिव में मद्रास और सब प्रोविन्सेज से आगे बढे हैं तो इसका कारण यह है कि इस माने में वे वहां ज्यादा डेवलप्ड है। आज नट बोल्ट्स की इन्डस्ट्री कोई अगर यहां लगावे तो उसे पंजाब से कम्पीटीशन में आना होगा, क्योंकि उसको इसका पहले से पांच साल का अनुभव है। उसके पास अनुभवी कारीगर हैं, उसे तजुर्बा है, मार्केट उसके हाथ में है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसी कारण कम है; उसके पास फैक्टरी में जो लेबर है उसने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया है; उसके मुकाबले में नये अन-स्किल्ड लेबर को लेकर आप लगावेंगे तो उस स्किल को डेवलप करने में आपको समय लगेगा। जो उसका क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा उसके मुकाबले में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट करने में समय लगेगा अथवा अधिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आवेगा। इसलिये यह जरूरी है कि वह कम से कम यह देखे कि उसको क्या फेसीलिटी मिल रही है कि जिससे उसे इन्सेन्टिव मिले। आज इसी तरह से कोऑ-परेटिव सोसाइटी को इन्डस्ट्री लगाने के लिये आपको इन्सेन्टिव देना होगा। मैं कहूँगा कि आज जैसी कोऑपरेटिव इन्डस्ट्रीज मद्रास में हैं यहां आप जल्दी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिये उनके पास अनुभव है, आपको अभी वह चाहिये। तो यह आज नहीं हो सकता और यह भी नहीं हो सकता कि सदन के कुछ पांच—सात मेम्बर्स मिलकर चाहें कि कोई इन्डस्ट्री चला लें, तो वह भी

(श्री पी. के. चौधरी)

नहीं चला सकते। इसके लिये उसका एक्सपीरियेन्स जरूरी होता है, मार्केट का ज्ञान जरूरी होता है। जिनको ऐसा ज्ञान है वे लोग चला सकते हैं इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव्ज।

आज हम देखते हैं कि हमारा कोऑपरेटिव फार्मिङ्ग का सवाल था वह सक्सेस्फुल नहीं हो रहा है, हालांकि हर एक एग्रीकल्चरिस्ट को फार्मिङ्ग का अच्छे से अच्छा है और अनुभव होते हुए भी हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग सक्सेस्फुल नहीं हो पाई है। हम इसमें जितनी तरक्की करना चाहते थे वह नहीं कर पाये। तो हम यह मानकर बैठ जायें कि राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट सिर्फ इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव के जरिये ही कर लें, जो प्राइवेट इन्डस्ट्रीज हैं या जो एन्टरपिन्योर हैं, चाहे वह ५ हजार की केपीटल से काम करता हो या १० हजार की केपीटल से काम करता हो उसको हम डिस्करेज कर दें और सिर्फ यह कह दें कि इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव ही उसमें काम कर सकती है, तो मैं समझता हूँ कि इस बात को लेकर राजस्थान के इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट को रोक देंगे।

मैं मिसाल के तौर पर बात कहता हूँ कि जैसे अभी सांभर का जिक्र आया। आज सांभर में सोडाएश फैक्टरी लगाने के लिए सवाल चला था। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियेन्स आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने एक करोड़ रुपये की लागत से हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी बनाई। उस हिन्दुस्तान सॉल्ट कम्पनी ने इन्कार कर दिया कि हम सोडा एश फैक्ट्री नहीं लगायेंगे। इसके लिए प्राइवेट इन्डस्ट्रियलिस्ट्स से पूछा गया तो वे सबसे पहले यह कन्डीशन रखते हैं कि सोडाएश फैक्ट्री लगाने के लिए ५-६ करोड़ की लागत होनी चाहिए, लेकिन वे इस बात की गारन्टी चाहते हैं कि सरकार उनको ५ हजार किलोवाट बिजली सप्लाई करेगी और दूसी स्टेट्स की तरह बिजली इतनी रेट से सरकार देगी और दूसरे स्टेट्स में बिजली की रेट, जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस रेट पर बिजली सप्लाई करता है उससे काफी कम है। तो वह कहते हैं कि दूसरी स्टेट्स में इस रेट से बिजली मिलती है तो हम यहां फिर इन्डस्ट्री क्यों लगायें? तो इन सारी बातों को देखते हुए यह बिल लाया गया है और इस बिल का कोई पोलिटिकल मोटिव नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस सदन में ऐसी बात कहना कि लेजिस्लेशन को किसी टेम्पोरेरी मोटिव से पास करते हैं, या इस प्रकार के रिजोल्युशन पास करते हैं, एक ठोस मकसद को लेकर एक पर्मानेन्ट चीज बनाते हैं और यह जो लेजिस्लेशन बना रहे हैं वह ५ महीने के लिए नहीं बना रहे हैं बल्कि हमेशा के लिए बना रहे हैं। बल्कि आगे जाकर उसमें और भी प्रोग्रेसिव व्यू ला सकते है, और भी अधिक लिबरल कर सकते हैं; तो यह कहना कि ५ महीने के लिए लेजिस्लेशन बना रहे हैं, यह कहना गलत होगा। कोई यह कह दे कि ५ महीने के लिए सरकार अपना काम बन्द कर दे, क्योंकि अब ५ महीने बाद ही इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस तरह से इस प्रकार का जो अल्टीरियर मोटिव लिया जाता है वह उचित नहीं है।

सही माने में इस बिल की जो स्पिरिट है उसको हमें लेना चाहिए। आज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको हल करने लिए और जैसा कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स

(श्री पी. के. चौधरी)

में भी है कि हम एक युनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। मैं खुद जानता हूँ और आज से कुछ रोज पहले मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी का एक आदमी आया था वह कह रहा था, जो कलकत्ते में बिजनेस कर रहा था उसने आकर एक जमीन ले ली है और १० हजार की मशीन भी ले ली है, लेकिन उसको आज ३ महीने जो हो गये हैं और ३ महीने से उसकी लोन की एप्लीकेशन पड़ी हुई है, लेकिन किसी प्रोसीजरल दिक्कत के कारण उसको लोन मन्जूर नहीं हो रहा है। वह कहता है कि मैंने इतना रुपया लगा दिया है, उसका ब्याज चढ़ रहा है उसके लोन के कागज आज यहां आते हैं और कल वहां जाते हैं और परसों वहां जाते हैं, लेकिन लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है। तो वाकई में जो इन्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, चाहे इन्डस्ट्रीज लगाने के लिए वह छोटे एन्टरप्रिन्योर हों चाहे बड़े हों, वह इसको पसन्द नहीं करते कि उनको यहां आने के बाद पूरी फैसिलिटीज न मिलें। सरकार जो कहती है कि फलां इन्डस्ट्री लगाओगे तो हम आपको मदद देंगे, लोन देंगे या बिजली में कन्सेशन देंगे; तो जब सरकार इन चीजों के लिए कहती है तो वह उसको फौरन मिलनी चाहिए। आज जयपुर के इन्डस्ट्रियल एस्टेट का सवाल लाया जाता है, उसमें जितने भी लोगों ने इन्डस्ट्रीज लगाई हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम आपको कन्सेशनल रेट पर बिजली देंगे, लेकिन कानूनी अड़चन ऐसी है कि आज वहां पर एक को भी कन्सेशनल रेट पर बिजली नहीं मिली है।

आज इन्डस्ट्रियल एस्टेट को कायम हुए ४ साल हो गए और आज वह चार साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन क्योंकि कानून में कोई नुक्ताचीनी हो गई इसलिए उनको नहीं मिल सकती है। हम लोग इन्डस्ट्रियल एस्टेट को देखने गये थे तो वहां के एसोसियेशन के लोगों ने मीटिंग करके कहा; तो इसके लिए हम सरकार को भी कहेंगे। तो यह जो छोटी छोटी बातें हैं कि जब इन्डस्ट्रियल एस्टेट लगाया गया तो उस समय कहा गया था कि आपको वाटर सप्लाई फ्री करेंगे, बिजली प्रोपर सप्लाई करेंगे। लेकिन जिस रेट पर उनको बिजली मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है और न वाटर सप्लाई, जैसा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिली है। तो ये जो सारी डिफिकल्टीज हैं उनको दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए।

आप यह कहते है कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अन्दर बहुत कुछ घोटाले हुए हैं। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि Industries Department was reproched. मैं नहीं कहता कि इसमें कहीं गलती नहीं है, गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को रोकने का काम करना चाहिए। मुझे एक बात याद आई और वह टाकुर की है। हाऊ बाबू कहते थे वह अपने मकान में एक कांच की बिल्डिंग बनाकर बैठे रहें और उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं कुछ करके बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि मैं इस मकान के बाहर नहीं जाऊंगा। सड़क पर जाऊंगा तो एक्सीडेन्ट हो सकता है और कोई बाहरी हवा लग जायेगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा और मर जाऊंगा। तो वे हाऊ बाबू कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको बहुत शक्ति दी है। तो

(श्री पी. के. चौधरी)

काम जब करना है तो सड़क पर आना ही पड़ेगा, उसमें एक्सीडेन्ट भी हो सकता है। तो कोई यह कह दे कि कोई आदमी काम करेगा उसमें गलती नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक आदमी को जो जरूरी चीज है, फैक्टर फैसेलिटीज हैं, उसको आसानी से एवेलेबल हों अगर हम यह कर देंगे तो हो सकता है कि इन्डस्ट्रीज डेवलप करें। लेकिन फिर भी हम मानेंगे कि हम १०० रुपये किसी में इन्वेस्ट करें तो ५० रु० का फायदा मिले, ६० रु. का मिले, तो भी मैं समझता हूँ कि कुछ फायदा मिलेगा।

आज इस बिल में यदि कोई ऐसी बातें रह भी गई हों कि जिससे उसका स्कोप बढ़ता हो तो उसको रोकने के लिए प्रावधान कर सकते हैं रूल्स में। तो हम भी पब्लिक एक्स-चेकर, एम० एल० ए० होने की हैसियत से, वाच कर सकते हैं, जिससे करप्शन न हो सके और साथ ही साथ राजस्थान का इन्ड-स्ट्रीज का डेवलपमेंट हो और पर-कैपिटा इन्कम बढ़े। हमारी इन्डस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि यह जो बिल है उसको सिलेक्ट कमेटी में देने की जरूरत नहीं है, उसको पास करना चाहिए। जरूर मैं यह कहूँगा कि कोई खास बात हो तो उसमें अमेन्डमेंट कर सकते हैं; लेकिन उसूलन उसका विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि जब प्रस्तावक और समर्थक महोदय इसके ऊपर भाषण दे रहे थे तो, मुझे ऐसा लगा कि वे इस बिल के प्रिन्सिपल्स के खिलाफ ही भाषण दे रहे हैं और मुझे ऐसा नहीं लगा कि वे अपने भाषण में कोई सिलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में कोई दलील दे रहे हों। इसलिए मैं तो सदन से यही अपील करूंगा कि इस बिल को पास किया जाये और ऐसी कोई खास बात हो तो उसमें अमेन्डमेंट पेश कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, इस औद्योगिक सहायता बिल को प्रवर समिति में भेजने का मेरे बड़े माननीय मित्र का जो प्रस्ताव है उसका, मैं विरोध करता हूँ। मैंने उनके भाषण को बड़ी ही सावधानी और बड़ी दिलचस्पी से सुना। जैसा मुझे अंदेशा था कि मेरे माननीय प्रस्तावक महोदय इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिए किस प्रकार का भाषण देंगे तो मेरा अन्दाजा बिल्कुल सही निकला।

मुझे कुछ ऐसा मालूम हुआ है, अध्यक्ष महोदय, कि निष्पाप से निष्पाप बात को लेकर भी हम यहां पर इस बात में अपने जो राजनैतिक दांव पेंच है उन्हें रखना चाहते हैं। कल भी इसी प्रकार की कुछ हवा इस सदन में बही और आज भी, अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की बातें इस बिल को लेकर कही गई।

हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में समाज के विकास के लिए हमारा एक वादा है, और वह वादा यह है, अध्यक्ष महोदय, कि हम ५ साल में एक योजना ही कारगर नहीं करें, लेकिन राजस्थान का औद्योगिक विकास भी करें। जहां हम राजस्थान के औद्योगिक विकास की बात कहते हैं वहां यह बात हम को मानकर चलना चाहिए कि राजस्थान के औद्योगिक विकास की जो समस्या है वह भारतवर्ष के औद्योगिक विकास का

(श्री जनार्दनराय नागर)

समस्याओं का अहम अंग है और इस नाते इसको हलके-फुलके ढंग से, अपने राजनैतिक दृष्टिकोणों या अपनी भावनाओं से इस समस्या पर विचार करें तो मेरा ऐसा मानना है, अध्यक्ष महोदय, कि हम न केवल सत्य से दूर जायेंगे, लेकिन आज और अभी औद्योगिक विकास को जो हमारी बहुत बड़ी और विशाल समस्या है उसको हल करने की आवश्यकता होगी।

जब से बृहत् राजस्थान बना तब से और उसके पहले भी यह राजस्थान की जनता की मांग है कि राजस्थान के जो उद्योगपुत्र राजस्थान के बाहर बैठे हुए हैं उन्हें राजस्थान में लाया जाय। आज मेरे एक माननीय मित्र ने यह कहा कि बम्बई में, कलकत्ते में, मद्रास में, और और जगहों में, राजस्थान के बड़े उद्योगपति हैं, उनका विरोध हो रहा है। उनका विरोध वहां किस दृष्टिकोण से हो रहा है इससे सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस सत्य को मान लेता हूँ कि उनका वहां विरोध हो रहा है और राजस्थान की नागरिकता की समस्या उठ खड़ी हुई है कि हम अपने उद्योग बेटों को राजस्थान में वापिस लायें। वापिस ही नहीं लायें, लेकिन ठीक तरह से उनको संस्थापित करें, उनके औद्योगिक विकास के लिए जितनी हम राहत दे सकते हैं, जितना भी उचित लाभ दे सकते हैं, उतना लाभ हम दें। आज राजस्थान के बाहर रहने वाले लाखों लोग हैं, उनकी भी मैं समझता हूँ, राजस्थान में पुनर्वास की समस्या हमारे सामने आने वाली है। यह चीज सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में अपने अपने राज्यों में, अपने अपने प्रान्तों के जनों को बसाने की हो रही है। उसका एक बड़ा सामाजिक महत्व है। लेकिन उस पर न जाकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कलकत्ते से, बंबई से, मद्रास से हमारे जो बड़े बड़े राजस्थान के उद्योगपुत्र हैं, उनको, हमको बुलाना है। इसमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विरोध में समाजवाद की दुहाई देने की जरूरत नहीं है। इसकी अहम् और जरूरी समस्या है।

हम नहीं चाहते हैं कि प्रारम्भिक अवस्था में राजस्थान का औद्योगिक विकास हम किसी भी कीमत पर करें। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें अनुचित लाभ करायें, मैं यह नहीं कहता कि उद्योग विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार है उसको दूर नहीं किया जाय, उसको दूर किया जाय। अनुचित लाभ नहीं दें, हम ऐसी बात नहीं करेंगे। समाजवाद के विकास के लिए हमारा जो सिद्धान्त है उन सिद्धान्तों को कुचल दें या टाल दें, ऐसी बात कोई नहीं करेंगे। लेकिन कोई गुन्जायश है समाजवाद के पहले, समाजवाद के आर्थिक औद्योगिक विकास का ढांचा जो डाल रहे हैं वह समाजवाद की आर्थिक दृष्टि से उद्योगों को चला नहीं पा रहे हैं।

जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने यह कहा कि औद्योगिक विकास की नीति मंत्री महोदय के घर की नीति नहीं है, और न यह राजस्थान सरकार की बनी हुई नीति है, यह तो अखिल भारतीय नीति है। यह अखिल भारतीय दृष्टि है और मैं कहना चाहूँगा कि यह अखिल भारतीय रास्ता है जिसको आज सारे राष्ट्र की सर्वोपरि हुकूमत ने स्वीकार कर रखा है। प्लानिंग कमीशन को लीजिये और भी राष्ट्र के आयोजन के बारे में विचार करने वाली एजेन्सियां हैं, कमेटीज हैं, बोर्डस हैं, उन लोगों ने, सबने, इस सिद्धान्त को माना है क

(श्री जनार्दनराय नागर)

एक निश्चित रास्ते से आगे बढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, हमने पब्लिक सेक्टर को मान रखा है और प्राइवेट सेक्टर को भी मान रखा है, और जो हमारा आर्थिक ढांचा है, और आर्थिक आयोजन, आर्थिक विकास की गति के हमारे प्रावधान हैं वे सब एक निश्चित मार्ग से होकर चल रहे हैं। ऐसी अवस्था में यह माना जा सकता है, मैं मानता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि हम शुरू से ही, आरम्भ से ही समाजवाद के आधार को लेकर नहीं चलें लेकिन समाजवाद जहां पर सम्पूर्ण देश और राज्यों में स्थापित हो चुका है, उन देशों की ओर निगाह डालें तो एक निश्चित आर्थिक विकास पर आज भी वे चल रहे है। मैं जब ऐसी बात सुनता हूँ कि किसी पूंजीपति को कुछ लाभ और राहत का फायदा देकर औद्योगिक दृष्टि से बसाते हैं, तो पूंजीवाद को प्रश्रय देते हैं। जब यह बात मैं सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूंजीवाद और समाजवाद का जो मूलभूत विरोध है वह उस दृष्टि से नहीं है। पूंजीवाद और समाजवाद का विरोध है वह यह है कि नये ढंग से आर्थिक लाभ का और उत्पादन और आर्थिक स्रोतों का वितरण करना है; तो समाजवाद के सिद्धान्तों के जरिये हम कर सकते हैं। लेकिन समाजवाद लाने से पूर्व जो स्थानीय परिस्थितियां है उनको नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज जो परिस्थिति है औद्योगिक विकास की दृष्टि से वह निश्चित रूप से यह है कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता है। यह पब्लिक सेक्टर में भी ला सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी ला सकते हैं। अभी अभी हमारे यहां जब तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस हो रही थी तो हमसे यह कहा गया था कि राजस्थान में पूंजी के आगमन की बहुत जरूरत है। करीब करीब ५०० करोड़ की पूंजी राजस्थान के अन्दर उनको लगानी है, चाहे वह पब्लिक सेक्टर से लाई जाए, चाहे व्यक्तिगत सेक्टर से लाई जाए। हमारे यहां आज पूंजी की आवश्यकता है। करीब करीब ५०० करोड़ की पूंजी लगानी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पर-केपिटा नेट इन्कम है उसमें हम अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचने वाले नहीं हैं। इसलिए समाजवाद के सिद्धान्त को नितान्त बात करके इस बात का फैसला करें। राजस्थान में व्यक्तिगत पूंजीपति और व्यक्तिगत उद्योगपति को नहीं बसायें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यह आत्महत्या वाली बात होगी। सिद्धान्तों को हम थोड़ी देर के लिए स्थगित करना चाहते हैं। हम यह नहीं करना चाहते हैं कि राजस्थान का औद्योगिक विकास समाजवाद के तरीकों से और तौर से नहीं होगा जब कि सारे देश के विकास का ढांचा समाजवादी तौर और तरीके का हो गया होगा। आज तो यह नहीं कह सकते हैं कि देश का सारा ढांचा औद्योगिक विकास का समाजवादी हो चुका है। हमारा लक्ष्य है समाजवाद से औद्योगिक ढांचे का विकास करने का। जब पब्लिक सेक्टर में सारी आर्थिक योजनाओं के अन्दर मुकम्मिल तौर पर कायम कर दें तो मैं समझता हूँ कि इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आज देखना यह है कि पब्लिक सेक्टर पर प्राइवेट सेक्टर हैं, वे हावी होते तो नहीं हैं; पब्लिक सेक्टर के विकास में विस्तारकी गति को रोकता तो नहीं है, अवरुद्ध तो नहीं

(श्री जनार्दनराय नागर)

करता है, यह बात देखनी है। जैसा कि मेरे एक माननीय मित्र ने संकेत किया है कि यह निश्चित हो चुका है हमारी आर्थिक नीति के अन्दर कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर अमुक अमुक उद्योग चलाये जा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में अमुक अमुक उद्योग चलाये जा सकते हैं। एक दूसरे को अवरुद्ध करने की जो हमारी शंका है वह शंका केवल सावधानी की बात रह जाती है। वह ऐसी बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जिनकी वजह से राजस्थान में उद्योगों में मदद करना चाहते हैं उसके अन्दर रुकावट महसूस हो, या अपने आप सोचकर रुकावट पैदा करें। इस बिल का जो मकसद है कि राजस्थान में कई वर्षों से मांग है औद्योगिक विकास के लिए मांग है, उनको राहत मिलनी चाहिए। मांगों को संभावना प्राप्त होने के लिए इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए सरकारी तंत्र की ओर से और समाज की ओर से ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जैसे जैसे बड़े उद्योग लागू करना है तो एक उदाहरण में देना चाहूँगा कि एशिया में उदयपुर में सबसे बड़ी जिंक माइन्स है, जावर माइन्स हैं; उसका सारा माल कच्चे रूप में बंगाल को जाता था और वहां स्मेल्ट होकर उसका पिग बनता था, लेकिन अब सरकार के प्रयत्न से यह बात मुमकिन हो सकी है कि एक स्मेल्टर वहां पर लगायेंगे। जब स्मेल्टर लगेगा तो उसके साथ साथ काफी दूसरी भी इन्डस्ट्रीज वहां पर लगेंगी जिसकी वजह से बहुत बड़ा औद्योगिक विकास राजस्थान में सम्भव हो सकेगा। यदि अब इस सिद्धान्त को मानकर बैठ जायं, चूंकि पब्लिक सेक्टर में स्मेल्टर को लगाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में स्मेल्टर को लगा सकें तो राजस्थान में नहीं लगायेंगे। इसलिए राज्य की ओर से उद्योग करने का जो हमारा सिद्धान्त है, मुझे नहीं मालूम है कि हमारा सिद्धान्त आज है या नहीं है, हमारे यहां यह सिद्धान्त नहीं है कि देश के सभी उद्योगों का मेनेजमेंट और कन्ट्रोल राज्य का होगा जैसा कि रूस में होता है या अन्य जगह होता है; वैसा निश्चित सिद्धान्त और नीति नहीं है। लेकिन मान लीजिये समाजवाद के सिद्धान्त के प्रेम में यह निश्चय कर लें कि स्मेल्टर राजस्थान में नहीं लगायेंगे, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति लगाना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि एक इन्डस्ट्री जो देश की आवश्यकता की ३५ पर्सेन्ट लेड और जिन्क देती है उसको खो देंगे। इसलिए मैं मेरे उन विरोधी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में आज यह बात नहीं है कि पब्लिक सेक्टर को प्रधानता देने के लिये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा न दें, या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिये पब्लिक सेक्टर को भुला दें, ऐसी समस्या आज हमारे सामने नहीं है।

हमारे सामने एक समस्या यह है कि हम जितनी पूंजी राजस्थान में लगा सकें उतनी लगावें, चाहे प्राइवेट सेक्टर से उपलब्ध करें या पब्लिक सेक्टर से। हमें तो पूंजी को यहां लाकर लगाना है। यह तो पूंजी से प्रेम करने का जमाना है। यदि आप लड़की लाना चाहते हैं तो पहले लड़की की तलाश करनी होगी, फिर सगाई करनी होगी। आज भी यहां आदर्शवाद का जमाना है। आज इस प्रकार के संशय में पड़ने का जमाना नहीं है। आज संशय में पड़ कर विनाश की बातें करेंगे तो सारा वातावरण, जो हिन्दुस्तान ने बनाया है और जो नारा दिया है कलकत्ता वालों को, बम्बई वालों को और आसाम वालों को जो राजस्थान के प्रवासी

(श्री जनार्दनराय नागर)

उद्योगपति बाहर बैठे हैं उनको और दूसरों को, जो निमन्त्रण हमने दिया है उसको अगर पूरा नहीं कर पायेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। राजस्थान के उद्योगपति जो बाहर बैठे हैं उनको हमने राजस्थान में आकर पूंजी लगाने का आह्वान किया।

हमारे राजस्थान में सामन्तवाद की समस्या अखिल भारतवर्ष की समस्या थी, उसी तरह से पूंजीवाद का भी अखिल भारतीय गढ़ व केन्द्र भी राजस्थान ही था। हमने अखिल भारतीय सामन्तवाद की समस्या को किस तरह से सुलझाया। हमने बड़ी कीमत दी है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सामन्तवाद की समस्या को सुलझाने के लिये। सामन्तवाद की समस्या तो सुलझी लेकिन उनकी प्रतिक्रिया हमारे सामने है जिसका मुकाबला हमें करना है।

आज विरोधी पक्ष के मित्रों ने कुछ बातें कहीं हैं, वे बातें राजस्थान में उद्योग को पनपाने में सहायक नहीं होंगी। उद्योगपतियों को सहायता देने के लिये उन्होंने शंकाएं की हैं, लेकिन वास्तव में शंका की बात नहीं है। जो बातें राजस्थान में आज इस प्रकार से खड़ी हो रही हैं वे अन्तिम बार सामन्ती अवशेषों की साजिश के कारण खड़ी होने वाली और इस संघर्ष को उभारने वाली थीं। इसलिये आज उद्योगों को सहायता देने या उनको राहत देने का बिल पेश हुआ है तो उसके लिये आप कहते हैं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पूंजीवाद बढ़ेगा और आप कहते हैं कि अमुक प्रतिक्रियावादी शक्ति राजस्थान में विकसित होगी या हो रही है। हम इन्डस्ट्रीज को मदद दें न दें, उसके लिये यहां बिल लावें न लावें, लेकिन राजस्थान में जो साम्प्रदायिकता थोप रखी है उसके खिलाफ एक फैसला किया गया है कि एक तरह का संघर्ष किया जाय और जो जहर फैलाने की कोशिश की है उसको कुचल दिया जाय। राजस्थान के गांव गांव में, जनपदों में और शालाओं में तीव्रता के साथ कुछ महीनों में संघर्ष आरम्भ होने ही वाला है या हो गया है। इससे कोई डर नहीं है, संकोच नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा बिल लावें जिससे राजस्थान में उद्योग का रास्ता साफ हो और जो सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं उनके लिये मार्गदर्शन करें। तो यह जो बिल है वह निश्चित रूप से, चाहे सार्वजनिक सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, पूंजी लावें और उद्योग खड़ा करने या उसका विकास करने का हौसला बढ़ावें।

मैं समझता हूँ, हमारी शिकायत यह होनी चाहिये कि आज दिन तक हमारे इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी थी वह स्पष्ट नहीं थी, जहां तक कर्जा देने का सवाल है या राहत देने का सवाल है, उद्योगपतियों को आमन्त्रण देकर बसाने का सवाल है वहां तक हमारी नीति उदासीनता की रही है। हमें जो शिकायत है वह यह है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिये जितनी राहत हम १२-१३ वर्ष के बाद आज देना चाहते हैं वह आज से पांच या दस वर्ष पहले घोषित की जानी चाहिये थी। सुविधाएं देने का वातावरण बनाने व उद्योग को पनपाने और उत्पादन करने में देरी हुई है। लेकिन यह देरी राजस्थान की राजनैतिक, सामाजिक और सामन्तवादी परिस्थितियों के कारण हुई है। लेकिन आज तृतीय पंच-

Page No.56

(श्री जनार्दनराय नागर)

वर्षीय योजना के आरम्भ में हमने एक आश्वासन दिया है, सारे राजस्थान के और देश के उद्योगपतियों को आर्थिक संगठन में लाने का हमने वादा किया है।

हम राजस्थान में तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत शक्ति और जल-शक्ति को उपलब्ध करने जा रहे हैं। विद्युत शक्ति और जल का यहां खास सवाल था इसको हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सुधारा है। हम आज तक उद्योगपतियों को यह कहने की परिस्थिति में नहीं थे कि बाहर से आप लोग यहां आवें और उद्योग खड़ा करें। तो आज जब हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में जल शक्ति और विद्युत-शक्ति को काफी उपलब्ध कर लिया है तो हमने आश्वासन दिया है, राज्य सरकार के आधार पर और पार्टी के आधार पर, कि आप लोग बम्बई और कलकत्ता को छोड़ कर यहां आवें और यहां पर उद्योग को पनपावें। सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों के कारण यदि आप वहां नहीं रह सकते तो आपको वहां पर टक्कर लेने की आवश्यकता नहीं है, आप होम कमिंग हो सकते हैं। मुझे अफसोस होता है मित्रों की बात सुन कर। और राज्यों में तो नये नये उद्योगपति उत्पन्न करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास बड़े बड़े अनुभवी उद्योगपति हैं जिनको सारा हिन्दुस्तान मानता है और सारी दुनिया मानती है कि ये अच्छे और कुशल उद्योगपति हैं, उनको हम अब तक राजस्थान में नहीं ला सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वे हमारे ही राजस्थानी भाई हैं उनको हम राजस्थान में वापिस लाकर बसावें और उनके साथ दूसरे लोगों को भी बुलाकर बसावें और बसाने की सुविधा देकर उनको यहां बसावें। यदि वे यहां पर बसते हैं तो राजस्थान के विकास के लिये अहम बात होगी।

मैं यह बात मानता हूँ कि हम पूंजीवाद को नहीं बढ़ने देंगे। जो मुनाफे का सिद्धांत, हिन्दुस्तान का आर्थिक सिद्धांत माना गया है, उसी तक सीमित रखें। केवल मुनाफा और उसके जरिये शोषण होता है उसको हमारे आर्थिक विकास के बीच में न आने दें। लेकिन और बातें हैं जिनको हमने मान रखा है इस सदन के जरिये, वह यह है कि राजस्थान में काफी रुपये प्रिवी पर्स के रूप में दिये जाते हैं। हमने जागीरदारी उन्मूलन में करोड़ों रुपये दिये हैं। यह बात राजस्थान के सामाजिक विकास के लिये जरूरी मान कर कीमत दी है। २ अरब रुपये राजस्थान में जागीरदारी और जमींदारी उन्मूलन के लिये देंगे या दे रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि राजस्थान में उद्योग के विकास के लिये बाहर से उद्योगपतियों को बुलाकर सुविधाएं दें और उनको नियमित करने के लिये यहां पर मिल रखें तो यह कहा जाय कि इससे भ्रष्टाचार फैलेगा या कांग्रेस अपनी पार्टी के लिये पैसा प्राप्त करने के लिये ऐसा कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसे कहते हैं? कांग्रेस द्वारा पैसा प्राप्त करने की बात कांग्रेस की है।

माननीय मित्र यह सब जानते हैं कि राजनैतिक पार्टियां धन प्राप्त करना चाहती हैं। मैं नहीं समझता, वे कल्पवृक्ष की डालियों को छूकर अपने लिये पैसा प्राप्त कर लेते होंगे। यदि पैसा चाहिये तो ठीक ढंग से ही

(श्री जनार्दनराय नागर)

आना चाहिये। यदि राजस्थान की कांग्रेस पैसा लेती है, तो कल्पवृक्ष की डालियां छूकर आपके लिये धन आता हो, ऐसी बात नहीं है। हम इन्कार नहीं करते हैं कि राजस्थान के उद्योगपतियों के पास जाते हैं और कांग्रेस के काम–काज के लिये पैसा लाते हैं। लेकिन यह कह दिया कि हम भ्रष्टाचार से लेते हैं, मैं समझता हूँ कि यह सिद्ध करने की बात है।

मैंने बार बार कहा है कि भ्रष्टाचार की बात जो करते हैं हैं वे घटनाओं के ऊपर बात नहीं करते हैं, मनोवैज्ञानिक ढंग के ऊपर बात करते हैं। राजस्थान के अन्दर कांग्रेस सरकार के द्वारा जो जनता के लिए नियम बनाये जाते हैं, वे कांग्रेस की जिम्मेदारी को निभाने के लिए बनाये जाते हैं, वे इस दृष्टि से भी बनाये जाते हैं कि भ्रष्टाचार मिटे। मैं नहीं कहता कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के उदाहरण नहीं मिलते; राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं है, लाल फीताशाही नहीं है। पर यह राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक कारणों से ही राजस्थान में दृष्टिगोचर होता है। इस संदर्भ में यह कहना, मैं समझता हूँ, अप्रासंगिक है। मैं इन बातों को अप्रासंगिक मानता हूँ। इन बातों के द्वारा वे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करना चाहते हैं, लेकिन इस मनोवैज्ञनिक प्रभाव को पैदा करने में उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। मुझे अन्देशा था कि राजस्थान में वह दिन आने वाला है जब जातीयता और साम्प्रदायिकता की बात करके, नई नई बातें करके, नये नये नारे लगाकर और देश में कॉम्युनिज्म और राष्ट्रीयता की बात करके राजनैतिक दल के लोग हमारे सामने आने वाले हैं। हमें इसका अन्देशा था और इसलिए ही हम सावधान थे। इसलिए ही राजस्थान में विकेन्द्रीकरण के द्वारा राजस्थान में आर्थिक, सामाजिक दशा में परिवर्तन करने का हमारा लक्ष्य रहा है। ईश्वर को धन्यवाद है कि हमारा विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य पंचायत के स्तर तक सफल होता जा रहा है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर औद्योगिक आधारशिला डाल दी जाए। उसके लिए राजस्थान के अन्दर कानून बनाये जिसके तहत राजस्थान के और राजस्थान के बाहर रहने वाले उद्योगपति, जो प्रयोग करने वाले हैं उनको पूरे विश्वास के साथ उद्योग स्थापित करने को कहें और उनके उत्पादन के वितरण की समस्या आयेगी, समाजवाद के आधार पर आर्थिक व सामाजिक जीवन के निर्माण व उन्नति की समस्या आयेगी, उन समस्याओं की ओर राजस्थान सरकार ध्यान देगी और उसको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अखिल भारतीय नीतियों के अनुसार ही राजस्थान सरकार की नीतियों का संचालन होता है।

यह बिल बहुत छोटा है, बहुत स्पष्ट है, साफ साफ भाषा में लिखा हुआ है। सरकार का इरादा बहुत स्पष्ट है। उद्योगों को मदद देने का, उनको प्रोत्साहन देने का वातावरण बनेगा। हो सकता है कि उद्योग विभाग को यह कार्य करने में देर हो जाए, औपचारिकता की वजह से उसमें देरी हो जाए। उस देरी को दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है। इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। सदन के द्वारा यह कानून बना दिया जाए क्योंकि यह नीतियों के बारे में, बिना लम्बी–चौड़ी बातें किये हुए, सारे हिन्दुस्तान में और सारी दुनिया में घोषणा करने वाला है कि राजस्थान

Page No.58

(श्री जनार्दनराय नागर)

को उर्वरा भूमि, जल और आकाश, राजस्थान के औद्योगिक निर्माण के लिए आपकी ओर देख रहे हैं, प्रेम के साथ देख रहे हैं।

मैं समझता हूँ इसको प्रवर समति में भेज कर इसमें देरी करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिस पर प्रवर समिति में बैठ कर विचार किया जाय। आज की आवश्यकता है कि हम घोषणा कर दें राजस्थान के रहने वालों के लिए, राजस्थान के बाहर रहने वालों के लिए, कि औद्योगिक विकास के कार्य में हम राहत देने वाले हैं, उसमें अब देर नहीं होगी। इसके लिए पूरी मदद दी जायगी, अगर पानी की जरूरत होगी तो राजस्थान के बांधों से पानी दिया जायगा व अगर बिजली की जरूरत होगी तो सस्ती और अच्छी बिजली मुहैया करेंगे। यह बात कहने की जरूरत है। अब तक राजस्थान सरकार ने कहा है, सरकार के मंत्रियों ने, जब वे बाहर कलकत्ता वगैरह जाते हैं, भाषणों में इस बात को कहा है, उसके बावजूद सरकार के मंत्रियों की घोषणा के बाद सदन के द्वारा निश्चित आश्वासन राजस्थान के उद्योगपतियों और देश के उद्योगपतियों को देने की आवश्यकता है कानून बना कर। इसलिए इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जो इसका विरोध किया गया है वह अपनी ना-समझी के कारण और अपने उद्देश्यों के विचार से किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सदन के सामने है यह छोटे उद्योग और वृहद् उद्योगों को सहायता देने के सम्बन्ध में है। इस विधेयक को प्रवर समिति को देने का जो प्रस्ताव है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि हमारे देश में हम एक योजना के आधार पर काम कर रहे हैं और जब योजना के आधार पर काम करते हैं और उस आधार पर, योजना को कामयाब बनाने की दृष्टि से, कानून बनाते हैं। मगर कानून में हमें देखना पड़ेगा कि जिस मूलभूत उद्देश्य को लेकर हम कानून बनाने जा रहे हैं, जिस मूलभूत उद्देश्य के जरिये, कानून के जरिये, हम सहायता देने जा रहे हैं, उस सहायता योजना को कामयाब करने में कुछ लाभ होगा या नहीं। जहां तक योजना का लक्ष्य है वह स्पष्ट है और साफ है। हम योजना बना कर, बाहर से पैसा लेकर, जनता से भी पैसा-कर्ज लेकर, बोण्ड बेच करके, उसी पैसे को हम जनता के अन्दर देना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि वह क्यों देना चाहते हैं? हमारा मूल उद्देश्य यह है कि यह पैसा देकर हम हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ायें, उद्योग बढ़ायें, उत्पादन बढ़ायें और उसके साथ ही साथ जो बेकार बैठे हैं, उन लोगों को काम दें। ये दो मूलभूत उद्देश्य हैं हमारे सामने, जिनकी हमें पूर्ति करनी है और उनकी पूर्ति करने के लिए हम बाहर से, जनता से पैसा लेकर देना चाहते हैं। अब जो छोटे उद्योगों को या गृह उद्योगों को पैसा आज तक हमने दिया है, उसका हमको कहां तक, किस प्रकार लाभ मिला है, इसको देखना है। क्या जो पैसा, जिस मूलभूत उद्देश्य को लेकर दिया है तो इस पैसे से क्या हमारे राज्य का उत्पादन बढ़ा है, पैसे को देकर कितने आदमियों को काम दिया गया है ताकि बेकार लोग काम पर लग सकें

(श्री मुरलीधर व्यास)

और पैसा प्राप्त कर सकें। यह हमें आंकड़ों से अन्दाज लग सकता है कि जो पैसा दिया, उसका क्या लाभ मिला।

(१. ५५ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो विधेयक है, इसके अन्तर्गत हमने ये सुविधा रखी हैं कि कोई अगर छोटे उद्योग खोलते हैं तो उसको साधन देंगे, सुविधा देंगे, जमीन देंगे, पानी देंगे और पैसे की भी सहायता देंगे। इसमें हर प्रकार की सुविधा रखी है, हम कन्ट्रोल्ड कॉमोडिटीज भी देंगे। जब हर प्रकार की सुविधा हमने इसमें रखी है तो हमें यह देखना है कि हमें उसको दिये हुए पैसे का लाभ मिल रहा है या नहीं। कानून के बनाते समय हम यह ख्याल रखें कि यह दे तो रहे हैं और देंगे और कानून में इस प्रकार की योजना रहेगी, लेकिन जो कुछ दे रहे हैं. इस धन का कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं ? जिस उद्देश्य को सामने रख कर दे रहे हैं, उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं ? अगर इन दोनों बातों का समन्वय इस विधेयक में नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि उसका लाभ नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि इस विधेयक में अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान है, वह इसलिए है कि हम चाहते हैं, जैसा कई सम्माननीय सदस्यों ने कहा, मुल्क की उन्नति की दृष्टि से विकास की दृष्टि से, दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका कोई विरोध नहीं करता है। कौन नहीं चाहता कि मुल्क की उन्नति न हो ? परन्तु हम देखते हैं कि जो पैसा हम दे रहे हैं, जिस तरीके से वसूल करके दे रहे हैं, किस प्रकार लोगों के ऊपर टैक्स लगाकर पैसा वसूल करके दे रहे हैं, उस पैसे का कुछ लाभ हो रहा है या नहीं ? यह देखते हैं तो मालूम होता है कि छोटे उद्योगों में पैसा लगाया जा रहा है, गृह उद्योगों में पैसा लगाया जा रहा है, उसमें से ५० प्रतिशत से ज्यादा पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास आंकड़े हैं, जिसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि हमने जिन जिन योजनाओं के अन्दर, छोटे उद्योगों के प्रोत्साहन के अन्दर, इस प्रकार इतना इतना पैसा दिया और इतने पैसे को देने से इतना उत्पादन बढ़ा, इतने लोगों को काम मिला। मैं कहना चाहता हूँ कि वे आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। वे नहीं हैं तो नतीजा क्या रहा ? जिस मूलभूत उद्देश्य को लेकर पैसा लगाना चाहते हैं, उसका उपयोग नहीं होता। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस कानून के अन्तर्गत, विधेयक के अन्तर्गत, हम कभी अनुभव करते हैं और वह है कि अपने राज्य के पैसे को जिस मूलभूत, बुनियादी, उद्देश्य को लेकर लगाया, वह पूरा नहीं हो रहा है। उसको पूरा करने के लिए इस विधेयक के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वह पूरा हो सके।

अब मैं सोचता हूँ कि आपने इसके अन्तर्गत सारी सुविधा देने की योजना रखी है और सुविधा के साथ साथ आपको यह ख्याल रखना चाहिए कि इस व्यक्ति को. इस कॉओपरेटिव को, इस संस्था को, कितना पैसा इस काम के लिए दिया, उसने इतना पैसा लगाया। अब इतने पैसे के अन्तर्गत, उसकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, इतना पैसा लगाकर इतना प्रोडक्शन करेगा और

(श्री जनार्दनराय नागर)

उसके साथ कितने आदमियों को काम देगा। इन दोनों का समन्वय बैठ जाता है तो आपकी योजना कामयाब होगी। आप समझ जाइये कि इस दृष्टि से आप ये साधन दीजिये, यह सुविधा दीजिये, कंट्रोल्ड कॉमोडिटीज दीजिये। कंट्रोल्ड कमोडिटीज में हम देखते हैं कि लोहा है, वह दिया। छोटे उद्योगों को इतना लोहा मिलता कहीं हैं।

(२ म० प०)

इस प्रकार को रेट्स के साथ साथ सबको मालूम हो कि ये रेट्स हैं तो इसका कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन आसानी से निकाला जा सकता है कि इतनी प्रोड्क्शन हुई, कुल इतनी कोस्ट लगी, इतना प्रोडक्शन इस कोस्ट में होना चाहिये। आप पैसा देते हैं, उसके जरिये जो साधन देते हैं, उनसे जो चीजें पैदा होती हैं, वे चीजें आपकी आंखों के सामने आनी चाहिये जिससे आपको पता रहे कि इस प्रकार की चीजें, इतनी तादाद में, इस कीमत में, पैदा हुई और इनके पैदा करने में इतने आदमियों को काम पर लगाया गया। इस प्रकार की सब चीजें रखी जायं तब तो आपको, जो पैसा लगाया जाता है, उसका लाभ मिल सकता है। जो पैसा लगाते हैं उनका पूरा पूरा लाभ उठाने के लिये ये सब चीजें इस विधेयक में जोड़नी पड़ेंगी, नहीं जोड़ेंगे तो जिस प्रकार की आज संस्थाएं बनी हुई हैं, लोग झूंटी-झूंटी संस्थाएं बना कर पैसा लेते हैं, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा था, तो यह कहा गया कि यह तो राजनैतिक स्टेट है लोगों ने विरोध किया, मैं उस तरह विरोध नहीं करता, वास्तव में यह राजनैतिक स्टेट नहीं, आपसे पैसा प्राप्त करने के लिये झूंटी संस्थाएं बनाई जाती हैं, बोर्ड लगाए जाते हैं, संस्थाएं खरीद ली जाती है, लैटर हैड छप जाते हैं, पर उस स्थान पर चले जाओ पता लगाते, पर वहां एक भी मजदूर काम नहीं करता।

हम कोटा देते हैं, पैसा देते हैं, सहायता देते हैं; इसलिये देते हैं कि आज हमारा देश गरीब है, हमारे देश में बेकारी है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों को काम देने के लिये ही पैसा देते हैं। पर इस तरह की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग झूंठी संस्थाएं बना कर पैसा ले लेते हैं और काम कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण सारे राजस्थान में यह हो रहा है कि छोटे उद्योगों के नाम से और अन्य उद्योगों के नाम से पैसा लिया जाता है, उससे कोई काम नहीं किया जाता, लोगों को कोई काम पर नहीं लगाया जाता। जितने बोण्ड्स बेचे जाते हैं बहुत से व्यापारियों को प्रेस करके बेचे जाते हैं। प्रेस करने पर सहायता के नाम पर वे लोग खरीद लेते हैं। बीकानेर में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं। तो इस प्रकार के प्रावधान रखने के बिना इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिये मैं इस बिल के अन्तर्गत इस तरह का फंडामेन्टल प्रावधान चाहता हूँ कि जो मूलभूत उद्देश्य हमारा लोगों को काम देने का, बेकारी को मिटाने का, देश का उत्पादन बढ़ाने का है, उसे प्राप्त करने के लिये ऐसा प्रावधान रखें ताकि इनकी अच्छी तरह से जांच की जा सके; हम देख सकें कि जिस उद्देश्य से हम यह सहायता दे रहे हैं, उसमें कहां तक कामयाबी मिल रही है, इस चीज को हम आंक सकें। आपको भी यह अनुभव है और आपका अनुभव सच्चा है, कि लोग इस प्रकार का दुरुपयोग करते हैं, तो मूल उद्देश्य को प्राप्त

(श्री जनार्दनराय नागर)

करने के लिये आपको इस बिल में ये बुनियादी चीजें रखनी चाहिये जिससे कि जो सहायता आप करना चाहते हैं उसकी जांच कर सकें, नाप सकें और इसके बाद इसमें इस प्रकार की धाराएं होनी चाहिये कि इतने आदमी काम करते हुए पाये जाने चाहिये, उनकी पे-शीट्स होनी चाहिये, उनकी हाजरी होनी चाहिये, तभी हमारी योजना कामयाब हो सकती है, वरना इतने से विधेयक में केवल पैसे देने का प्रावधान रखा तो हम मूलभूत उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिये जो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में देने का सुझाव है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिये ताकि जो हमारा मूलभूत उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकें और हमारी योजना को कामयाब कर सकें ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू सु.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में उद्योगों को अधिक सहायता देने के लिये बिल प्रस्तुत है, इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। जो विचार माननीय सदस्यों ने सदन में रखे हैं और आज राजस्थान में जो उद्योगों की हालत है, इनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उद्योग हमारे राजस्थान में बढ़ें, उनसे लोगों को काम मिले, हमारे राजस्थान का उत्पादन बढ़े, यह सभी चाहते हैं। राजस्थान सरकार की जो मंशा है उस पर विचार करते हैं तो राजस्थान के जितने उद्योग-धन्धे हैं, जो उद्योग-धन्धे सरकारी सहायता से चलते हैं, उन पर हमारी नजर जाती है कि राजस्थान की जनता को, डेढ़ करोड़ जनता को, उनसे कितना फायदा पहुँचता है। हमें सोचना पड़ता है कि इस प्रकार के बिलों से जिन लोगों को लाभ मिलता है उन लोगों के अलावा उन गरीब लोगों को, साधारण लोगों को, जिनका कि इन उद्योगों से पालन करने का सरकार कहती है, उन लोगों को, इनसे लाभ मिलता है कि नहीं; जिन गरीबों का उद्धार इनसे सरकार करना चाहती है उनका उद्धार होता है कि नहीं ? इस प्रकार के बिल पास करने से पहले हमें यह सब कुछ देखना पड़ेगा। यह बिना देखे ही इसकी पुष्टि करेंगे तो जिन लोगों की सहायता के लिए, लाभ के लिए, जिन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह सदन चलता है, उन अधिकारों का हम हनन करेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष, आज राजस्थान में उद्योगों में करोड़ों का कारोबार चलता है, उनसे गरीबों का उद्धार नहीं होता। सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टरी की बात चल रही थी कि ६० लाख रुपया राजस्थान सरकार ने उसको दिया, सीमेंट बनती है और राजस्थान में सप्लाई होती है, पर आज सीमेंट देने की यह हालत है कि हम दो बोरी सीमेंट के लिए दिन भर तड़फते हैं, दिन भर तड़फने पर बड़ी मुश्किल से दो बोरियां मिलती हैं। बाजार में जाकर इन बोरियों को खरीदें तो आराम से पांच सौ, हजार बोरियां मिल सकती हैं। मन्त्री महोदय अगर चाहते हों तो त्रिपोलिया बाजार में जाकर १० रुपया बोरी के हिसाब से एक हजार बोरियों का सौदा कर लें। यह नमूना है हमारे उद्योग आदि को सहायता देने का; यह राजस्थान सरकार का तरीका है सहायता देने का। उनसे हिसाब नहीं लिया जाता कि तुम्हारी सीमेंट की बोरियां कहां

(श्री लादूराम मुलाणिया)

जाती हैं।

हमारा कहना यह है कि जो रुपया दिया जाय और उससे जो चीज पैदा की जाय उसका सदुपयोग होता है या नहीं, यह देखना है। माननीय उपाध्यक्षजी, सीमेंट के बारे में जैसा कि मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने बतलाया हमारे पूरे राजस्थान की हालत इस प्रकार की है। दो सीमेंट की बोरी आज मिल नहीं सकती और आप यदि ब्लैक से लेना चाहें तो हजारों बोरी खरीदी जा सकती हैं, उसके लिए कोई बात नहीं। इस प्रकार से साधारण जनता को अपने घर की मरम्मत के लिये दो सीमेंट की बोरी की आवश्यकता रहती है तो सारा दिन सप्लाई ऑफिस में खर्च हो जाता है फिर कहीं जाकर के दो बोर सीमेंट का परमिट मिलता है। इसी प्रकार चद्दरों के बारे में लीजिए; आज किसी को अपने घर को ढकने लिये चद्दरों की आवश्यकता हो तो वे नहीं मिल पातीं और ब्लैक से आप हजारों की संख्या में चद्दरें ले सकते हैं। या तो सरकार की आखें मिंची हुई हैं या उसके द्वारा इस प्रकार के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है या उनके कानों के अन्दर रूई चा है। इस बारे में माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें। हम जो कोटा उनको देते हैं या धन देते हैं, उस धन से, साधारण लोगों को फायदा होना चाहिए, वह न होकर वह माल ब्लैक मार्केट में जाकर बिकता है। आज हमारी इन्डस्ट्रियल पॉलिसी इस प्रकार की बनती जा रही है जिससे जो लखपति लोग हैं और ज्यादा धनवान होते जा रहे हैं वे हमेशा सरकार के धन से अपना फायदा उठाने की सोचते हैं। जनता को सुख-शान्ति मिला ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिये।। इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल राज्य सरकार के सामने रखना चाहूँगा, वह मिसाल यह है कि जिससे राज्य सरकार के पैर हिलेंगे। पैर हिलने का मतलब यह है कि जिन लोगों को सहायता देते हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने थोड़ी देर पहले बताया उन लोगों से चन्दा लेने जरूर जाते हैं; वह इसलिये कि जिन लोगों को सरकार द्वारा सहायता मिलती है उनसे चन्दा ज्यादा वसूल होता है और उससे वे अपनी संस्था को मजबूत करते हैं। अगर वे साधारण जनता से चन्दा लें तो उनको पता चल जायगा कि उनको कितनी सहायता मिल सकती है। जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं या जिन्होंने केवल बोर्ड लगा रखा है उन लोगों को उद्योग धन्धे खोलने के लिए चन्दा मिलता है, आप उनका हिसाब देखें, उनके आंकड़े देखें, तो आपको इस बात का विश्वास हो सकता है कि उनके यहां किस प्रकार से गोलमाल चलता है।

खादी ग्राम उद्योग के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं, एक बुनकरों की सहकारी समिति है, जयपुर से पांच छः मील दूर, जैतावली गांव में, सरकारी सहायता के बिना वह चल नहीं सकती थी। एक दफा सरकार द्वारा उस सहकारी समिति को छोटी सी सहायता दी गई। उन्होंने कपड़ा बनाने के लिये खटकड़ा बनाया लेकिन सरकार उनको उसके लिये भूमिदान नहीं कर सकी। इसके बारे में राज्य सरकार को हजारों प्रार्थना-पत्र इन आठ सालों के दरमियान आये होंगे। मिनिस्टर महोदय के पास भी प्रार्थना-पत्र आये होंगे, उद्योग धन्धों पर जितने भी सुपरविजन करने वाले अधिकारी हैं उनके पास प्रार्थना-पत्र गये होंगे लेकिन चार लकड़ी खड़े करने की जगह तक उनको

(श्री लादूराम सुलाणिया)

नहीं मिली।

दूसरी तरफ एक पूंजीपति है जिसका कोई कारखाना नहीं, उसको, चाहे जितना लोन मिल जाता है, आराम से धन मिल जाता है। किन्तु जैतावली के लोगों को दुबारा लोन तक नहीं दिया गया, खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप धन दें हमें कोई एतराज नहीं, इस बिल के द्वारा लोगों को सहायता दें, हमें किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा, लेकिन जिनको धन दिया जाता है उसका हिसाब तक नहीं लिया जाता है, इससे साधारण जनता को किसी प्रकार लाभ नहीं मिलता है, इसी बात से ज्यादा विरोध है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले प्रश्नोत्तर काल में माननीय मंत्री एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे ....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रसंग पर बोलिये, आप तो क्वेश्चन पर चले गये।

श्री लादूराम सुलाणियां : मैं इसी बिल के दायरे में ही बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो क्वेश्चन अवर का जिक्र ले आये।

श्री लादूराम सुलाणियां : समाज कल्याण विभाग भी तो आपका ही डिपार्टमेंट है, मुझे उसके बारे में कुछ निवेदन करना था....

श्री उपाध्यक्ष : मैं उसकी आज्ञा नहीं दूंगा। आप प्रसंग पर बोलिये, विधेयक पर बोलिये।

श्री लादूराम सुलाणिया : हमारे जो उद्योग हैं उन उद्योगों के बारे में आप धन देते हैं, उनसे उद्योग चलता है, गृह निर्माण उद्योग भी उसी प्रकार का उद्योग है। हमारी सरकार ने गृह निर्माण की व्यवस्था की है, इसके लिए राज्य सरकार काफी रुपयों का प्रबन्ध करती है, शहरों के अन्दर लोन देती है, गांवों में उतना लोन नहीं देती है। परिगणित जाति के लोगों की सहायतार्थ ७५.० रुपया अवश्य नहीं दिया जाता है। सांगानेर से जयपुर आनेवाली रोड है जिसके बीच में दुर्गापुरा ग्राम है उस रोड से शाही महमान आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग उधर से आते हैं, हमारे नायक नेहरूजी जब कभी पधारते हैं उसी रास्ते से आते हैं, माननीय मंत्री महोदय भी दिन में एक-दो बार उधर जरूर जाते होंगे। गृह निर्माण के लिये वहां की पंचायत ने सड़क के किनारे एक प्लॉट हरिजन को दिया। वह कीमत देकर उस पर मकान बनाने लगा और वह मकान एक मंजिल तक आगया तो लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह सड़क के किनारे जो मकान है वह हरिजन का है, भंगी का है, उसको रोड के ऊपर मकान बनाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह शिकायत भी इस विधेयक के अन्तर्गत है ?

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं निवेदन कर रहा हूं कि सरकार का धन जो उद्योगों में लगाया हुआ है उसका सदुपयोग होना चाहिये, माननीय मन्त्री महोदय इस ओर ज्यादा ध्यान दें। इसके अलावा मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बिल के जितने क्लॉज बनायें उसके साथ यह भी है कि इसके नियम

(श्री लादूराम सुलाणिया)

सरकार बाद में बनायेगी इससे मैं समझता हूं यह बिल अधूरा है। यह हम जानते हैं कि बिल पास होने के बाद सरकार किस प्रकार के नियम आदि बनायगी। क्यों नहीं पूरे नियमों के साथ ही बिल सदन में पेश कर देते? लॉ डिपार्टमेंट उनके पास है, उनको सब साधन उपलब्ध हैं. ऐसी हालत में भी पूरा बिल नहीं लाया जाता, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि यह जो नियम बाद में बनाने की बात है उस पर सदन को प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। बिल पहले बने और पारित हो और उसके अन्तर्गत नियम बाद में बनें, उससे मैं मानता हूं जिस प्रकार घर के जीमने वाले और घर के ही परोसने वाले। फिर मन चाहे नियम बन जाते हैं। आज कुटीर उद्योग को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं, अगर आज पत्ते काटने के लिये कोई ४००रुपये का भी कर्ज लेना चाहे, वह नहीं मिल सकता। बड़े बड़े उद्योगपति राजस्थान में कुटीर उद्योग के नाम पर पत्ते काटने के लिये भी पचास हजार रुपये की मांग करें तो यह उनको मिल जाता हैं क्योंकि उसमें से हजारों रुपया उसमें निचुड़कर उनकी संस्था को चंदे के रूप में मिल जाता है, जैसा कि इसी सदन में मेरे से पूर्व बोलने वाले सदस्यों ने कहा। मेरा तो यह निवेदन है कि कोई भी संस्था चलती है तो उसको अपने बल-बूते पर चलनी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,हमारे उद्योग मंत्रीजी को चाहिये कि जो भी बिल पेश करें वह पूरा बना करके पेश करें, इसलिये इसको पहले सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय उसके बाद पारित हो। यह हो सकता है कि अब चुनाव के पांच महीने रह गये हैं. उनसे आप फायदा उठाना चाहते हैं तो दूसरी बात लेकिन इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करके अगले सेशन में उसको पास करें।

अगर माननीय मंत्रीजी चाहें कि यह सारी बुराई आये या न आये मुझे तो इस बिल को पास कराना है, तो सदन में चूंकि उनका बहुमत है, पास करायेंगे। लेकिन जनता के खून-पसीने का जो पैसा इक्ठा किया हुआ है, उस धन को, पूंजीपतियों को लुटायें। उसको रोकने के लिए इस बिल से तो हमारे पास रास्ता नहीं है लेकिन इसके द्वारा नहीं तो दूसरे जरिये से रोकना हमको पड़ेगा और जब तक रुकेगा नहीं जनता की भलाई नहीं हो सकती। बड़े पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए और उस नाम पर इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए यह नहीं होना चाहिये। छोटे छोटे उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, लोन देने के लिए तो प्रावधान होना चाहिये था, उनको मिलना चाहिये था, जो करोड़पति हैं उनको फिर क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने कई बार कह दिया है इस प्रश्न को। माननीय मंत्री महोदय शायद समझ गये होंगे आपके प्रश्न को।

श्री लादूराम सुलाणिया : हो सकता है कि समझें या न समझें। यह उनके विचार पर है। मेरा निवेदन स्पष्ट है। उद्योगों में घोटाला होता है, उन लोगों को उनसे बचाया जाय, मैं उदाहरण के लिए कहूँगा कि बिड़ला इन्डस्ट्रीज जयपुर में चलती है। हजार डेढ़ हजार मजदूर काम करते हैं। माननीय सदस्य ने बताया कि लोन लेकर काम करते हैं। उनके रजिस्टर चैक होने चाहिये कि कितना काम वे मजदूरों से लेते हैं। यह पता चल

Page No.65

(श्री लादूराम सुलाखिया)

जावेगा। पांच रुपया मजदूरी की हाजरी पर दस्तखत लेते हैं उस वक्त कम हो जाता है उनको केवल ६०) रुपया माहवार ही देते हैं। इसलिए इस प्रकार के कानून बनायें कि जिनसे मजदूरों को बचाया जा सके, न कि ऐसे कानून। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि लोगों का पसीना बहता रहे और उनको अपने पसीने की कमाई पूरी भी न मिले। इसलिए माननीय मंत्र जी से निवेदन करूंगा कि उद्योग धन्धों के लिए जो धन इस प्रकार से दिया जायगा तो उसका सदुपयोग नहीं होगा। सदुपयोग हो इस पर निष्पक्षता से विचार करने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, यह मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Mr. Deputy Speaker; Sir. I was listening to the debate on the Rajasthan State Aid to Industries Bill, 1961 and an unfortunate turn the debate took was that certain Hon'ble Members made it an occassion to make political speeches. I can assure, though the Hon'ble Leader of Jan Sangh is not here, that this Bill will not dig the grave of the Congress nor as he said it would be utilized for sabotaging purposes, but I can assure that this is a pure and simple Bill for the help of small scale and cottage industries in the State. The rising financial help to these Industries, small and cottage, and the rising employment that these industries will provide in the State will result in rising income of the people of this State and will surely, I can assure him, dig grave of his political party who exploit these little instances, little tensions in the State and who try to creat discontent among the masses. I can assure him that he will or his political party will not be able to do this thing and this is one assurance and one measure that the rising economic development of this State will bring all the opposite parties, whether they are rightist or extreme leftiest or Swatantra Party, to feel that they have failed in creating tension. This is because we hope that in this State economic development has proceeded at a good pace and I am sure that the rising income will give good clothing, good housing and good food.

However, Sir, leaving aside the politics of the election, I would like to say that some people took this occasion also to say that this Bill is going to help the capitalists. They will excuse me, Sir, that probably they are not aware as to the way or the lines on which we want to make the industrial progress in this State. I need not recount the Industrial Policy Resolution but suffice here to say and bring to their knowledge that the Industrial Policy resolution divided the industrial development of the nation into three Sectors. One is the Public Sector and the other exclusively Private Sector and the third taken by either the State or by the Public Sector to establish any industry. These are the three lines on which we want to establish industries

(श्री श्री मानसिंह)

in this State. In the Public Sector, some people have said that the public Sector should have a dominant role. I beg to differ from them because by the growing public sector we cannot say that we are Socialistic State or if we thoroughly increase the private sector, we cannot say that we are capitalist State. All the Sectors have to work in cooperation with each other and only then we can establish the Socialistic State which is suited to our nation or what we call the genius of Soil. We have hardly 10-15 public sector undertakings but with the growing private sector America still continues to be a predominant democratic State. Then Russia has more cooperative sector or call it a collective section, then China has more cooperative sector-they continue to be dictatorial States. They are communist countries. But here in this country, we had chosen to industrialise in a very unique manner. We welcome Cooperative Societies also. If the public and the Cooperative Sector fails, certainly the State will help. Only harmony and cooperation can industrialise such State, and then we can establish Socialistic State of our term.

(२. ३० म. प.)

Why I call it unique because the nation has the goal of Socialistic and a welfare State. I have used these two terms welfare and social. We want to achieve it by democratic methods and means. You read the history of U.S.A. China or Russia, all these three States have industrialised, but in different ways and methods and which varies in degrees. I say India has set on a sort of delicate path. We have to protect industrialists and the employer as well as the labour. Industries have to be protected. We cannot pay compensation. They are the citizens of this State and it is their bounden duty to industrialise this country and for the benefit of the nation. As I said, Sir, we have also to protect the employer but we cannot allow the profit motive to this extent that they exploit the labourers or the workers. On the other hand we have to enact laws like the Housing laws etc. which have been enacted in this country to safeguard these workers. Sir, these are the two interests and they conflict and work in opposit direction. It is rather a delicate path because these two interests have to harmonise, in a method that they work for increasing the production of the nation. If today America has idustrialised but previbusly there was no cooperation to the labour and they were not bound to provide them housing or other facilities and England industrialised as the first country in the world. The other side is or the Communist States. There is no freedom. What they have provided is that they must eat and they must live. We have chosen the mid way. We protect the industrialalists and safeguard the labour. It is ofcourse a delicate part but a Socialistic State guarantees to safeguard the interests through democratic means as to enact

(श्री श्रीभानसिंह)

proper legislation and protect the labour. But with regard to the amount of proctection and licensing etc. for the industries and on the other hand this social welfare legislation, ofcourse, the phase of the opposite party is to criticise. They must criticise but that criticism must give us some solutions. Moreover, Sir, there is one Hon'ble member from Jan Sangh they have no industrials policy of their own..

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : You have not yet seen our menifesto.

श्री श्रीभानसिंह : Further, Sir, a party which exploits the religion cannot give us good in the name of the nation. They want to rise their economic standard and unfortunately they want to feed them. I am afraid with these methods, they can criticise but they must bring certain solutions. They should say, this is the problem and this is the way to solve them. They have the extreme measures and extreme measures have no way.

Sir, as I have drawn the attention of the House, there have been a few cases of favouritism But what I want to say is that in the present circumstances, Rajasthan has certainly progressed. I can compliment the Hon'ble Industries Minister though there have been certain mistakes also but from the point of employment that has been given to the people, Rajasthan has been progressing.

Sir, I also find that there is some flaw in the Industrial Policy. They must be corrected. There is a growing complaint that poorer are becoming poorer of course this is a criticism. Much is said about the controls and there is some truth in these criticisms.

I notice one thing more There is some discrimination in the grant of licenses. If we rationalise the policy of licensing we will be able to save the foreign exchange reserve and industrialise the State sooner.

Another point that I want to emphasise is that the Cottage industries are today managed by the Handicrafts Boards, Ofcourse, I am not against these Boards. But in the industrial boards, unfortunately this de-centralation in not being done in the State.

We have created institutions like Panchayat Semitis aud Zila parishads and I think that these two institutions are quite competent to start small scale-industries Personally I am of the opinion that the cottage industries can best be started by the Panchayat Samitis, because they know what local material is available They can manage them better and this sort of industries will also provide a rising income to the Panchay at Samitis. At the district level, I think, Zila Parishad is a better authority and better body to start industries, which are for the benefit of the district and they can have better knowledge, better mangelment and better finance than probaby

(श्री श्रीभानसिंह)

the All-India Handcrafts Board sitting at Delhi or the Khadi Gramodyog Board at Jaipur. So if we want to help industrialisation, we have to bring about slowly and gradually, what is called industrial decentralisation along with democratic decentralisation.

Sir, somehow or the other, there also a certain amount of confusion as regards classification, Probably, Hon'ble Minister will be able to clarify better as to what is cottage industry and what type and how many types of industries are classified as cottage industries. I cannot off hand say, but there are certain cottage industries, which cannot very well be taken up as small scale industries with higher devices, with better machinery and with better aid to the small scale industry, but still, somehow or the other, if I am not mistaken, there is a certain rigidness laid down by the All-India Khadi Board or some such Board that these industries will be classsified as cottage and these will be classified as otherwise. There cannot be rigidness as regards small scale industries or cottage industries somehow or the other.

Sir, in the end, I have said that there should be a change of the list. There should be industrial decentralisation and now I come to one other point and it is that I do not wholly agree with the industrial policy of the State. This Bill, is good. I welcome it, it might be able to provide finance. You will finance the small scale and cottage industry, but where from do we have the finance. There is something wrong in our planning. We will probably not be able to have sufficient amount of money, which we want to give to these small scale industries, because these are industries which we want to establish in our countryside, in our rural areas. I do not wholly agree with the execution of the scheme of industrial estates, because all these industrial estates are being concentrated either at Jaipur or other urban places like Jodhpur, Bikaner, Bharatpur, Dholpur, etc; all these towns prosper while the need is that these industrial estates must go to rural areas. It is there they must provide employment, it is there they must provide rising income for bridging the wide gap, the Planning has generated, In our country, it has also generated a great gap between the rural and urban incomes and if we concentrate our industries in the urban areas, then there will be such gap between the urban and rural areas that the standard of rural masses will not rise and there may be even tension between the two aress, Hence all these industrial estates, all these cottage industries, all these small scale industries, must go to the rural areas, where they must provide employment, they must provide rising income, so that gap between the rural and urban incomes must be bridged. Somehow or the other, as I said, the State will provide finance, of course from the

Page No.69

(श्री श्रीमानसिंह)

Consolidated Fun', but the industrial amount in the Third Plan has been reduced and we will have insufficient funds. Why? Because, personally I think, that there is something wrong with our Planning. There seems to be over-emphasis on agriculture in the State or say even at the all-India level

Recently somebody worked out that the needs of the country during the Third Five Year Plan will be about 95 million tons of foodgrains, while we have made a provision of about 105 or 110 million tons of foodgrains in that Plan.

I do not understand that when the experts have worked out that with 20 ounces per day, you make a provision for feeding everybody, the total food consumption in India comes to about 95 million tons, then why there is need of providing another 110 million tons? Similar is the case of Rajasthan agriculture. That is why I said, there is defective planning. One point you have to note, that there is scarcity of resources and those resources have to be utilised to the best of ability. Planning means this thing. I am not against higher production, but what I am against is that when we have scarce resources, why those scarce resources are being utilised more and more towards agriculture when 95 million tons of foodgrains will provide 20 ounces per day to every human being in the country? If we had planned development, if we had rather utilised these small scale resources to the best of our advantage, we could have ploughed back a certain amount of increase in agriculture back to industry and then we can have a balanced agriculture, balanced industrial development rather than a top heavy investment in agricultural scarce resources and less in industrial development. It has also to be viewed in this context that if we want to bridge the gap, if we want to indstrialise the country, we have, to a certain extent, also to utilise the scarce resources in a manner deriving maximum benefit from them.

The last suggestion that I would make is that I agree to the State Government providing finances for the growth of small scale industries and cottage industries, but I cannot understand as to why we cannot create a sort of small scale Finance Corporation for these cottage and small scale industries and whatever amount that we have, place it at the disposal of this Corporation is like the Corporation for bigger industries, we can have this small scale Industrial Finance Corporation and provide these funds to that Corporation, so that the Corporation may finance and run on similar lines as for bigger industries.

With these words, while welcoming the Bill with these suggestions, I once again say this thing that we may invite the co-operation of the Opposition that this is a good measure and of

(श्री श्रीमानसिंह)

course whatever little assurance I could give them for using it for the general good, they should now see that atleast we should not mistrust each other. After all this is for the financing of the industry. This will not provide finance either to the party or to any other political institution or agency.

श्री रामचन्द्र (डग–सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने एक बहुत आवश्यक और सामयिक बिल आया है। इसलिये इस वक्त इस राज्य के लिये अत्यन्त आवश्यक था कि पिछले दस सालों में राज्य का लक्ष्य हमारी पैदावार को बढ़ाने का रहा और यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दस सालों के सतत् प्रयत्नों से आज राजस्थान इस परिस्थिति में है कि हमारे प्रान्त की पैदावार इतनी हो गई है कि राजस्थान अन्न में आत्मनिर्भर है और इसके साथ साथ इस समय राजस्थान में अन्य पैदावार भी बढ़ाने का जो प्रयत्न किया है वह काफी सराहनीय है।

इतना काम करने के बाद राजस्थान सरकार के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि राजस्थान की जो पैदावार है उसका सदुपयोग किया जाये और राजस्थान की जनता जो तक एक बेकारी के रूप में या यों कहिये कि पूरी तौर से उनको काम नहीं मिलने की वजह से, बहुत ही दयनीय दशा में थी उनको अच्छा काम और सही ढंग से काम दिया जाकर उनकी दशा सुधारी जाये। इसलिए राजस्थान सरकार ने एक कदम उठाया है और वह बहुत सही कदम है कि राजस्थान की जो पैदावार है खास तौर पर यहां के खेती की पैदावार, यहां के पशुओं की पैदावार और यहां के खनिजों की पैदावार, जो राजस्थान की है, उसको कच्चे रूप में दूसरे राज्यों को या देश के बाहर न भेजकर उसको औद्योगिक प्रयत्नों में लगाकर, उसका अधिक से अधिक फायदा उठाया जाये; इसी विचार से राजस्थान में उद्योग धन्धों के विकास करने के लिए सही कदम उठाया है।

अभी कुछ महीनों पहले राजस्थान में, इसी जयपुर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें राजस्थान के उद्योगपतियों को बुलाया गया था और उनके सामने यह समस्या थी कि एक ऐसा जमाना था कि राजस्थान के उद्योगपतियों के पास धन तो था, बुद्धि भी थी, लेकिन रॉ-मेटीरियल नहीं था और उद्योग धन्धे चलाने के लिए जो साधन होने चाहिए, मसलन बिजली, पानी, इत्यादि, जो यहां पर इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं थे कि हम हमारे राज्य की इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए राज्य इसमें कोई विशेष कदम उठा सके। खास तौर पर हमारे उद्योग-धन्धों के पनपने में जो कमी थी वह यह थी कि हमारा एक संगठित राज्य नहीं था। यहां पर २४-२५ रियासतें थीं और हर एक रियासत अपने उद्योग धन्धों को. अपने पैदावार के लिहाज से, उनको, उन्नत करने का प्रयत्न करती थीं। सामुहिक रूप से कोई प्रयत्न नहीं किया गया। यही कारण है कि राजस्थान का धन और बुद्धि बाहर जाकर पनपी और उसने बड़े बड़े उद्योग खोले और बड़ा नाम कमाया। लेकिन आज राजस्थान इस परिस्थिति में है कि जो हमारे राजस्थानी उद्योगपति बाहर काम कर रहे हैं वे राजस्थान में ही अपने उद्योग चलायें। राजस्थान की पैदावार, चाहें वह खेती की हो, चाहे पशुओं की हो या खनिजों

Page No.71

(श्री रामचन्द्र)

की हो, उसको अच्छे प्रोडक्ट्स के रूप में तैयार करके राज्य के अन्दर, देश के अन्दर और देश के बाहर भेजकर अधिक से अधिक धन इकट्ठा करें, यही राज्य की नीति है। तो इस चीज को सही अमल देने के लिए आज सदन के सामने एक बिल आया है कि राजस्थान के उद्योग-धन्धों को सही तौर से पनपाने के लिए जब तक उद्योगपतियों को ठीक तरह से सहायता नहीं देंगे तब तक उद्योग-धन्धे नहीं चल सकते। आज इस बिल में जो सहायता रखी गई है वह कोई नवीन सहायता नहीं है। मैं तो यह समझता हूँ कि यह सहायता हमारे यहां उद्योगों में काम करने वाले लोगों को भिन्न भिन्न विभागों से और खास तौर पर उद्योग विभाग से मिलती रही है। केवल इस विधेयक में तमाम सहायता को इकट्ठा करके एक कानून के रूप में लाने का एक प्रयत्न किया जा रहा है, जो बहुत ही उचित है और यह काम जितनी जल्दी से जल्दी हो अच्छा है, तभी राजस्थान के उद्योग को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलेगी। यह सरकार की मन्शा है लेकिन इतने अच्छे कार्य को सुचारु रूप से करने के लिए और उसका स्वागत करने के बजाय हम देखते हैं कि हमारी दूसरी पार्टी की ओर से उसका विरोध किया जा रहा है। विरोध इसलिए नहीं किया जाता कि यह बिल नहीं लाया जाये, बल्कि वह चाहते हैं कि इस बिल को लाने में अधिक से अधिक जितनी देरी की जाये उतना ही अच्छा है। यह उनकी मन्शा है। इसलिए उनका सुझाव है कि यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाते हैं कि जिनका प्रभाव आम तौर पर जनता के ऊपर पड़ने वाला हो। यहां तो इस बिल का संबंध राजस्थान के विकास से है। राजस्थान के विकास के लिए अच्छे सुझाव देना आज हमारे सदन के प्रत्येक मेम्बर का काम है और उनका कर्तव्य है कि वह अपने अपने क्षेत्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बिल को और अच्छा बनाने के लिए अच्छे से अच्छे सुझाव रखें। लेकिन इसके बजाय वह चाहते हैं कि इस बिल पर अभी विचार न करके इसे प्रवर समिति को दे दिया जाये। प्रवर समिति में मुश्किल से दस, पन्द्रह या बीस मेम्बर्स होंगे। उनकी राय के बजाय यदि राजस्थान की विधान सभा के सभी मेम्बर्स मिलकर, अपनी अपनी समझ के अनुसार, इस बिल को और अधिक यूजफुल अमेन्डमेंट वगैरह मूव करके सामने रखना चाहें तो कोई रुकावट नहीं है। मैं तो यह समझता हूँ कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द न किया जाये। उन्होंने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिए बिल में कोई डिफेक्ट्स नहीं बताये हैं। इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं बताई कि इस बिल में यह कमियां हैं और इसलिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, बल्कि मैं तो यह देखता हूँ कि इन्डस्ट्रीज विभाग में जो विकास हो रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करने के सिवाय और कुछ नहीं किया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसके लिए बिलकुल समर्थन करता हूँ कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को मैंने पढ़ा और सरकार की जो मन्शा है वह निहायत ही अच्छी है, लेकिन मैं यह देखता हूँ कि

(श्री रामचन्द्र)

सरकार जिस मन्शा से बिल पास कर रही है, मैं समझता हूँ कि वह पूरी नहीं होगी। इसके तहत चार प्रकार की इन्डस्ट्रीज बताई; लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज, कॉटेज इन्डस्ट्रीज और विलेज इन्डस्ट्रीज। जो जो सहायता सरकार इन इन्डस्ट्रीज के विकास करने के लिए देती है, मुझे डर है कि वह सहायता केवल लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज और ज्यादा से ज्यादा कहें तो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को ही फायदा पहुंचाने के लिए है। रहा सवाल कॉटेज और विलेज इन्डस्ट्रीज का तो मैं कहीं नहीं देखता कि इन इन्डस्ट्रीज को चलाने वाले लोग इस बिल के पास हो जाने के बाद इस मद के तहत किसी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकेंगे जब कि इन दोनों इन्डस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार की अधिक से अधिक इच्छा है। क्योंकि राजस्थान कृषि प्रधान देश है.. यहां के लोगों का मुख्य धन्धा खेती करना है और पशु पालना है; यही दो धन्धे यहां राजस्थान के लोगों के मुख्य हैं और गांव गांव में जब तक इन धन्धों का विकास नहीं होगा तो इस बिल के अन्दर जो सहायता का प्रावधान रखा गया है उसको पास करने से कॉटेज इन्डस्ट्रीज और विलेज इन्डस्ट्रीज के डेवलपमेंट में विशेष फायदा नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास करने के पहले कुछ ऐसे अमेन्डमेन्ट्स इसमें आने चाहिए कि राजस्थान का जो औद्योगिक विकास हो वह सर्वांगीण हो। न केवल इससे लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज को ही फायदा पहुंचाया जाये बल्कि कॉटेज और विलेज इन्डस्ट्रीज के चलाने वालों को भी इससे सहायता प्राप्त हो सके, तो अच्छा रहेगा। ऐसा प्रावधान अमेन्डमेन्ट के रूप में लाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो मैं और देख रहा हूँ वह यह है कि हमारे यहां पशुधन की प्रचुरता है और राजस्थान की मुख्य पैदावार इन पशुओं के द्वारा हमारे यहां घी; दूध; मक्खन, चमड़ा आदि की होती है। लेकिन इसके विकास और इससे संबंधित जो जो धंधे चल सकते हैं उनके लिए मैंने इस बिल में देखा कि कौन सी सहायता लेकर कोई उद्योगपति या कोई धंधा चलाने वाला उस सहायता को प्राप्त करके इन उद्योगों को चलाने में मदद ले सकता है।

(३. ०० म० प०)

मैं यह देखता हूँ कि इसमें जितनी इन्डस्ट्रीज हैं; देख लीजिये कि जो कॉटेज इन्डस्ट्रीज के हैडिंग में हैं, बी-हाइव इन्डस्ट्री, डेरी फार्मिंग इन्डस्ट्री और पौल्ट्री इन्डस्ट्री तक का जिक्र इसमें आया है, लेकिन राजस्थान की बहुत ही प्रमुख और इम्पॉर्टेन्ट इन्डस्ट्री है, वह किसी भी हैडिंग के अन्दर नहीं है। कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। जब हम इन्डस्ट्रीज को पनपाने के लिए यह एक्ट ला रहे हैं तो जिस इन्डस्ट्री के लिए राजस्थान में सब प्रकार के साधन हैं, उसके लिए मैं यह जानना चाहूँगा कि, इस एक्ट के पास हो जाने से एक लेदर इन्डस्ट्री का काम करने वाले को किस प्रकार से सहायता मिलेगी? उसमें बिजली की आवश्यकता नहीं है; धन तो जो कुछ मिले वह तो है ही, लेकिन वहां पर टेनिंग, चमड़ा रंगने की चीज है; उसका सरकार कोई प्रावधान रखना चाहती है कि लेदर इन्डस्ट्री को चलाने के वास्ते टेनिंग के

Page No.73

(श्री रामचन्द्र)

लिए यह कन्सेशन दिया जायगा। हरेक धन्धे को खास तौर से पनपाने के वास्ते खास खास चीजों की आवश्यकता होती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की एड को दो भागों में बांटना चाहूँगा। वह एड हमें देख लेनी चाहिए थी कि आज बड़े बड़े धन्धों को पनपाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। वह एड हमें देख लेनी चाहिए थी जिसमें छोटे छोटे धन्धों को, खास तौर से स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज जिसमें ५ लाख तक का खर्चा होता है या कॉटेज इन्डस्ट्रीज या विलेज इन्डस्ट्रीज हैं, इनको पनपाने के वास्ते क्या क्या सहायता दे सकते हैं क्योंकि जो सहायता लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज को देंगे उस प्रकार की सहायता छोटे छोटे धन्धा करने वालों के लिए किसी काम की नहीं होगी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल में ठीक इस प्रकार के अमेंडमेंट्स अवश्य आने चाहिए कि राजस्थान का इन्डस्ट्रियल विकास जो है वह सर्वांगीण हो, न कि यहां पर राजस्थान में बड़े बड़े धंधे ही पनप सकें।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उनको देखिये कि इस तरह से हो रहा है।

श्री रामचन्द्र : दूसरी बात यह है कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रियल विकास के लिए हमें इस बात पर खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि राजस्थान में वे इन्डस्ट्रीज अधिक पनपें जिनमें रॉ-मेटेरियल राजस्थान का पैदा हुआ काम में आये; मसलन जैसे हमारे यहां मेवाड़ और कोटा डिवीजन में मक्का की पैदावार ज्यादा होती है तो ऐसे क्षेत्रों में स्टार्च फैक्टरी वगैरह खोली जाय तो वास्तव में यह धन्धा अच्छी तरह से चल सकता है। इसी तरह से कहीं पर वूल फैक्ट्री के लिए और कहीं पर डेरी फार्मिङ्ग के वास्ते रॉ-मेटेरियल मिल सकता है। गर्ज यह है कि राजस्थान की पैदावार को काम में लाते हुए जो धन्धा करेंगे उन धन्धे वालों को विशेष रूप से सहायता दी जानी चाहिए। अब तक जितनी भी इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम की गई हैं मैं यह देखता हूँ कि रॉ—मेटेरियल वह काम में लाया जा रहा है जो कि राजस्थान में नहीं होता है। वह सारा राजस्थान के बाहर से, चाहे दूसरे राज्यों से या बाहर से मंगाकर होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इन्डस्ट्रियल एस्टेट ऐसी हों जिनमें ५० पर्सेन्ट इस तरह के धन्धे चलाये जायं जहां पैदावर राजस्थान की काम में आये और न कि रॉ-मेटेरियल बाहर से इम्पोर्ट करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर बाहर भेजते रहें। इस बिल को पास करने से पहले ठीक प्रकार से देख लिया जाय कि हमारा जो सहायता का सोर्स रखा गया है वह राजस्थान के सब उद्योग धन्धों, चाहे वे छोटे हों, चाहे बड़े हों; उनको ठीक ठीक फायदा पहुंचे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे सदन में जो बिल माननीय मंत्री महोदय द्वारा पेश हुआ है उसमें दो राय नहीं हैं, कि यह बिल देश के लिए अहितकर रूप लेगा। लेकिन उस बिल की जैसी मन्शा है अगर हम इन उद्योगों को पनपाने के ढंग से बिल बनायें तब तो हम भविष्य में जाकर सफल भी हो सकते हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हम छोटे छोटे नये नये उद्योगों को

(श्री हीराभाई)

सहायता देकर पनपाने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ उन इन्डस्ट्रीज का पैदा किया हुआ कोई भी माल खरीदने में हम हमेशा विदेशी ढंग से और विदेशी सभ्यता का रूप देते हैं। इससे हम इन्डस्ट्रीज को पैदा भी करते जायं और साथ साथ जो सहायता देते हैं वह धन भी विदेशी खड्डे में डुबाते चले जायं। अगर हम एक बड़ी इन्डस्ट्री खोलना चाहते हैं तो विदेशों से उसकी मशीनरी वगैरह मंगाते हैं। इसलिए ऐसी इन्डस्ट्री खोलें कि जिसमें जो माल बाहर से लाते हैं वह माल यहां पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो छोटे बड़े हमारे उद्योग पनप सकते हैं। मिनिस्टर महोदय बाहर से, इंग्लैंड के ढंग से, सामान लायेंगे और हमारे छोटे छोटे आदमी जो चीजें बनाते हैं उनको खरीदने वाला कोई नहीं मिलता है। उस ढंग की इन्डस्ट्री से हमारा भला नहीं होता है। मेरा मतलब यह है कि हमें छोटे उद्योगों को धन देना चाहिए और देश की बेकारी को दूर भी करना चाहिए। जैसा कि हमने हिन्दुस्तान को आजाद किया है, वह इस ढंग से नहीं किया है किसी की हत्या के बल से। हमने अहिंसा के बल से भारत को आजाद किया है। तो उस ढंग से छोटी इन्डस्ट्रीज और छोटे उद्योगों को पनपाने के लिए कन्ट्रोल करना चाहिए कि हमारे देश की बनी हुई चीजों का हम उपयोग करें। तब तो जाकर छोटे उद्योग पनप सकते हैं, वर्ना नहीं पनप सकते हैं। एक तरफ तो हम ५०-६० रुपये के बूट पहनते हैं और दूसरी तरफ दस चमारों को इकट्ठा करके १०००) या २०००) रु० की सहायता देते हैं तो वह चमार जो जूते बना देंगे उनको खरीदने की मन्शा नहीं है, तो वह हमारी मन्शा आकाश में चली जायगी, तो आखिर में वही होगा कि मशीन से जो जूते बनते हैं वे १० चमार नहीं बना सकते हैं। मशीन से जो रंग होता है वह इन्डस्ट्रीज में नहीं बन सकता है। अगर कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो बेकारी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। घोड़े को दौड़ायें और उसके पीछे गधे को भी दौड़ायें तो वह घोड़े का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो हमें गधे पर बैठने की आदत डालनी चाहिए, नहीं तो घोड़े पर चलना चाहिए ताकि किसी को भय नहीं हो और हमारे को बर्बाद नहीं करें। हमको बड़े उद्योगों पर कन्ट्रोल करना पड़ेगा। अगर कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे उद्योग हैं वह हमारे देश और धन की बर्बादी के अलावा कोई भलाई नहीं है।

आज आपके जितने उद्योग प्रसार अधिकारी पंचायत समितियों में हैं उनसे न तो राजस्थान सरकार रिपोर्ट लेती है कि अभी तक जितने भी उद्योग-धन्धे शुरू किये थे, प्रसार करने के लिए और क्रियान्वित करने के बारे में उसमें अभी तक उद्योग प्रसार अधिकारी ने कितनी सफलता प्राप्त की है। उसके बारे में न सदन में रिपोर्ट है और न किसी तरह की कोई चीज है।

रहा सवाल खयानत का, तो जिन संस्थाओं ने गुट्ट बनाकर एक इन्डस्ट्री खोली है उन संस्थाओं के लिए हमारी नीति हमेशा यह निर्धारित होती रहेगी कि विरोधी पार्टीवाले इन्डस्ट्रीज चलाते हैं उनके लिए एन्टी-करप्शन और कई तरह के विभाग किसी तरह से भी परेशान करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अगर आज सत्तारूढ़ दल के लोगों के हाथ में इन्डस्ट्री रहेगी तो वह गबन भी कर सकते हैं। उस तरह से गबन करने में, भ्रष्टाचार

(श्री हीराभाई)

करने में, राजस्थान के लोग पीछे पड़े हैं। हमेशा भ्रष्टाचार, गबन और पक्षपात में हम सफल होते चले जा रहे हैं।

यह चुनाव का रूप धारण करने के लिये ही बिल लाया गया है, यह बात कुछ हद तक सही मानी जा सकती है। यह आप छिपा नहीं सकते, वरना ऐसा कन्ट्रोल नहीं है जहां ऐसे प्रसार अधिकारी रख दिये हैं जिनको २०० रु० माहवार या २४०० रु० साल के वेतन के देते है और २४०० रु० भत्ते के दे सकते हैं, लेकिन सालाना १०० रुपये की आमदनी जैसी किसी ने इन्डस्ट्री खोली है, ऐसे उद्योग खोले हैं जिनसे लोगों को भविष्य में अच्छा फल मिल सके, लेकिन ऐसी अब तक स्थिति नहीं है। इसलिये यह बिल हमेशा लोगों को दिखने में अच्छा दिखे लेकिन कामयाबी नहीं होगी। इसलिये कंट्रोल का यही प्रोविजन रख दिया जाता तो ठीक था, नहीं तो इन्डस्ट्रीज वाले गबन करेंगे या जांच करने वाले रहेंगे वे शेयर होल्डर्स का जाब्ता करेंगे। यदि माकूल सजा न्यायालय द्वारा देने का रखते तो ठीक रहता वरना डिपार्टमेंट सजा देगा। राज्य सरकार पहले तो जांच नहीं करेगी और अगर जांच करेगी तो जिस मिनिस्टर के फेवर का होगा उसको बचाने की कोशिश करेगी और जो किसी के फेवर का नहीं होगा उसको सजा देने की कोशिश करेगी। इस तरह से उद्योग पनपने वाला नहीं है। यदि मर्यादा रखते तो मैं यह मानने को तैयार हूँ कि इससे बेकार लोगों की बेकारी मिट सकती है, धंधा पनप सकता है। वरना एक तरफ घोड़े की लगाम पकड़ो और दूसरी तरफ गबन का रास्ता खोल रखा है। इसकी व्यवस्था करें वरना यह रास्ता बरबाद करता चला जायगा। यह हो सकता है इसका नतीजा कि अच्छे अच्छे साथियों को पार्टी का टिकट नहीं मिल सका तो उसको टिकट के बजाय इन्डस्ट्री खुलवाकर खुश कर दिया, इस मंशा से यह बिल पेश हुआ है तो मैं समझता हूँ मैं इस बिल का समर्थन नहीं कर सकूंगा। सत्तारूढ़ दल के साथी जो भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले हैं, वे इसका समर्थन करेंगे। इसलिये मैं समझता हूँ कि इसको प्रवर समिति को दिया जाय, वरना यहां उद्योग न पनपा है न पनपेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद यादव।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु०): माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान उद्योगों के लिये राष्ट्रीय सहायता विधेयक, १९६१ का मैं समर्थन करता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूँ। किसी भी देश में बिना उद्योग के कोई सरकार विकास करे ऐसी हालत हमने सारे हिन्दुस्तान की प्रादेशिक सरकारों की कहीं नहीं देखी। फिर भी अपोजिशन पार्टी के माननीय सदस्यों ने अपनी बोखलाहट के द्वारा यह कहा....

श्री उपाध्यक्ष : 'बोखलाहट' शब्द उपयुक्त नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : उधर बैठने वाले भाई कह रहे हैं कि राजस्थान में उद्योगों के के पनपने से चंदे की बीमारी आ जायगीके लेकिन चन्दा तो सभी पार्टीवाले लेते हैं। राजस्थान ने जितना उद्योग में विकास किया है वह सभी माननीय सदस्यों के सामने है। वैसे मैं जहां से चुनकर आता हूँ वहां एक शुगर फेक्ट्री है। हमारे उद्योग विभाग।

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जरिये हमारी उस शुगर फेक्ट्री के मैनेजर ने हमारी गवर्नमेंट से लोन लेकर शुगर फेक्ट्री में डबल प्लान्ट लगाया। पहले जहां ५.०० मजदूर काम करते थे वहां अब १००० मजदूर काम करते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : शुगर फेक्ट्री की तारीफ करने लगे ?

एक माननीय सदस्य : वोट लेने हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे क्षेत्र में एक फेक्ट्री है. उसका जो विकास हुआ है उसी माफिक राजस्थान में जितनी इन्डस्ट्रीज हैं उनको उद्योग विभाग ने लोन देकर पनपाया है, उससे हमारे मजदूर साथियों को रोजगार मिला है। अभी उद्योग मंत्रीजी ने जितने पर्मिट दिए हैं और नमक आन्दोलन पूज्य महात्मा गांधी जिनको राष्ट्र पिता कहते थे ...

श्री उपाध्यक्ष : अब भी कहते हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : नमक के जितने पर्मिट दिये उद्योग मंत्रीजी ने अधिकतर अपना समय पर्मिट देने में बिताते रहे, फिर भी सेक्रेटेरियट में बैठने वाले गवर्नमेंट अधिकारियों ने इस ओर भी ध्यान दिया कि यदि इन्डस्ट्रीज को नहीं पनपाया तो राजस्थान पिछड़ जायगा, उसको आगे लाने के लिये गवर्नमेंट में बैठे समझदार लोगों ने राजस्थान की जो इन्डस्ट्रीज बन्द थीं उनको लोन देकर पनपाने का इरादा किया। इससे पिछड़े वर्ग के लोग जो मजदूरी करते हैं, उनको, सहारा मिला, रोजगार मिला, पैसा मिला, जिससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। मैं एक निवेदन करूं कि हमारे अनुसूचित जाति के सदस्य कह रहे हैं कि उद्योग विभाग ने इन्डस्ट्रीज को पनपाने का कार्य नहीं किया और यदि किया है तो सब अधूरा है। वैसे मैं अभी किशनगढ़ एक बस के खराब होने के कारण ठहरा था। मैंने वहां पर देखा कि एक मेघवाल उत्पादन सहकारी समिति है, उसने उद्योग विभाग से १५-२० हजार रुपये लिये हैं। मैंने उसका निरीक्षण किया तो सभी हरिजन हैंड लूम लगा कर सब तरह के रंग-बिरंगी खादी बना कर, उद्योग में उन्नति कर रहे हैं। मैंने उस सोसाइटी के मुनाफे का रजिस्टर देखा, तो उनको १४ हजार का मुनाफा हुआ. ..

श्री उपाध्यक्ष : तब तक बस खराब ही रही क्या ?

श्री हरिप्रसाद यादव : केवल एक ही वर्ग के लोगों को लोन मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। लादूरामजी सुलाणिया ने कहा कि जयपुर कर्घों और बुनकर सोसाइटी को कुछ नहीं मिला, तो मैं इस भाई को, भाई चारे के नाते, कह दूँ कि उसको लोन मिला है और प्रतिवर्ष सब्सिडी मिलती है. ..

श्री लादूराम सुलाणियां : कौनसी सहकारी समिति के लिये कहते हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : राज्य सरकार की ओर से जो प्रगति हो रही है उसका वर्णन करना चाहिये। रहा सवाल बिल का...

श्री उपाध्यक्ष : अब तक बिल का सवाल नहीं था क्या ?

श्री हरिप्रसाद यादव : इस बिल में

(श्री हरिप्रसाद यादव)

चमड़े पर जोर नहीं दिया है, तो उद्योग मंत्री जी सवर्ण कास्ट के बनिया हैं, उनके सामने चमड़े का सवाल नहीं था। जब उनका लड़का मंत्री बनकर आयेगा, जो हैट लगाता है, तो जरूर चमड़े की लैस उसमें आती है। मंत्रीजी ने देखा कि हरिप्रसाद यादव भाषण देगा तो अपने खिसको, इसलिये यहां से विदा हो गये। जो उद्योग मंत्री बिल पेश करके यहां से रवाना हो जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! श्री हरिप्रसाद, सरकार के प्रतिनिधि यहां पर हैं इसलिये इस प्रश्न पर न बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : उनको जाना नहीं चाहिये था, सुनना चाहिये था।

जहां इस बिल में सारी अच्छी बातें कही हैं, मैं समझता हूँ, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं और मैं भी उसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसके साथ ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पर्मिट देने में गड़बड़ी की है, तो इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य कहने से हिचकिचाहट नहीं करेगा कि मंत्री महोदय ने गड़बड़ी की है, उन्होंने इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट से पर्मिट दिये हैं, उनमें गड़बड़ी की है, भेदभाव किया है ?

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कौनसे पर्मिट दिये हैं....?

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय सदस्य उल्लेख करें कि कौनसे पर्मिट देने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हैं ? उसका उल्लेख होना चाहिए।

श्री हरिप्रसाद यादव : नमक के ५५९ बैगन दिये हैं। राष्ट्रपति जी ने नमक आन्दोलन किया है....

श्री उपाध्यक्ष : हाल ही में किया है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जितने पर्मिट दिये गये हैं उनमें उन्होंने पक्षपात किया है और अपनी जाति के लोगों को अधिक पर्मिट दिये हैं; तो मैं समझता हूँ कि....

डा० बहादुरसिंह : मैं समझता हूँ, मंत्री महोदय पर इस प्रकार के आरोप लगाना उचित नहीं है। या तो तथ्य रखें, या मैं समझता हूँ, कि डेफीनिट बतायें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, धौलपुर से आने वाले माननीय दोस्त ने फर्माया कि स्पष्टोकरण करूं। ५५९ बैगन का कोटा अलॉट किया, वह एक ही वर्ग के लोगों को, महाजन वर्ग के लोगों को दिया है। कई और लोगों ने दर्ख्वास्त कीं उनको नहीं दिया ...

श्री उपाध्यक्ष : आपकी दर्ख्वास्त थी ?

श्री हरिप्रसाद यादव : औद्योगीकरण का सवाल है, उन्होंने बिल रखा है, अगर इस मौके पर उनको मैं चेतावनी नहीं दूं तो फिर मैं सोचता हूँ कि जो राजस्थान की जनता, आधी करोड़ है, आदिवासी और हरिजन जाति के लोग राजस्थान में आधा करोड़ हैं, उनकी वकालत मुझे करनी चाहिए। भाई बहादुरसिंहजी कहते हैं मेरी वकालत मत करो, मैं खुद कर लूंगा; पर मैं आधी करोड़

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जनता में से एक व्यक्ति हूँ। आधी करोड़ जनता राजस्थान के गांवों में बसी हुई है, वे छोटी छोटी इन्डस्ट्री लगा कर उद्योगों को पनपा रहे हैं, तो उद्योग विभाग से उन्हें परमिट मिलना जरूरी है। लेकिन राजस्थान का उद्योग विभाग उनको परमिट नहीं देता है, वह पक्षपात करता है, तो यह न्यायसंगत नहीं है। मैं अब आपको निवेदन करूं कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया है। आज ऐसा कोई व्यक्ति हिन्दुस्तान के किसी कौने का, किसी प्रादेशिक सरकार की विधान सभा के किसी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया होगा। राज्य सरकार को उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका आपको, हमको और सबको स्वागत करना है। जहां उद्योग डिपार्टमेंट के कर्माचारियों और मंत्री महोदय की खामी है, तो उसमें हमको सुधार लाना है। श्री रिखबचन्द धारीवाल अपने ही साथी हैं, भाई हैं, मेरी पार्टी के हैं। मैंने कई बार उनको निवेदन किया, समाज कल्याण विभाग भी उनके पास है, हमारे आदिवासियों के बहुत से कृषि के औजार बनाने के छोटे छोटे उद्योग हैं, लेकिन उनकी ओर ध्यान समाज कल्याण मंत्री और उद्योग मंत्री ने कभी नहीं दिया। मैंने कई चिट्ठियां उनको लिखीं........

श्री उपाध्यक्ष : आपने कितनी चिट्ठियां लिखीं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : कई लेबर कॉऑपरेटिव सोसाइटियां बनी हुई हैं, और दूसरी छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज लगी हुई हैं, ग्राम उद्योग में चूना वगैरह, जो इमारत बनाने के सामान हैं, छोटे छोटे पत्थर बनाने का काम है, यह सब काम करके मेटीरियल सप्लाई करते हैं, सीमेंट के जंगले बनाते हैं। इस प्रकार हरिजन जाति के लोग इमारत के सामान और जाली-जंगले बनाते हैं। अभी भारत सरकार का भी एक सक्यूलर आया है कि उद्योग डिपार्टमेंट द्वारा इनको प्राथमिकता दी जाए, हरिजनों के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। परन्तु उद्योग विभाग नींद निकाल रहा है। तो मेरे जैसा व्यक्ति उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। वैसे मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जहां खामियां हैं उद्योग डिपार्टमेंट की उनको मैं जरूर मिटाऊंगा। मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को पास करने से पहले अगर माननीय मंत्री महोदय स्वयं सुनते तो जरूर इसके ऊपर उनका ध्यान रहता, परन्तु आशा है पूनमचन्द जी भी इस पर एक्शन लेंगे। मैं निवेदन करूं कि उद्योग विभाग में जो पक्षपात है, उसको निकालना जरूरी है। अगर इस तरह का पक्षपात रहा तो यह बिल की भावना पनप नहीं सकेगी और यह बिल केवल पास होकर रह जायगा। मैं समझता हूँ कि उद्योग विभाग द्वारा एक ही वर्ग के लोगों को इन्डस्ट्री के परमिट को वितरित कर देना, माननीय मंत्री महोदय के लिए शोभा की बात नहीं है। मैंने एक पत्र माननीय मंत्री को लिखा कि हरिजनों की हड्डी सोसाइटी कुटीर उद्योग में आती है........

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : इसको माननीय सदस्य क्लेरीफाई करें।

श्री हरिप्रसाद यादव : जो हरिजोंन

(श्री हरिप्रसाद यादव)

की हड्डी की सहकारी समिति है

(विराम)

उसमें हड्डी के द्वारा खाद बनाई जाती है, जो एग्रीकल्चर, खेती के काम में आती है। जैसा अभी मास्टर रामचन्द्र कह रहे थे, वे चमड़ा-चमड़ा कह कर रह गये। वैसे मास्टर साहब एम. ए. पास हैं, मैं उनके बराबर पढ़ा हुआ नहीं हूँ। पर मैं एक बात बताऊं कि मैं हिन्दी में उनसे ज्यादा अहमियत रखता हूँ। केवल चमड़े का नाम ले देने से ही चमड़े का विकास हो जाय, यह बात नहीं है। मैं निवेदन करूगा कि इस बिल में जितने आइटम दिये हैं, उनकी दृष्टि से जितने उद्योगपति है, सवर्ण हैं, उनके साथ ही जो हरिजन जाति के उद्योग हैं, उनको निगाह में रख कर, उन उद्योगों को पनपाने में सहयोग देंगे तो राजस्थान अवश्य आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बिल को जिन भाइयों ने प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है, उनका विरोध करता हूँ। यह बिल पास होना चाहिए, क्योंकि जिस मुल्क में, जिस देश में उद्योग नहीं, जहां उत्पादन करने वाले लोग नहीं, वहां की गवर्नमेंट और कम्पनी घाटे में जाती है। इसलिए हम राजस्थान में उद्योगों को पनपाने में सहयोग दें। इसके साथ ही इस बिल को पास करवाने की कृपा करें जिससे हमारा राजस्थान आगे बढ़ सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसे तो विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ लेकिन इसको मैंने पढ़ा है, तो कुछ ऐसी शंकायें इसमें अवश्य हैं, जिनका स्पष्टीकरण सम्बन्धित प्रभारी मन्त्री महोदय करें, तभी यह विधेयक पारित होकर जनता के लिए कुछ उपयोगी हो सकता है। इस विधेयक का जो उद्देश्यों और कारणों का विवरण दिया है, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य में इस समय उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए राजकीय सहायता, स्टेट एड टू स्मॉल स्केल एण्ड कॉटेज इन्डस्ट्रीज रूल्स, १६५६ के आधीन दी जाती है। और इससे आगे और स्पष्ट करते हुए बतलाया है, "विभिन्न राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योगों को दी जाने वाली सहायता के विषय में भारत सरकार द्वारा किये गये पुनरावलोकन से यह प्रकट हुआ है कि तदनन्तर्गत निर्मित अधिनियम तथा नियमों के कारण बहुत विलम्ब से कार्यवाही की जाती है तथा वे अनावश्यक रूप से कठोर हैं" इत्यादि, इत्यादि। इन उद्देश्यों को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह सहायता केवल छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योगों के लिए है, लेकिन जहां इस विधेयक में यह मत दे रहे हैं जिसमें लिखा है--उद्योग जिन्हें सहायता दी जाय है--उनको पढ़ने से ऐसा आभास नहीं मिलता है कि यह सहायता केवल इस प्रकार के उद्योगों के लिए ही है जो कि उन्होंने उद्देश्य में बतलाये है। इसलिए ऐसी शंका होती है। इसमें इसके चार वर्ग किये हैं "(क) कोई नया या नवजात उद्योग" "(ख) कोई उद्योग जो ऐसे क्षेत्रों में जहां उक्त उद्योग अविकसित या अल्प विकसित है, में चालू नये तौर पर किया जाना हो," इसके बाद आप देते हैं (ग) कोई कुटीर या ग्राम उद्योग अथवा कोई छोटे पैमाने का उद्योग," या "(घ) कोई पुराना या सुस्थित उद्योग"।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आपने (क) श्रेणी में जिन उद्योगों की ओर इंगित किया है उनके अतिरिक्त तीन प्रकार के उद्योग भी इस प्रकार की सहयता प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिसका मेरी दृष्टि से स्पष्ट अर्थ है कि चार प्रकार के उद्योगों को सहायता दी जाती है। उनमें वह एक प्रकार भी है जिसका उल्लेख उद्देश्यों और कारणों में किया है, उद्देश्यों में इसको स्पष्ट रूप से बताया है, राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों को दी जाने वाली सहायता। भारतीय हस्त-शिल्प आदि का वर्णन है। मालूम तो इससे ऐसा होता है कि कुटीर उद्योगों, ग्रामोद्योगों और छोटे उद्योगों के लिए यह सहायता है, पर इसमें अधिकतर, प्रतीत ऐसा होता है कि, बड़े उद्योग भी इसमें शामिल हैं और इसका समर्थन इस तालिका से होता है जिसमें सहायता देने के तरीकों में, जिन जिन चीजों का वर्णन किया है, मैं समझ नहीं पाया कि छोटे उद्योगों के लिये इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है।

तो मैं जो विचार अपने यहां रखना चाहता हूँ, इस बात पर जोर दूंगा कि आप जो सहायता करना चाहते हैं उस सहायता को प्राप्त करने का वास्तव में अधिकारी वही हो जो वास्तव में इसको प्राप्त करने का अधिकारी होना चाहिए। जैसा कि और भी कई वक्ता महोदयों ने कहा है कि कहीं ऐसा न हो कि सहायता के बांटे में भी कुछ वे लोग आ जायं जिनको सहायता की शायद उतनी आवश्यकता नहीं है। यों तो पैसा आना किसी को बुरा नहीं लगता, कम ब्याज की दर पर किसी पूंजीपति, धनपति को पैसा मिलता है तो वह खुशी खुशी लेगा, लेकिन बहां जिस उद्देश्य से यह विधेयक ला रहे हैं, शायद उसकी पूर्ति इन पूंजीपतियों को पैसे देने से नहीं होती। राज्य सरकार को पैसे की जरूरत हुई और कर्जा लिया तो कर्जा देने वाले साधारण स्थिति के लोग नहीं होंगे, मजदूर किसानों में से कोई नहीं होगा जिसने कि सरकार को कर्जा दिया, मध्यम श्रेणी के लोग, जिनमें सरकारी अधिकारी और मध्यम श्रेणी के व्यापारी भी आ सकते हैं, वे भी शायद इस कर्ज को देने में सक्षम नहीं हैं। कर्ज देने वाले, राजस्थान सरकार को सहायता देने वाले, वे लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है। तो मैं समझता हूँ वे लोग अपने उद्योगों को अपने पैसों से लगा सकेंगे, ऐसी उनसे आशा की जानी चाहिये।

बड़े बड़े उद्योगपति हमारे राजस्थान के, जिन पर हमें गर्व है, केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु बाहर विदेशों में जाकर बड़े बड़े उद्योग उन्होंने चलाये हैं और काफी अर्थोपार्जन वहां किया है। इसका मैं विरोधी नहीं हूँ कि वे हमारे राजस्थान में नहीं आयें और हमारे यहां उद्योगों को चालू न करें। कभी कभी उनसे मिलना होता है तो उनसे कहा जाता है कि आप लोगों में मजदूरों की बेरोजगारी मिटाने की सामर्थ्य है, उसका उपयोग बाहर तो क्यों करते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं आते? आप उनको बिजली संबंधी सुविधा, जमीन सम्बन्धी सुविधा, कच्चा माल लाने की सुविधा भी दीजिये और जो आवश्यक सुविधाएं हों वे उनको दी जानी चाहिये, पर जहां तक आर्थिक सहायता देने का सवाल है, कर्ज के रूप में या सब्सिडी के रूप में, वह इनको नहीं दी जानी चाहिये। इस विधेयक के द्वारा सहायता देने का, आर्थिक सहायता देने का प्रश्न है, वहां वह उन लोगों को ही

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दी जानी चाहिये जो साधन हीन हैं और खास तौर से उन लोगों को दी जानी चाहिये जो गांवों के रहने वाले लोग हैं। आज यह स्थिति है कि हमारे गांव दिन-ब-दिन हर दृष्टि से पिछड़े हुए रहते चले आ रहे हैं। खेती की जैसी हालत है, जिनके पास खेती है वे इससे पैदा करते हैं जरूर और उनकी कुछ उन्नति भी हुई है इसमें सन्देह नहीं, पर वे बहुत थोड़े हैं। गांवों में खेती करने वालों के अलावा ऐसे लोग अधिक हैं जिनकी खुद की खेती नहीं है, जो मजदूरपेशा हैं, गांवों के पुराने धन्धे हैं, बढ़ई, लोहार, चमड़े का काम करने वाले, तेल निकालने का काम करने वाले, तो इन लोगों के धन्धे नष्ट होते जा रहे हैं। बड़े बड़े ऑइल मिलों ने तेलियों के धंधे को समाप्त कर दिया है, बड़े बड़े आयरन प्लान्ट बन रहे हैं उन्होंने लोहारों के छोटे छोटे धंधों को समाप्त कर दिया है। तो मैं यह नहीं चाहता कि हम इतने पिछड़े हुए रहें कि हमारे यहां बड़े बड़े उद्योग धंधे न हों, ये भी हमारे यहां अवश्य हों पर इन उद्योगों से पैदा की जाने वाली चीजों का वर्गीकरण किया जाना चाहिये कि अमुक अमुक चीजें बड़े बड़े उद्योगों में बनाई जाय और अमुक अमुक घरेलू कुटीर उद्योगों में बनाई जाय। मुझे याद है, जिस समय श्री राजगोपालाचार्य मद्रास में चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने व्यवस्था की थी; मिलों को दो भागों में बांटा जाय और उसमें यह रखा था कि धोतियां जैसी चीजें हैं इनको हाथकर्घों में रखा जाय, उन्होंने मिल के कामों का और कर्घों के कामों का अलग अलग वर्गीकरण कर दिया था। तो हमारे यहां यह समस्या हो जायगी कि किन किन कामों को कुटीर उद्योगों में और किन किन कामों को बड़े उद्योगों में मानें। एंजिनों का बनाना और गर्डरों को ढालना, इनको हम कुटीर उद्योगों में नहीं मान सकते, पर सैकड़ों और काम हैं जो कुटीर उद्योगों में आने चाहिये पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज उन कामों को कर रही हैं। जो चीजें गांवों के बढ़ई और लोहार बनाते थे वे चीजें आज बड़े बड़े उद्योगों में बन रही हैं। तो हमारी सरकार को देखना पड़ेगा कि हम उद्योगों का किस प्रकार का वर्गीकरण भी करें ताकि कुटीर उद्योगों में ये काम होते रहें और बड़े बड़े उद्योगों में बड़े बड़े काम हों।

इसके साथ ही मेरा एक सुझाव यह भी है कि इसमें (ख) में लिखा है : "कोई उद्योग जो ऐसे क्षेत्रों में जहां उक्त उद्योग अविकसित या अल्प विकसित हैं, में चालू नये तौर पर किया जाना हो..."

मैं उद्योग मन्त्रीजी से यह जानना चाहूँगा कि क्या इस विधेयक को लाने से पहले आपने राजस्थान का कोई औद्योगिक सर्वेक्षण करवा लिया है जिससे आप यह बताने की स्थिति में हैं कि अमुक अमुक स्थानों पर अमुक अमुक उद्योग चलते थे वे विकसित नहीं हुए, अर्द्ध विकसित हुए या विनष्ट हो गये या अल्प विकसित हुए। मुझे जहां तक स्मरण है यह प्रश्न इस सदन में मैंने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने पूछा था पर कोई संतोषजनक उत्तर सरकार की तरफ से नहीं मिला कि राजस्थान का औद्योगिक सर्वेक्षण किया गया है। आज भी मुझे खुशी होगी यदि मन्त्री महोदय इस प्रकार की बात बतायें कि एक एक गांव या उन्होंने इस प्रकार का सर्वेक्षण करवा लिया है कि अमुक अमुक उद्योग अमुक अमुक जगह पर अविकसित या अल्प विकसित हैं या नष्टप्राय हो गये हैं,

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

विकसित नहीं हुए। वहां के लोग आपके पास सहायता के लिये आये और इस प्रकार की तालिका आपके पास हो तो वह बड़ी लाभप्रद हो सकती है।

भरतपुर में भी बीसों, पचासों उद्योग कस्बों में होते थे, पर आज वे इसलिये नहीं हो पाते कि बड़े बड़े उद्योग खुल गये हैं, डीग घानी के तेल के लिये और जूते के चमड़े के व्यापार के लिये प्रसिद्ध रहा है, वह अपने लोहे के लिये प्रसिद्ध रहा है। भरतपुर में किसी जमाने में हस्तकला की कई चीजें मशहूर थीं और वहां पर बनती थीं। हाथी दांत की चीजें व चन्दन की चीजें बनती थीं, लेकिन आज वे सारी की सारी चीजें वहां नहीं बनती हैं, क्योंकि यह सारा का सारा उद्योग नष्ट हो गया, वह इसलिये हो गया कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कारखाने हो गये। आज मैं यह मानता हूँ कि देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की जरूरत है, कारखानों की जरूरत है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरत है लोगों को रोजी-रोटी देने की। मेरा यह विश्वास है कि बड़े बड़े कारखानों से देश की बेकारी दूर नहीं होगी। इससे यह हो सकता है कि गांवों से लोग अपना घर छोड़ कर शहरों में आ जावेंगे, जैसे अहमदाबाद और बॉम्बे में वे जाकर रहे हैं और वहां पर वे शराबखोरी में पड़ जाते हैं और अपना स्वास्थ्य नष्ट कर देते हैं। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि जहां पर जिस प्रकार का धंधा हो वहां पर वहीं के लोगों की एक सहकारी समिति बनाई जावे और उसको ऋण दिया जावे और सहायता दी जावे और छोटे छोटे उद्योगों को पनपाया जावे और वे तभी प[नप] सकते हैं जब दैत्याकार फैक्ट्रीज उनको नेस्तनाबूद न कर सकें। जब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करेंगे कि अमुक अमुक काम छोटे कुटीर उद्योगों द्वारा होंगे और अमुक अमुक काम ग्रामोद्योगों में होंगे, इसका उद्धार नहीं हो सकता। आप भले ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज स्थापित करिये, इसका विरोध कोई नहीं करेगा क्योंकि आज हमें दुनिया के साथ चलना है। यह महात्मा गांधीजी का सिद्धान्त था और हमें महात्मा गांधीजी के उस सिद्धान्त को मानना ही पड़ेगा कि अपने देश की जरूरत...

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (जारी): ... की तरफ ध्यान देना है और उसके अनुसार हमारे यहां व्यवस्था करनी है। हमको रूस और अमेरिका की नकल नहीं करनी है।

(गण-पूरक घन्टी)

हां, तो मैं यह कह रहा था कि हमें अपने देश में बड़े बड़े उद्योगों को जरूर स्थापित करना चाहिये, लेकिन जैसा मैंने बताया कि महात्मा गांधीजी यह भी कहा करते थे कि हमको रूस और अमेरिका आदि का अन्धानुकरण नहीं करना है कि रूस ने इसलिये तरक्की की कि वहां पर उद्योगीकरण हुआ। अमे[रिका] और रूस इस कारण बढ़ सकते हैं, म[गर] हमको हमारे देश की जनसंख्या और स्थि[ति] को देखते हुए और यह देखते हुए कि [यहां] पर कितने लोग गांवों में रहते हैं और कि[तने] लोग शहरों में बसते हैं और जो देश [की] परम्परा रही है उसको दृष्टि में रखते

Page No.83

(जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और राजस्थान जैसे देश में खास तौर से इस बात को ध्यान में रखना होगा। मुझे मालूम है कि राजस्थान में खादी का काम जितना पनपा है उतना दूसरी किसी भी जगह नही पनपा है उतना दूसरी किसी भी जगह नही पनपा है। इसी प्रकार दूसरे कोई उद्योग हैं जो पनप सकते हैं। यहां पर गांवों की संख्या बहुत अधिक है। यदि आप गांव गांव का सर्वेक्षण करें तो आपको वहां की जो परम्परागत व्यवस्था रही है देखने को मिलेगी।

यदि आज आपको गांवों को स्वतन्त्र रूप से रखना है उनके आर्थिक ढांचे को सुधारना है, यदि हमको लोगों को ज्यादा से ज्यादा धन्धा और काम देना है, उनकी बेकारी को मिटाना है, चाहे वह शिक्षित हों या अशिक्षित हों, तो हमें छोटे उद्योगों को पनपाना होगा। हम फैक्ट्रीज में सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकें, यह संभव नहीं होगा। इसलिये जहां मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ वहां इस बात पर भी जोर दूँगा कि आप उद्योगों का वर्गीकरण करें कि किनको आप बड़ा और किनको छोटा मानते हैं। आप सब जगहों का सर्वेक्षण करें और उसके बाद ही आप यह कह सकते हैं कि कहां कहां पर इसमें सफलता मिल सकेगी। यह विधेयक केवल छोटे उद्योगों को पनपाने के लिये है, इसकी जो सहायता हो वह बड़े बड़े उद्योगपतियों को न दी जावे और ऐसा किया जाए कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे इसका दुरुपयोग न करें। मैं समझता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय मेरी बात का स्पष्टीकरण करेंगे।

डा० **बहादुरसिंह** (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता विधेयक, १९६१ को प्रवर समिति में भेजे जाने के लिये जनसंघ के माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। विरोध करने का कारण यह है कि किसी विधेयक को हम प्रवर समिति के सुपुर्द करें तो उसमें यह देखना होता है कि क्या इसमें कोई ऐसी टेक्निकल कमी है या कोई बात रह तो नहीं गई है जिसके कारण इसका प्रवर समिति में जाना जरूरी है। लेकिन माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट करते समय जिस प्रकार का भय और तथ्यहीन गर्व इस सदन में प्रस्तुत किया उस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कह कर यही कहूँगा कि इस हाउस को इस विधेयक के साथ डराने की सी कोशीश नहीं की बल्कि यह कहा कि सेबोटेज भी किया जावेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या वे अपने ही सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोप हैं उनसे अपने आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सम्भव है उनकी विचारधारा हो, जैसा उनके सदस्य कहते हैं, कि जनसंघ डेमोक्रेटिक नहीं है। दूसरे लोगों ने, जनसंघ बना या उस समय इस बात पर भी बोले थे कि जनसंघ डेमोक्रेटिक नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वास्तव में राजस्थान का विकास हो तो राजस्थान का विकास हो सकता है और वह औद्योगीकरण से हो सकता है क्योंकि आज हमारे सामने पंजाब की नजीर मौजूद है। वहां पर आपको छोटी छोटी फैक्ट्रियां काफी तादाद में मिलेंगी और सारा पंजाब होजरी और दूसरे छोटे छोटे उद्योग धन्धों में अग्रणीय है। जैसा आपका आंध्र है, मैन्डलवुड में स्पेशलाइज्ड है, काश्मीर है वह केसर के लिये प्रसिद्ध है। इसी प्रकार राजस्थान में हम छोटे छोटे उद्योगों को किस प्रकार से पनपाएं क्योंकि उद्योग हमारे प्राण

(डा० बहादुरसिंह)

हैं । यदि हम चाहते हैं कि जो लोग साधनहीन हैं, वास्तव में राजस्थान में उन व्यक्तियों को काम मिले और विधेयक में भी व्यवस्था है । मेरे यहां भी इन्डस्ट्री है । दो ऐसी हैं जो लड़खड़ा रही है । हम देखते हैं कि आगरा में ३, ४ या ६ नये पैसे पर-युनिट तक बिजली उद्योग के लिये मिलती है, मगर यहां पर मुश्किल से बिजली मिलती है और वह भी बहुत महंगी; साढ़े तीन आने या चार आने पर युनिट । ऐसी परिस्थिति में वे कैसे उद्योग चला सकेंगे । जब तक उनको सब्सिडी देने के लिए कोई कानून न हो और उनको सस्ती बिजली नहीं दी जाए तब तक औद्योगीकरण में कोई सफलता प्राप्त नही हो सकती ।

इस तरह दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि हमारे उद्योग इसलिये समाप्त होते जा रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है । इसका कारण यह है कि पुराने नियमों के अनुसार उनको पूरी राहत नहीं देते हैं । इससे उनको भी नुकसान होता है और इसके साथ साथ राज्य सरकार की भी आलोचना होती है इसलिए इसमें जो बातें रखी हैं वे सराहनीय हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग के लिये सबसे दिक्कत पनपने में होती है वह टेक्नीकल एडवाइज की होती है । हम राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था कर लें कि उद्योगों को टेक्निकल एडवाइज के लिए अच्छे टेक्नकल एक्सपर्ट हों तो अच्छा है । जो कोई व्यक्ति उद्योग स्टार्ट करना चाहे और उसके लिए टेक्निकल एडवाइज लेना चाहे तो उसको वह मिल सके । हम टेक्निकल एडवाइस उनको प्रोवाइड कर सकें तो यह उद्योग सहायता सर्वांगीण होगी ।

जहां तक विरोधी दल का सवाल है, आज चुनावों के कारण उनमें घबराहट हो सकती है । राजस्थान ज्यों ज्यों तरक्की करेगा विरोधी दल को गुन्जाइश अपने लिए नही देखनी चाहिए क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है । वे इस प्रकार के आरोप लगायेंगे और जो कदम उद्योगों की तरक्की के लिए उठाना चाहिये उसमें रुकावट डालेगा, राजस्थान की भलाई के लिए उठाना चाहिये; वे नहीं उठेंगे और उनसे वे पीछे हटेंगे तो राजस्थान तरक्की नहीं कर सकता है । अन्त में सदस्यों से निवेदन करता हुआ कहूंगा कि राजस्थान की तरक्की के लिए इस विधेयक को पास करना चाहिये । जो संशोधन माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनको समय आने पर क्लाज बाई क्लाज पास कर सकते हैं और विरोधी दलों से भी अपील करना चाहूँगा कि उनको भी राजस्थान के हित में विरोध नहीं करना चाहिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान उद्योगों के लिए राजकीय सहायता विधेयक, १९६१ विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और उसका समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उद्योगों को राजकीय संरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती । मेरे पूर्व वक्ता ने जैसा कहा कि जनसंघ औद्योगीकरण नहीं चाहता और इसलिए इसमें विलम्ब करना चाहता है । मैं उन माननीय सदस्य की इस भ्रान्ति को दूर करना चाहता हूँ कि जनसंघ उद्योगीकरण के लिये किसी भी प्रकार से विरोधी नहीं है ।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करने के लिए कहना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान की जो कुछ अर्थ-नीति चल रही है और जो वर्तमान समय में समाज की व्यवस्था है उसमें औद्योगीकरण के लिए विचार करें तो मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना और उनको लाखों रुपया देने की जो प्रवृत्ति आज देश में चल रही है उससे पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार होता है और उससे आम भलाई जनता की जो होनी चाहिये वह नहीं होती है राजस्थान को पिछड़ा हुआ इलाका कह सकते हैं और लोगों की जो माली हालत है वह गिरी हुई है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठने के लिए, यह निश्चित है कि जहां एक ओर खेती होनी चाहिये तो वहां दूसरी ओर उनके उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिये। यह निश्चत है कि बिना औद्योगीकरण के राजस्थान की। देश की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन उद्योग ऐसे हों जो आम जनता को राहत पहुँचा सकें।

आज १४ वर्ष के बाद भी वही समस्या बनी हुई है कि ग्रामोद्योग, ग्राम उद्योग में चाहे लघु उद्योग हों, चाहे कुटीर उद्योग हों उनकी कोई तरक्की नहीं दिखाई देती। देखने को यह मिलता है कि हिन्दुस्तान में जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं वहां गांवों में जो कुटीर उद्योग थे ग्रामोद्योग थे, वे समाप्त होते जा रहे हैं। बाटा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को ले लीजिये। गांवों का चर्म उद्योग जहां मोची-चमार जूते बना कर काम करते थे और चमड़े की छोटी छोटी चीजें बना कर धन्धा करते थे वे सब समाप्त हो रहे हैं। चर्म उद्योग कुटीर उद्योग के लिए सरकार ने एक अलग डिपार्टमेन्ट बना रखा है। कोई भी इस बात से आज इन्कार नहीं करता है कि जूता बनाने वाला गांवों का चमार आज भी बेकार बैठा है। कुछ कनोवृति ही विदेशी बूट की ओर होती जा रही है। बड़े बड़े उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने जा रहे हैं जिससे गांवों की ये इन्डस्ट्रीज, उनका विकास खत्म होता जा रहा है। बड़ी बड़ी ऑइल फैक्ट्रीज को संरक्षण प्रदान करते हैं उन सेठ लोगों को ऋण और दूसरी सहायता प्रदान करते हैं तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि तेल की घाणी के लिए सरकार खादी भंडार में ही प्रचार कर सकती है। लेकिन सही बात यह है कि आज गांव का उद्योग उजड़ता चला जा रहा है, जो पुराना तरीका था तेल घाणी का वह भी समाप्त होता जा रहा है। बड़े बड़े मिल्स को ले लीजिये, जहां कपड़ा बनता है कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया कि यह मिल का बना हुआ और यह ग्रामों का बना हुआ है। इसके लिए सूत की व्यवस्था कर कोई मार्केट बनाते। चाहे तेली का लें, चाहे जूता बनाने वाले या कपड़े बनाने वाले जुलाहे को लें, सब उद्योग गिरते चले जा रहे हैं। इसी लिए जनसंघ इतने बड़े औद्योगीकरण के प्रश्न को बड़ी गंभीरता के साथ देखता है और इसीलिए कहता है कि अर्थ शास्त्र इस दृष्टि से होना चाहिये कि थोड़ी पूंजी में गांवों के उद्योगों को पनपा सकें ताकि गांवों में बेकार बैठे आदमी को रोजगार मिल सके, उसका पेट भर सके। गांव की चीजों की खपत करने के लिए मार्केट बने, जिनसे उन लोगों को आवश्यकतायें पूरी होती रहें; इसके लिए सचेष्ट प्रयत्न करें।

आज हम देखते हैं कि यह सारा बिल केवल ८ खण्डों में ही जाकर समाप्त हो गया है और जो कुछ इसमें है वे केवल नियम

(श्री रमाकृष्ण विजय)

बनाने के लिये होंगे। नियम विधान सभा की मेज पर रखे जावेंगे और माननीय सदस्य उनको देख सकते हैं। लेकिन जहां इस प्रकार के क्लॉजेज उद्देश्य और कारणों के लिए रखे हुए हैं, बताया गया है कि भिन्न २ जगह भिन्न २ कानून बने हुए हैं। जो रूल्स स्माल स्केल और कॉटेज इन्डस्ट्रीज के लिए बने हुए हैं उनमें ही थोड़ा बहुत इधर-उधर परिवर्तन कर संशोधन कर लेंगे। यदि इस बिल को विस्तृत बनाया जाता तो अच्छा होता। सदन को रूल्स पर विचार करने का मौका भी मिलेगा। ८ खण्डों में कुछ स्माल स्केल और काटेज इन्डस्ट्रीज के लिए दिया है वह स्वभाविक है। मेथड ऑफ गिविंग एड में रूल्स होंगे। मेरा यहां पर सबसे बड़ा विरोध ही सब्सिडी से है। वह कुछ लोगों को अपना बनाने के लिये प्रवृति है, उनको राहत देने के लिए या संतुष्ट करने के लिए, उनको खुश करने मात्र का तरीका है। सही माने में सब्सिडी का दुरुपयोग हमेशा होता रहा है और ऐसे लोगों को मिला है जिनके विषय में संदेह प्रकट किया जा सकता है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन अनुभव है कि उन संस्थाओं को सब्सिडी नहीं मिलती उन संस्थाओं को यह सब्सिडी मिलनी चाहिये जो राज्य से सम्बन्धित हैं और जनता के हित में पैसा लगाना चाहती हैं। कुछ व्यक्तियों को सब्सिडी देना पक्षपात के अलावा कुछ नहीं है; केवल चुनाव में सहायता लेने के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि कई जगह कई बार देखा जाता है कि कई उद्योग खुल जाते हैं गांवों और शहरों में। मैं हमेशा सब्सिडी का विरोधी रहा हूँ। यह खतरनाक है। उद्योगों के लिए जल और बिजली की सहायता दे रहे हैं। यह राजकीय सहायता नहीं है यह मैं बता देना चाहता हूँ।

(४ म० प०)

मुझे जहां तक अपना अनुभव है कोटा के अन्दर किस प्रकार का इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट हो रहा है, उसके लिए जितना पानी दे रहे हैं, उसका खर्चा नगर पालिका को बर्दाश्त करना पड़ता है। वाटर वर्क्स जितना पानी पब्लिक के लिये खर्चा आता है उसको बांट देकर उसका एक्सपेन्डीचर नगर पालिका पर डाल देता है, बिजली का भी यही हाल है। आपके इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट का सारा नुकसान नगरपालिका को बर्दाश्त करना पड़ता है। आप सारा बोझ नगरपालिका पर या जनता पर डालना चाहते हैं। जो भी राजकीय सहायता दी जाती है, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कोटा के अन्दर हालांकि बिजली आनी चाहिए गांधी सागर से जितनी भी बिजली मिलती है उसको साल भर करीब होने आया मध्यप्रदेश में बिजली की दरें कम हो चुकी हैं, लेकिन हमारे कोटा के अन्दर उद्योग-धन्धों आदि के लिये वहीं रेट्स हैं, ७।। आने ८।। आने लोगों को देना पड़ रहा है। इस तरह का जो तरीका वहां चल रहा है उसको हमारे उद्योग मंत्री हल नहीं करा सके। आज इस प्रकार का सारा खर्चा है वह राज्य को उठाना चाहिये, आज यह सारा बर्डन नगरपालिका पर पड़ रहा है। आज वहां पर सस्ती दर से बिजली नहीं मिल पा रही है, इसमें हमारे मन्त्री बराबर असफल रहे हैं। जब कोटा में इन्डस्ट्रीज बढाने का शौक है तो इस बात का भी प्रयत्न होना चाहिए कि उसके लिए लोगों को सस्ती दर से बिजली मिले, लेकिन आज तक उनको उन्हीं रेट्स पर बिजली मिल रही है यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है।

Page No.87

(श्री दयाकृष्ण विजय)

औद्योगीकरण का प्रसंग आने पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज हर पंचायत समिति में औद्योगिक अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। आज तक मुझे बहुत सारी पंचायत समितियों में जाने का अवसर मिला है, लेकिन किसी भी पंचायत समिति में मैंने यह नहीं देखा कि किसी भी पंचायत समिति ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उद्योग-धन्धे चालू कर रखे हों, इस प्रकार के आंकड़े एक भी पंचायत समिति के पास तैयार किये हुए नहीं मिलेंगे। एक भी पंचायत समिति यह नहीं कह सकती कि हमने औद्योगीकरण करके अपनी तहसील, अपनी पंचायत समिति को आत्मनिर्भर किया है। जहां तक सहायता देने का प्रश्न है एक प्रकार से रस्म अदायगी होती है, छोटी सी सोसाइटी बना दी और उसको सहायता दे दी, लेकिन उनका जैसा भी उपयोग होता है वह सब जानते हैं। उन उद्योगों द्वारा कितना प्रोडक्शन होता है, इस प्रकार के आंकड़े माननीय मन्त्री महोदय नहीं बता सकते। इस प्रकार से गांव के उद्योग असफल रहे हैं उनमें किसी प्रकार की उन्नति नहीं हुई है।

मुझे याद है अपने इलाके में बांस का उद्योग खोलने वाले लोग हैं, उन लोगों द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के बाद न तो बैंकों से रुपया मिला है और न कोऑपरेटिव विभाग द्वारा समय पर रजिस्ट्रेशन हो पाया है; इसमें काफी समय लग जाता है और इस तरह से बैंक रकम देने से इन्कार कर देता है। बैंक वाले हमेशा जितनी रकम उनके लिये स्वीकृत होती है उतनी रकम उन सोसाइटीज को मिल नहीं पाती, इस कारण भी वहां का उद्योग पिछड़ता जा रहा है। हालांकि इस विधेयक में रखा है राहत देने की। लेकिन इससे उन छोटे व्यक्तियों को राहत मिलने वाली नहीं, इससे राहत उन लोगों को ही मिलेगी जिनके पास पहले से बहुत है। जो वास्तव में राहत के अधिकारी हैं सही मायने में उनको राहत नहीं मिल पायगी। इससे केवल उन चन्द पढ़े-लिखे लोगों को ही राहत मिल पायगी जिनके चन्दे इनकी संस्थाओं को मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह कानून बन रहा है, वह ठीक है; हम राजस्थान के समस्त उद्योगों को एक ग्रेड में करना चाहते हैं। लेकिन इसमें हमारा मतभेद है, आज हमें जितने भी उद्योग-धन्धे नजर आ रहे हैं उनको दो सेक्टर में बांटा जा रहा है, एक पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। इनके अलावा मैं चाहता हूँ, हमें तीसरा सेक्टर भी निर्माण करना है। हमारे गांवों के अन्दर जो जो छोटे उद्योग चलने वाले हैं जिनको हम कुटीर उद्योग के नाम से पुकारते हैं उनको सहायता देने का तरीका अलग होगा। और वे उद्योग जो मजदूरों की सहायता से चलते हैं उन उद्योगों को हमें अलग करना होगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कल-कारखाने, जिनमें मजदूरों का हाथ ज्यादा है उनका तरीका अलग है, उन सबको हम एक कानून में सम्मिलित करना चाहते हैं, यह मेरे ख्याल में उचित नहीं है। एक कानून में सारी बातों का समावेश हो जाय, यह भी नहीं माना जा सकता।

आपने इस कानून में एड देने की बड़ी भारी सूची रखी है कि किस प्रकार से हम ग्रामोद्योग को बढ़ाना चाहते हैं और किस प्रकार

Page No.88

(श्री दयाकृष्ण विजय)

से कम्पनीज बढ़ेंगी, इन दोनों के लिये अलग अलग प्रावधान करने होंगे। इसमें यह रखा है कि हम उन बातों को नियमों में रख देंगे, लेकिन मैं इस बात को पसन्द नहीं करता जब तक वे नियम हमारे सामने नहीं हैं, ऐसी हालत में इस बिल पर पहले प्रवर समिति में विचार हो जाय ताकि वहां पर पहले विचार हो जायं, उसके बाद यहां विचार होता है तो इसमें काफी सुधार की सम्भावना हो सकती है। यह ठीक है कि इस बिल का सर्कुलेशन पहले हो गया था, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम गम्भीरता से इस पर विचार करते हैं, उन गम्भीरताओं को इसके साथ देखते हैं कि ग्रामोद्योगों को हम किस तरह से प्रोत्साहन देंगे, इस तरह से एक साथ दो प्रश्न हल होते हैं। इससे गांवों की तरक्की होगी और गांवों के जो बेकार आदमी हैं उनको रोजगार मिल सकेगा। हमारा एम गांवों तक ही सीमित न होकर व्यक्ति तक सीमित होना चाहिये; आज होना यह चाहिये कि ग्राम के एक एक व्यक्ति को लेकर आगे बढ़ें हमें कुछ केपीटलिस्टों को ध्यान में रख कर नहीं चलना है। आप यह कल्पना करके चलते हैं कि अगर केपीटलिस्ट्स यहां उद्योग-धन्धे खोल देंगे तो हमारे लोगों को मजदूरी मिल जायगी। हमें यह सोच कर चलना चाहिये कि हमारा गांव का आदमी मजदूर नहीं, मालिक बने। जिससे हर आदमी अपना काम करते हुए स्वतन्त्र रहे और किसी के आश्रित न रहे। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो कुछ हम सब्सिडी दे रहे हैं, जो सहायता दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ वह राजनैतिक दृष्टिकोण से सहायता न दी जाय और आज इस प्रकार की सहायता न दी जाय और आज तक इस प्रकार की सहायता से जो कुछ भी समस्यायें हमारे सामने आयी हैं उन पर गम्भीरता से विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, I have no time. Yes, Hon'ble Minister.

(व्यवधान)

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : Allow me to say something. Have patience.

श्री उपाध्यक्ष : he should not be disturbed.

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग-मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में प्रवर समिति में सुपुर्द करने का प्रस्ताव श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा। प्रस्ताव करने के बाद जिस प्रकार की बातें उन्होंने अपने भाषण में कहीं उसके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि वे भ्रष्टाचार का चश्मा पहने हुए दूसरों को भ्रष्टाचारी समझते हैं। जो कुछ उन्होंने कह दिया उनको यह भी चाहिए था कि इसके बारे में वे सुनने की क्षमता रखते। लेकिन खैर, जो एक चुनाव का स्टंट होता है, पोलिटीकल स्टंट होता है, एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनको कहना था वह कह दिया, इसके साथ साथ उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आरोप भी लगाये। मैं समझता हूँ ऐसे मौके के लिए इस सदन को चुनाव

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

स्टंट का प्लेटफार्म बनाना शोभा नहीं देता। खैर, यहां हर सदस्य को जो कुछ भी वे कहना चाहें कहने का अधिकार है इसलिए उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर उनमें सत्यता है, दर असल वे यह सोचते हैं जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जिम्मेदाराना तरीके से कहा है, तो उसको वे साबित भी करें।

मैं यह कहना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की है, कांग्रेस के लिये, मेरे खुद के लिये या इस इन्डस्ट्रीज विभाग के लिये, जैसे मानो चारों तरफ भ्रष्टाचार का ही वातावरण हो। इसके साथ साथ उन्होंने लिस्ट उठाकर बतायी एसेन्शियलटी सर्टिफिकेट जिनको दिया गया उनकी और यह कहा कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, सब बेईमान हैं, वे किसी को चाहे इस बारे में कह सकते हैं, वे इसकी जांच कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा वातावरण बनाना कोई उनको शोभा नहीं देता। हो सकता है कि कुछ लोग, जिन लोगों को सहायता दी जाती है, उनमें से सहायता का ठीक उपयोग नहीं करते हों, तो इसकी जिम्मेदारी उन पर है, विभाग पर नहीं। ठीक है। विभाग का कर्तव्य है कि हमने जो सहायता दी है उसका ठीक उपयोग कर रहे हैं वे इसको देखने की कोशिश कर सकते हैं; कानून की तहत में या हमारे जो रूल्स बने हैं उनकी तहत में। कोई दो-चार, दस-बीस आदमी गलत काम करते हों तो उनकी बिना पर यह कहना कि सारे इन्डस्ट्रीज विभाग में भ्रष्टाचार है या ये भ्रष्टाचारी हैं, कोई अच्छी बात नहीं है।

मैं कहना चाहूँगा कि इन पांच सालों में जो कुछ भी राजस्थान के अन्दर औद्योगीकरण हुआ है वह स्पष्ट है। उसको देखते हुए आज विरोधी दल के आदमी यह समझते हैं कि अब राजस्थान में उनका कोई अस्तित्व नहीं रह पावेगा तो यह दूसरी बात है, नहीं तो वे इस बात को समझें और अच्छी तरह से देखें अपने उस चश्मे को हटाकर, तो मालूम होगा कि वाकई में क्या हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : आपका चश्मा नीचे रक्खा हुआ है। (उसे) पहन लीजिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरा चश्मा साफ है। आप अपना रंगीन चश्मा उतार कर देखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बिना चश्मा लगाये आप कैसे देखते हैं?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने का आखिर क्या मकसद है? पिछले चार-पांच सालों में औद्योगीकरण के सिलसिले में जो भी सरकार ने नीति अपनाई वह किसी कानून के अन्तर्गत नहीं थी। हमने छोटे छोटे उद्योग वालों को ऋण की सहायता देने के लिए कुछ रूल्स बना लिये थे, इसके बाद में हमने कुछ समय पहले औद्योगीकरण के लिए कुछ कन्सेशन्स एनाउन्स किये; जिसमें जमीन, बिजली आदि सस्ती दर पर मिल जावे, इत्यादि बातों का जिक्र था। तो उनको एक कानून के अन्तर्गत निश्चित रूप देने के लिये हम यह बिल यहां

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

हैं। अब यह आरोप लगाना कि इस बिल को यहां लाकर हम कोई इन्डस्ट्रियलिस्टों से नजायज फायदा उठाना चाहते हैं, या कांग्रेस उठाना चाहती है, क्योंकि चुनावों का मौका पास में आ गया है इसलिये उनसे रुपया इकट्ठा करके कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं तो कहना चाहूँगा कि जब हम कानून में नियमों को बांधना चाहते हैं तो आपको इसका स्वागत ही करना चाहिये था। जो काम हम आज बगैर कानून के कर रहे हैं. बगैर किसी विधान के कर रहे हैं उसको विधान के जरिये करना चाहते हैं तो इससे तो यह और स्पष्ट हो जाता है कि दरअसल में एक नियमित ढंग से हम कार्यवाही करना चाहते हैं। फिर श्रीमाधोपुर से आने वालों ने यह कहा कि इसके तहत में रूल्स बना दिए जावेंगे, तो मैं निवेदन कर दूं कि रूल्स बनाने को भी एक निश्चित प्रक्रिया होती है; उन्होंने जिस सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन में कहा बताया है वह भी मैंने देखा, पर कहीं पर उनकी बात नजर नहीं आई। हरेक विधान के अन्दर हमको रूल्स बनाने का अधिकार होता है।

मैं निवेदन करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि कोई भी सरकार आज स्टीरियोटाइप्ड एक्ट नहीं बना सकती। ऑल इण्डिया ऑर्गेनाइजेशन्स हैं जैसे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का है, खादी का है, उनके अलावा भारत सरकार के अलग अलग प्रकार के हमें निर्देश आते हैं, हैंडीक्राफ्ट का ऑल इण्डिया बोर्ड है, हैंडलूम का है और भी दूसरे इस तरह के बोर्ड हैं, जो अपनी नीति निर्धारित करते वक्त अलग अलग तरह से निर्देशन देते हैं और उसी के अनुसार हमें उनको यहां पर लागू करना पड़ता है, उन सबके लिए हम एक ही तरह का कानून या रूल कैसे बना सकते हैं? तो यह स्टीरियोटाइप्ड एक्ट बनाने की बात ठीक नहीं है। जो कुछ सहायता वहां से मिलती है वह भी उन्हीं के निर्देशन के अनुसार हमें वितरित करनी होती है। तो इस एक्ट में हम यह नहीं लिख सकते कि समस्त लोन किस तरह से दिये जावेंगे, कौन उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये तरीके हर वक्त, हर स्टेज पर चेन्ज होते रहते हैं। पहले यह था कि अगर लोन देना निर्धारित किया जाता था तो उसको ज्यादा से ज्यादा नीचे के लेवल पर ही, जैसे एक कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अफसर है या डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज है, तो वह उसको बांट देता था। लिबरलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज बराबर चलती हैं। इसके अनुसार जो non statuary रूल्स हैं उनके राहत हम देते रहे हैं। अब अगर कोई सब्सिडी देंगे तो उसके लिए हम रूल्स बना देंगे, और फिर उसके अन्दर देने का कायदा, तरीका इत्यादि इसमें लिख देंगे, तो मैं समझता हूँ इसमें हम क्या बुराई कर रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है कि जिसको इस एक्ट में ले आने की वजह से किसी भी प्रकार से ऐसी चीज हो जावेगी कि जिससे, कोई अन्-नैसेसरिली कोई एडवान्टेज उठा सकेंगे। मैं उनके तर्क को, उनकी बुद्धि को नहीं समझ सका। और मैं समझता हूँ उन परिस्थितियों में जो कुछ भी मैंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जो कुछ भी इन्डस्ट्रीज, हरेक को प्रोत्साहन देने के लिए, सहायता देने के किस किस प्रकार के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनका संक्षेप में वर्णन आ जाता है कि समय समय पर उनको किस प्रकार से सहायता देकर

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

स्थिर किया जा सकता है।

आज यह कहा जा रहा है कि चूंकि सरकार सहायता देती है इसलिए जरूरी तौर पर ये इन्डस्ट्रीज कांग्रेस-चुनाव में मदद करेंगे। मैं निवेदन करूं कि इतना सब कुछ स्पष्ट हो जाने के बाद भी अगर कोई इस प्रकार का वातावरण जान–बूझ कर बनाना चाहे तो यह तो हर चीज के लिये कहा जा सकता है, पर मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि जो कुछ भी कहा गया है, इस सिलसिले के अन्दर, उसके लिये अगर इस एक्ट की मन्शा का मुलाहिजा किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि जो हम आज काम चल रहे हैं उसी का इसमें उल्लेख किया गया है। वे सारी चीजें आज भी कर रहे हैं और उन्हीं को हम इस एक्ट में लाकर, उसकी तहत में, रूल्स बनाकर, व्यवस्थित ढंग से, विधान के अन्तर्गत करना चाह रहे हैं, तो इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिये।

फाइनेन्शियल कमिटमेंट के लिये बहुत लम्बी–चौड़ी बातें कीं। मैं बहुत सोचता रहा कि आखिर कहने वाले का आशय क्या है। इसके आखिर में यह दिया हुआ है कि ऐसे जो कन्सेशन्स या जो सहायता राज्य सरकार द्वारा उन इन्डस्ट्रीज को डेवलप करने के लिये दिये जावेंगे उनसे फाइनेन्शियल कमिटमेंट क्या होगा, इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। मसलन कोई ऐसी इन्डस्ट्री है जिसको हमें ऑक्ट्रॉय की छूट देनी है या और किसी प्रकार की सहायता देनी है तो इसका फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन क्या होगा। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कन्सोलिडेटेड फण्ड की बहुत बड़ी रकम इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को हम दे देंगे या ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यह कोरा भ्रम है; गलत वहम है, लोगों को मिसलीड करने का तरीका है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये बजट मौजूद है। अब जितना बजट है उतना ही तो खर्च कर सकते हैं। प्लान बनी हुई है कि पैसा किस चीज के लिये है यह निश्चित किया हुआ है, इन्डस्ट्री विभाग में। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सारी बहस जो बताई गई है कि पैसा बर्बाद होगा, नाजायज फायदा उठाया जावेगा, वह किस आधार पर कह रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि उनके पास इसका कोई आधार नहीं है, वे केवल जान-बूझ कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

तीसरी बात सब्सिडी के बारे में कही गयी। मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया उस बात को न भूलें कि खादी ग्रामोद्योग एक्ट है और उसके तहत में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बना हुआ है। शायद उसका भी जिक्र करते हुए अपनी बहस के अन्दर यह बताया है कि खादी की संस्थाओं में इस प्रकार से सब्सिडी दी जाती है। और वे कहीं से एक स्टेटमेंट ले आये और यह बताने लगे कि इस इस तरह से मेरे पास स्टेटमेंट मौजूद है। हो सकता है उनके पास स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ सब्सिडी के बारे में कि जहां तक इसमें बताया है कि ऐसी इन्डस्ट्रीज में जहां कि रिसर्च करने वाले हैं, मान लीजिए कि कोई रिसर्च करने वाले हैं तो हम सहायता के रूप में सब्सिडी दे सकते हैं। सब्सिडी किसी मशीन के खरीद करने के सिलसिले में यदि रिसर्च के अन्दर मशीन की जरूरत हो उसको

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

दे सकते हैं। पर इसमें सब्सिडी देने का प्रश्न नहीं है। जहां तक लघु उद्योग का सवाल है उनके लिए तो लोन है। सब्सिडी का हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस चीज को समझकर कि इसके अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी वजह से सब्सिडी देने से कोई बुरा काम हो जाये और यह भी बात है कि छोटे उद्योगों को जो थोड़ी बहुत सहायता दे सकते हैं उसके परिणाम भी हमारे पास आये हैं। यह कहा गया है कि पता नहीं चलता कि कितनी फैक्ट्रीज हो गई और कितना एम्पलॉयमेंट हो गया। तो यहां यह बहस का विषय नहीं है। अगर इसके बारे में कोई अलग से बहस रखी जाये तो मैं तैयार हूँ और मैं बता सकता हूँ कि कितनी सहायता मे आज कितनी इन्डस्ट्रीज खुली हैं, कितने छोटे छोटे उद्योग हुए हैं, कुटीर उद्योग हुए हैं और उसके कितने परिणाम हमारे सामने आये हैं, उनका कितना प्रोडक्शन हुआ है, ये सारे के सारे फिगर्स आपको बता सकता हूँ और आपको संतोष दिला सकता हूँ कि वाकई में इन तीन-चार सालों में उद्योग में काफी प्रगति हुई है। आप खुद अपनी आंखों के नीचे दृष्टान्त के रूप में देख सकते हैं कि जयपुर के अन्दर इन्डस्ट्रियल एस्टेट है, जिसको झोटवाड़ा में खड़ा किया है, मैं खुद जाकर निरीक्षण करके आया हूँ, वहां पर फैक्ट्रीज खड़ी हो गई हैं, काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के औद्योगीकरण में गलत वातावरण का बनाना, राजस्थान के औद्योगिकरण के लिए गलत भावना लोगों में पैदा करना, कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से आप अपने प्रदेश का भला नहीं कर सकते, आप किसी प्रकार से भी अच्छी बात नहीं कर सकते। ठीक है आप अपने पालीटीकल पोइन्ट ऑफ व्यू से कुछ कह गये, वह दूसरी बात है; लेकिन सही प्रकार से इसको देखें तो यह निश्चित बात है कि राजस्थान के अन्दर इस ओर काफी प्रगति हुई है। जो कुछ सहायता हम दे सके हैं उसके अच्छे परिणाम आये हैं, छोटे उद्योगों में और बड़े उद्योगोंमें भी अच्छे परिणाम आये हैं और जहां तक बड़े उद्योगों का ताल्लुक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि बड़े उद्योगों को जो कुछ मदद दी जाती है उसके लिए कॉर्पोरेशन्स बनी हुई हैं। आज राजस्थान फाईनेन्स कॉर्पोरेशन बनी हुई है, इन्डियन फाईनेन्स कॉर्पोरेशन बनी हुई है और ऐसी ही दूसरी एजेन्सीज बनी हुई हैं। डी० एल० एल० लोन्स हैं; यह सारी की सारी एजेन्सीज इस प्रकार की हैं जो सारे देश में इस प्रकार की मदद देती हैं और उनके जरिये वे मदद लेती हैं और वे कार्य कर रही हैं। इसी प्रकार से लघु उद्योगों के लिए जो कुछ है वह ब्लॉक लोन है, उनको हम डिस्ट्रिब्यूट करते हैं और आज हमने उनको डीसेन्ट्रलाइज्ड भी किया है। हमने कलेक्टर को भी अधिकार दिये हैं ५ हजार तक के लोन के और उसमें जो ५० परसेन्ट का एलोकेशन करते हैं, वह रूरल एरिया में करते हैं रूरल एरिया में जहां कहीं भी हमें बिजली उपलब्ध हो जाये या और दूसरी सुविधायें मिल वहीं हम इन्डस्ट्रियल कन्सर्न स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो कहा गया कि इस प्रकार से सब्सिडी वगैरह देना और करना-कराना; तो इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शायद श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य हर आदमी को बेईमान समझते हैं और

Page No.93

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

उसी तरह से वह काम करना चाहते हैं। मैं यह समझता हूँ कि यह मनोवृत्ति रखना अच्छा नहीं होगा और इससे किसी आदमी का आप भला नहीं कर सकते और इस प्रकार से राजस्थान का आप औद्योगीकरण नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार (जयपुर) आदमी को तो समझ लें, कोई बात नहीं, पर मंत्रीको नहीं समझा ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह पहले अपने आपको तो समझ लें, फिर दूसरों को समझने की कोशिश करें ।

इसके बाद में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि बहस के दौरान में कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमें पंचायत समितियों, जिला परिषदों आदि को ऐसे छोटे छोटे उद्योग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मै समझता हूँ कि इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकतीं। हमने वैसे पंचायत समितियों को भी लिखा है, जिला परिषदों को भी लिखा है कि इस प्रकार ऐसी कोई छोटी इन्डस्ट्री लगाना चाहें तो हम उसके अन्दर उनकी बराबर मदद करेंगे और इस ओर कदम भी बढ़ाया जा सकता है। मैं इस बात को मानता हूँ कि यह एक अच्छा सुझाव है और इसके तहत हमने इस ओर प्रयास भी किया है और हम करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी बताया है कि जो हमारी इन्डस्ट्रीज़ हैं उनका डीसेन्ट्रलाइजेशन हो और यह भी कहा गया कि आज कुछ अर्बेनाइजेशन हुआ है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान के अन्दर इन्डस्ट्रीज अर्बेनाइज्ड हो गईं। मैं तो यह समझूंगा कि जयपुर में एक इन्डस्ट्रियल एस्टेट बन जाता है या अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी या झालावाड़ या दूसरी जगह पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट बन जाता है, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स हैं, वहां के लिए भी आज हमारे पास पूरी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, कि वहां पर भी ये इन्डस्ट्रीज़ लगा सकें; इन्डस्ट्रीज़ लगाने के लिए दूसरे साधन भी उपलब्ध होने चाहिए। आज हम गांवों के लिए जाकर कहें कि यहां इन्डस्ट्रीज़ होनी चाहिए तो हमें वहां सभी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वह करनी भी चाहिए, मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता कि उसकी तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। अभी कुछ ऐसी बात आई कि कुछ नर्सरी सैन्टर्स या ऐसे ही कुछ उपलब्ध हो रहे हैं तो उनके जरिये हम रूरल इन्डस्ट्रियलाइजेशन कर सकें, इसके लिए हम सोच रहे हैं और उसको भी हम करना चाहते हैं।

इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जो कुछ इस एक्ट में दर्ज है उससे तो केपिटलिस्टों को ही फायदा उठाने दिया जायेगा। तो समझ में नहीं आता कि खाली पूंजीपतियों को ही इससे कैसे लाभ होगा और दूसरों को नहीं, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। इसमें हमने बताया है कि यह एड हर इन्डस्ट्री को दी जा सकती है। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, हम इन्डस्ट्रीज़ को पनपाना चाहते हैं, इन्डस्ट्रियल पोलिसी रिजोल्यूशन के तहत भी हमारे यहां बड़ी इन्डस्ट्रीज़ का होना जरूरी है, लघु उद्योगों का भी होना जरूरी है और साथ ही साथ कॉटेज इन्डस्ट्रीज और विलेज इन्डस्ट्रीज का भी होना आवश्यक है। उसी के तहत में यह कहा गया है और ऐसी परिस्थिति में जो बहस की गई कि बहुत से लोगों को कोटा गलत मिला और

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

नहीं मिलना चाहिए, इसको मिला, उसको नहीं मिला इस बिल के तहत में और बिल के जो कुछ प्रावधान हैं उसके तहत में बहस करना उचित नहीं होगा। इसके लिए क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से व्यवस्था है; मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो माल ऐसा है कि जिसके बारे में कोटा या एसेन्शियलिटी सर्टीफिकेट देना पड़ता है। मैं आपसे निश्चय कह सकता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने इसके बारे में ज्यादा स्ट्रिक्ट कदम उठाया है बनिस्बत दूसरी स्टेट्स के। हमने कुछ ऑफिसर्स को बॉम्बे स्टेट के इस वितरण के सिलसिले में भेजा और उन्होंने यहां आकर रिपोर्ट की है कि हमारे यहां पर स्ट्रिक्टनेस ज्यादा कर रखी है, ज्यादा उनके ऊपर इन्स्ट्रक्शन्स वगैरह और दूसरे उनके ऊपर कठोरता लगा रखी है, बनिस्बत दूसरी स्टेट्स को लेकिन कोई बात नहीं है, दरअसल यह चाहते हैं कि जिसने गलत काम किया है, अगर किसी ने गलत चीज को लाकर गलत इस्तेमाल किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ऐसे आदमियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। सही रूप से इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, यह हमारा ध्येय है और उस काम को करने के लिए समुचित व्यवस्था हो सकेगी उसको बराबर करते रहेंगे। इसमें दो राय नहीं हो सकती है।

मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दौराने बहस में इस बिल में जो कि एसिस्टेन्स या इसी प्रकार को बात कही गई है उसके बारे में रूल्स बनाने का अधिकार गवर्नमेंट ने अपने पास में लिया है और उन रूल्स के बनाने में इस एक्ट में सिर्फ यह बताया गया है कि किस किस प्रकार की क्या क्या एसिस्टेन्स दे सकेंगे। मैंने यह निवेदन किया है कि जो कुछ भी एसिस्टेन्स देंगे, जिस प्रकार की जो एसिस्टेन्स दे रहे हैं, वह एक प्रकार से नियम बनाकर होनी चाहिए। वह नियम बनाकर हाउस के सामने रखेंगे। उनको आप चाहे मोडिफाई कर सकते हैं, चेन्ज कर सकते हैं और बराबर पूर्णता ला सकते हैं। हम इसके अन्दर क्या बुराई कर रहे हैं? मैंने निवेदन किया है कि किसी भी तरह से इसको देखा जाए तो इस एक्ट के अन्दर ज्यादा सुविधा और सहायता और जिस प्रकार की एड और एसिस्टेन्स आज हम दे रहे हैं उससे एक नियमित ढंग से वह कार्य करना चाहते हैं। मैं यह समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री माधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य, जिन्होंने इसको प्रवर समिति में पेश करने के लिए अपना प्रस्ताव रखा है, तो प्रवर समिति में भेजे जाने के लिए कोई कारण नहीं है। यह बहुत सिम्पल और सीधी तरह का जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं उसको एक एक्ट के रूप में लाकर यहां पर करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि इसको वहां पर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने इस प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रियल बिल, १९६१ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टेट एड टू इन्डस्ट्रियल बिल, १९६१

Page No.95

(श्रीं उपाध्यक्ष)

विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

Shri P. K. Choudhari to move his amendment in clause 2.

(४.३२ म. प.)

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, I have got two amendments. In "sub-clause (1) insert the words 'Public Ltd.' between the words 'a' and 'company.'

उपध्यक्ष महोदय, क्लॉज २ डेफिनिशन में कम्पनी की डेफिनिशन दी गई हैं ।

company 'means' a company incorporated under the Companies Act, 1956."

मेरा जो अमेंडमेंट है वह

"'company' means a public limited company incorporated under the Companies Act, 1956"

दूसरा अमेंडमेंट जो है वह सब क्लॉज (२) में है :

"replace the word 'business' by the word 'concern' and delete the words 'undertaken or conducted by any person or body of persons'

दूसरे में इन्डस्ट्री को डेफिनिशन किया गया है ।

"'industry' means any industrial business or enterprise undertaken or conducted by any person or body of persons."

उसमें मेरा जो अमेंडमेंट है बिजनेस को डिलीट करके 'कन्सर्न' करने का । So the amended definition will stand :—

'industry' means any industrial concern or enterprise"

यह डिलीट करने का रखा है, क्योंकि वह सुपरफ्लुअस मैं समझता हूँ, लगता है । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कम्पनी को डेफिनिशन किया गया हैं तो 'कम्पनी' इस बिल में सिर्फ एक ही जगह पर आया है, जहां पर मैं आपको क्लॉज ५ की तरफ रेफर करता हूँ । क्लॉज ५ की सब क्लॉज (ई) में, "by guaranteeing minimum return on the capital of a company" वह एक ही जगह आया है, by guaranteeing a minimum return on the capital of a company" एक ही जगह कम्पनी का रेफरेन्स आया है । उसके लिए कम्पनी को डिफाइन किया, है 'company' means any company incorporated under the Companies Act, 1956."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पब्लिक लिमिटेड का इसलिए रखा है क्योंकि यह जो कम्पनी है आज जैसा इस बिल में है ऐसी कम्पनी रह जाती है तो कोई भी फेमिली की कम्पनी हो जाती है, प्राइवेट कम्पनी एक बनाई और प्राइवेट कम्पनी होती है तो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में जो है उसके शेअर्स ओपन टू दी पब्लिक होते हैं । वे नेगोशियेबल होते हैं और ओपन टू दी पब्लिक रहते हैं ताकि उस कम्पनी के शेअर्स आप भी होल्ड कर सकते हैं, मैं भी शेअर होल्डर हो सकता हूँ और भी

(श्री पी- के. चौधरी)

कोई पब्लिक का आदमी शेअर होल्डर हो सकता है, लेकिन प्राइवेट कम्पनी के शेअर्स क्लोज्ड होते हैं। वे व्यक्ति विशेष की फेमिली में कन्फाइन्ड रहते हैं। पूर्ण सर्किल में कन्फाइन्ड करके प्राइवेट कर देते हैं। कम्पनी का इसलिए रखा है कि जैसा कि आगे मैंने बताया कि क्लॉज ५ में कम्पनी को मिनिमम रिटर्न्स केपिटल पर गारन्टीड करने का सवाल आया है। इस सिलसिले में कम्पनी आता है। इस सम्बन्ध में क्लॉज ५ आयेगा तो राय दूंगा कि कम्पनी को मिनिमम रिटर्न्स केपिटल के ऊपर देना उचित है या अनुचित है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तक किसी कम्पनी को गवर्नमेंट ने मिनिमम रिटर्न्स, सिवाय फाइनेन्स कार्पोरेशन के, इन्डस्ट्री में किसी कम्पनी को मिनिमम रिटर्न्स केपिटल पर एश्योर नहीं किया है, गारन्टीड नहीं किया है। इसलिए मुझे जरा वह ठीक नहीं मालूम हुआ। उस हालत में मान लीजिये कि इस बात को करना भी है तो उसकी बहस क्लाँज ५ पर हम करेंगे, लेकिन कम्पनी की डेफिनिशन का संबन्ध केपिटल रिटर्न्स एश्योर करने के साथ है, इसलिए मैं चाहूँगा कि यह कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी नहीं, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होनी चाहिए। इसमें यह गुन्जाइश रहती है कि ऐसी कम्पनी किसी फेमिली की मोनोपोली नहीं है, एक फेमिली कन्सर्न नही हैं; जिसमें पब्लिक का कोई एप्रोच नहीं हो। इसलिए मेरा यह अमेंडमेंट है।

दूसरा अमेंडमेंट मेरा जो है इन्डस्ट्रियल बिजनेस की जगह इन्डस्ट्रियन कन्सर्न करने का। उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियल बिजनेस की भी डेफिनिशन जो है वह वाइड होती है। इन्डस्ट्रियल कन्सर्न में भी ऐसी कम्पनी आ सकती है जिसका काम जैसा कि मान लीजिये कि कोई गुप्ता फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक प्राइवेट कम्पनी का नाम है। अब वह क्या करता है? वह आदमी को मकान बनाने के लिए कर्जा देता है। वह थोड़ी बहुत इन्डस्ट्रीज के लिए कर्जा देता है। बस रूट्स के लिए भी वह बसें खरीदने के लिए कर्जा देता है एडवान्स में, लेकिन जहां तक ऐसी कम्पनी का सवाल है तो जब इन्डस्ट्रियल कन्सर्न रखेंगे तो इन्डस्ट्रियल कन्सर्न का मालूम होता है। उसी कन्सर्न या उसी फर्म directly involved in some industrial operation का वह हो। जो किसी इन्डस्ट्री को कंडक्ट करता है या जो इन्डस्ट्रियल बिजनैस रखता है तो जो बोहरगत का धंधा करता है, रुपये ब्याज पर देता है या फाइनेन्शियर है, पैसा कर्ज पर देता है, इन्डस्ट्री के लिये कर्जा देता है या मकान बनाने के लिये कर्जा देता है या विवाह शादी के लिये कर्जा देता है, वह भी इससे फायदा उठायेगा, यदि इन्डस्ट्री की डेफिनिशन में उसको रखेंगे तो वह भी स्टेट एड इस माफिक प्राप्त करने का भागीदार बन सकता है। पैसा देना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के डिस्क्रीशन पर रहेगा। इन्डस्ट्रीज मीन्स इन्डस्ट्रियल बिजनैस; डिफाइन करते तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को डिस्क्रीशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकेंगे। नहीं तो ऐसे आदमियों को भी वह इस बात के लिये कर्जा दे सकता है जो गवर्नमेंट से कर्जा कम ब्याज पर लेकर ज्यादा ब्याज पर पैसा छोटे इन्डस्ट्रियलिस्टों को को दे सकता है, मकान बनाने वालों को दे सकता है या और किसी को दे दे। इसलिये मैं चाहता हूँ कि जहां इन्डस्ट्रियल बिजनैस रखा है वहां इन्डस्ट्रियल कंसर्न रखते तो हम समझते हैं कि इन्डस्ट्रियल कंसर्न है; 'industry' means industrial business. Industrial concerns

(श्री पी. के, चौधरी)

are those which, are directly involved in the operations of the industry. जो इन्डस्ट्रियल एक्टिविटीज से डाईरेक्टली कंसर्न्ड है उसको मिलना चाहिये; नहीं तो सरकार से ४ पर्सेंट ब्याज पर रुपये लेगा और यदि मुझे जरूरत है तो मुझे वह ६ पर्सेंट ब्याज पर वापिस देगा। इसलिये मिडल मैन का फंक्शन करने लग जायगा। इसलिये मेरा अमेंडमेंट है कि 'इन्डस्ट्रियल कंसर्न' रख देना चाहिये। मैं समझता हूँ मंत्रीजी को यह स्वीकार होगा।

दूसरी बात मैंने रखी थी 'industry' means any industrial business or enterprise' यह हम रखते तो ' conducted by any person or body of persons' ऑब्वियस है, क्योंकि कोई इन्डस्ट्रियल बिजनेस या कंसर्न बगैर आदमी के चल नहीं सकता, ओटोमैटिक मशीन से चल नहीं सकता। It is implied that it will be conducted by somebody or person or persons. तो इसलिए 'undertaken or conducted by...' सुपरफ्लुअस समझता हूँ, नहीं भी रखें तो चल सकता है, रखें तो भी ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ लॉ ब्रीफ होना चाहिये and from the point of view of brevity सुपरफ्लुअस चीज न रखें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेन्डमेंट जो बताया गया है कि कम्पनी को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बना दिया जाय, मैं यह कहना चाहूँगा कि इन्डियन कम्पनीज एक्ट में दो प्रकार की कम्पनीज का कन्टेम्पलेटेड हैं, एक तो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी और दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी। ये दो ही प्रकार की होती हैं। क्लॉज ५ का आपने रेफ़रेन्स दिया। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें एक के लिये नहीं है, दोनों ही प्रकार की कंपनीज होंगी उनको असिस्टेन्स दी जा सकती है। प्राइवेट कम्पनीज में मिनिमम नम्बर २ होना चाहिये। and it should not exceed 20 as laid down in the Companies Act and, therefore, this definition is all right. "Company 'means any company, which is incorporated under the Indian Companies Act" and this amendent is not at all required.

दूसरा जो अमेन्डमेंट बताया है सब क्लॉज (२) में 'business' instead of concern, I cannot understand what exactly the Hon. member means. इन्डस्ट्रियल बिजनेस कोई डिफरेन्ट हो जायगा किसी कंसर्न से। It is the same thing whether you call it industrial undertaking, industrial business or industrial concern. It makes no difference. Any of these words carries the same meaning.

दूसरा यह है कि "undertaken by any persons or persons" यह तो होना चाहिये, नहीं तो क्या any industry means industrial business or concern ? Then by whom it is run ? By whom it is undertaken ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It is implied.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Either it is a corporate body or non corporate body, person or body of persons.

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

it may be association, cooperative society, Hence tbe words 'person or body of persons'.

श्री उपाध्यक्ष : So you are moving for withdrawing the amend nent,

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज २ पर प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २ और ३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २ और ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ४, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ के सब क्लॉज (१) में मेरा एक संशोधन है, जो इस प्रकार है :

"Delete the words 'as may be specified in this behalf by the State Goverment from time to time" appearing in sub-part (b) of part (ii) of the explanation."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन प्रस्ताव इस दृष्टि से रखा है कि जो गवर्नमेंट ने यह लिखा है, 'an industiy in which the capital investment does not exceed Rs. 10 lacs and which manufactures aucillaries and components of such industries as may be specified in his behalf by the State Goverment from time to time."

यह जो इन्डस्ट्रीज की स्पेसिफिकेशन के बारे में गवर्नमेंट ने पॉवर रखा है, टाइम टू टाइम स्पेसिफाइ कराने का, उसके बारे में मैंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा है और मैं समझता हूँ मन्त्री महोदय इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और इसमें जो दूसरा पार्ट है "Such industries" के बारे में उस प्रस्ताव को भी स्वीकार करेंगे।

इन्डस्ट्री कहीं है और जिस किसी इन्डस्ट्री के कम्पोनेन्ट पार्ट्स और बाकी चीजें हैं वे कहीं भी बनावे, उसको स्टेट गवर्नमेंट को स्पेसिफाइ करने की जरूरत नहीं है। Indu try is after all an industiy जो भी इन्डस्ट्री की तारीफ में आती है, स्माल स्केल इन्डस्ट्री के यदि कॉम्पोनेन्ट पार्ट्स बनायेगा जिसकी केपिटल १० लाख तक की होगी वह स्माल स्केल इन्डस्ट्री की तारीफ में आ जायेगा। मैंने सजेशन दिया है कि यदि वह इन्डस्ट्री १० लाख के केपिटल की है और कॉम्पोनेन्ट पार्ट्स बनाती है तो वह हमारे राज्य में चलेगी या बाहर चलेगी, उसके कॉम्पोनेन्ट पार्ट्स बनाती है तो स्पेसिफाइ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करने की जरूरत नहीं है कि इन इन के कॉम्पोनेन्ट पार्ट्स बनाती है तो एड की तारीफ में आयेगी, वर्ना नहीं आयेगी। मैं समझता हूँ यह उचित नहीं होगा। जिस प्रकार की इन्डस्ट्रीज हिन्दुस्तान में चलती हैं या राजस्थान में पनपेंगी और दूसरी छोटी इन्डस्ट्रीज हैं उनको स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में लाना चाहेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई कारण हो सकता है जब कि हम सरकार को पॉवर दें कि राज्य सरकार चाहे तो स्पेसिफाइ करे कि इन इन इन्डस्ट्रीज के पार्ट्स बनायेंगे उनको सहायता देंगे। जो इन्डस्ट्रीज हैं उनके जो भी पार्ट्स होंगे, जिसका इन्वेस्टमेंट १० लाख का होगा वे इस डेफिनिशन में आनी चाहिये। इसके लिये मैंने यह संशोधन क्लॉज ४ (१) में रखा है।

दूसरा संशोधन प्रस्ताव जो मैंने रखा है वह यह है कि सब क्लॉज (१) है उसमें नया प्रोविजो जोड़ा जाय। सब क्लॉज (१) में लिखा है :

"An industry to which aid may be given under this Act shall be such as has an important bearing on the economic development of the State and such industry may be......"

मैंने इसमें प्रोविजो जोड़ने के लिये संशोधन का प्रस्ताव रखा है और उस संशोधन के द्वारा मैंने मांग की है :

"provided also that no aid shall be given to any khadi induatry or other industries, which have obtained aid from the State in any other manner."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन के प्रस्ताव के जरिये इस बात की मांग की है कि इन्डस्ट्रीज को एड देने की दृष्टि से बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके द्वारा आप इन्डस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं; राजस्थान के आर्थिक विकास की दृष्टि से आप किसी इन्डस्ट्री को पनपाना चाहते हैं। इस बिल के जो सारे सब्सटेन्टिव क्लॉजेज हैं, जो सब्सटेन्टिव पार्ट्स हैं, वे इस दृष्टि से ही हैं कि कानून के तहत उन सारे उद्योगों को सहायता दी जायगी जो राजस्थान के आर्थिक विकास की दृष्टि से, राजस्थान की आर्थिक उन्नति करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। मैं समझता हूँ जहां तक इन्डस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट का सवाल है, इन्डस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा इकोनोमिक डेवलपमेंट का सवाल है, खादी इन्डस्ट्री उस दृष्टि से पार्ट प्ले नहीं करती है जिस दृष्टि से इस कानून को लाया गया है। इसलिए मैंने इस संशोधन प्रस्ताव के द्वारा मांग की है कि कानून के जरिये किसी प्रकार की खादी इन्डस्ट्री हो, उसको राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता नहीं देनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें स्पष्ट कहा है कि जिन इन्डस्ट्रीज को किसी अन्य जरिये से किसी प्रकार की सहायता मिलती हो उनको किसी प्रकार की एड (aid) इस कानून के तहत नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जो लोग, जो उद्योगपति, जो इन्डस्ट्रियलिस्ट कई प्रकार के साधनों के जरिये, कई प्रकार के सोर्सेज से एड लेते हैं, मैं समझता हूँ, वे एड नहीं ले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सकेंगे । इस प्रकार का प्रोवीजन करना जरूरी है कि जो इन्डस्ट्री किसी अन्य सोर्स से, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के सोर्स से इस प्रकार की सहायता लेती है, जिस किसी इन्डस्ट्री को सहायता मिलती है, तो उसे कानून के तहत दुबारा सहायता न दी जा सके, इस प्रकार का प्रोवीजन करने की आवश्यकता है :

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है, इसमें जो सब क्लॉज (२) है, उसको डिलीट कर दिया जाय । सब क्लॉज (२) इस प्रकार है :

"The decision of the State Government as to whether conditions of this seetion are fulfilled shall be final and shall not be called in question in any court of law.

मैं यह नहीं समझता कि इस क्लॉज ४ के तहत जिन इन्डस्ट्रीज़ को जो सहायता देनी हैं, वे कन्डीशन्स हैं, जो इसमें ले डाउन कर दी हैं । इन इन शर्तों की जो पूर्ति करेगा, जो इन्डस्ट्री या उद्योग इन शर्तों की पूर्ति करेगा, उसको सहायता देंगे । मैं नहीं समझता कि कोई उद्योग किसी प्रकार की शर्त को पूरा नहीं करता, तो उसको सहायता देने का विचार क्यों रखें ? शर्त के विरुद्ध आप सहायता देना चाहते हैं, ऐसा लगता है । यह जो प्रोवीजन रखा गया है कि शर्त के विपरीत किसी उद्योग को सहायता दी गई तो उसके बारे में कोई आदमी अदालत में नहीं जा सकता, उस पर राज्य सरकार का फैसला अन्तिम होगा । यह इस बात का संकेत करता है कि बिल, एक्ट के खिलाफ, राज्य सरकार कानून के खिलाफ, नियमों के विरुद्ध, शर्तों के खिलाफ सहायता देगी, वह सहायता किस विचार से देगी, इसका मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । मेरे मन में इस बात की शंका है कि यह सब–क्लॉज (२) का एडीशन किया है, वह इस दृष्टि से किया है कि जो क्लॉज ४ में कन्डीशन ले डाउन की है कि उन उद्योगों को इन शर्तों के आधार पर, इन परिस्थितियों में सहायता देंगे वे पूरी नहीं होंगी, तो कानून कहता है कि उस उद्योग को सहायता दे सकते हैं, उस इन्डस्ट्री को सहायता दे सकते हैं । कानून कहता है कि इन शर्तों पर सहायता दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कानून में एक हथियार रखा लिया है, जिसमें यह कह दिया है कि शर्तों के खिलाफ, नियमों के खिलाफ, विधान के खिलाफ किसी प्रकार के उद्योग को सरकार सहायता दे देगी, तो कोई आदमी उसको चैलेंज नहीं कर सकता । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इस प्रकार के सब–क्लॉज को रखने की क्या आवश्यकता समझी गई ? क्या आप समझते हैं कि कानून के खिलाफ काम करेंगे; क्या आपके मन में शंका है ? क्यों इसकी सम्भावना रखी है कि जैसी हमारी मर्जी होगी वैसा करेंगे ? मैं इस इरादे को नेक नहीं कह सकता कि कानून को तोड़ कर, कानून की शर्तों के खिलाफ किसी उद्योग को सहायता देंगे ।

एक बार आपने कोई कानून बना दिया, स्टेचुटरी रूल्स बना दिये, जिसके तहत काम करने का मकरार है । यह बात सही है कि अभी तक न तो किसी स्टेचुटरी रूल्स के तहत काम कर रहे हैं, न कोई कानून के तहत काम कर रहे थे । जैसा उन्होंने कहा कि कानून के विपरीत काम कर रहे हैं, कानून

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के खिलाफ काम कर रहे हैं, कानून के बिना काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो यह प्रोवीजन बनाया है, इससे ऐसा लगता है कि कानून के बन जाने पर भी बिना कानून के काम करना चाहते हैं। कानून में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी आपको चिन्ता नहीं है। आपने लिख दिया कि राज्य सरकार का जो फैसला होगा, राज्य सरकार के फैसले का मतलब यह है कि मंत्री महोदय का जो फैसला होगा; 'मंत्री महोदय का फैसला होगा' इसका मतलब यह है कि मंत्री महोदय जिस उद्योग को सहायता देना चाहेंगे उसको देंगे। यदि आपकी यह मन्शा है, यदि यह इच्छा है, तो इस क्लॉज में जो शर्तें रखी हैं, उनको हटा दीजिये और लिख दीजिये कि जिस जिस उद्योग के ऊपर, या जिस जिस उद्योगपति के ऊपर मंत्री महोदय की कृपा हो जायगी वह सहायता से वंचित नहीं रहेगा। जैसा सर्विस में होता है कि it will be at the mercy or at the pleasure of the President or the Governor; आप ऐसा प्रोवीजन लिख दीजिये कि aid to every industry shall be given at the pleasure of the Minister of the Department concerned.

मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रावधान रख दीजिये, फिर मन की जैसी मर्जी हो, वैसा कीजिये। लेकिन कानून विधान सभा से पास कराना चाहते हैं और कानून में शर्त लिखना चाहते हैं तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार का नेक इरादा है, उसका मनमाने ढंग से दुरुपयोग करने की इच्छा नहीं है तो उनको कहना चाहिए कि राज्य सरकार शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार उद्योग को सहायता देगी। नियमों के विरुद्ध, शर्तों के विरुद्ध किसी प्रकार की सहायता किसी उद्योग को नहीं देगी। इस प्रकार की स्पष्ट घोषणा मैं इस सम्बन्ध में कराना चाहूँगा....

श्री उपाध्यक्ष : Would you help me in disposing of this amendment within the time which is left with us ?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Strictly I will define one minute to five.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जारी) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें और भी संशोधन प्रस्ताव हैं और कई माननीय सदस्यों के हैं। मैं जरूर समाप्त कर देता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता, अगर सारा बिल आज पास हो जाता। आज न तो बिल पास हो सकता है, और न क्लॉज पास हो सकता है। इसलिए मैं कर्टेलमेंट की आवश्यकता नहीं समझता....

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन स्वीकार या अस्वीकार हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक संशोधन ही वोट पर नहीं रखा जायगा, जब तक कि सारे संशोधन प्रस्तुत न हो जायें। एक अमेंडमेंट डिस्पोज ऑफ कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप चाहें तो मैं डिस्पोज ऑफ कर दूं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मन्त्री): जो अमेंटमेंट का प्रस्ताव रखा है....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : मेरा भी अमेंडमेंट है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपका भी है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं बाद में लूंगा। इसका रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जब तक पूरे संशोधन न आ जायं, किस प्रकार एक का रिप्लाई हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष On the particular amendment moved by Mr. Satish-Chaudra.

श्री दयाकृष्ण विजय : ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पर्टिक्युलर अमेंडमेंट पर रिप्लाई हुआ हो।

श्री उपाध्यक्ष : There is nothing irregular.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीव सदस्य ने जो अमेंडमेंट पेश किया है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सब-क्लॉज (बी) है, इन्डस्ट्री जिसमें केपीटल इन्वेस्टमेंट १० लाख का हो and which manufactures ancillaries and components only और स्माल स्केल इन्डस्ट्री की डेफिनिशन में है कि पांच लाख का केपिटल इन्वेस्टमेंट हो। उसका केपीटल इन्वेस्टमेंट १० लाख तक बढा दिया गया है वह इन्डस्ट्री होगी, जो दूसरे कम्पोनेन्ट और पार्टस बना रही है। ऐसी शक्ल में वह इन्डस्ट्री स्पेसिफाइड है। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ इन्डस्ट्रीज आती हैं, ये इन्स्ट्रीज कॉम्पोनेन्ट पार्ट्स बनायेंगे। जिसमें १० लाख तक के केपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा। उस इन्डस्ट्री को जो एड मिलती है वह मिल सकती है। ऐसी शक्ल में वह समय समय पर चेंज होती रहती है, पहले दस थी, अब पांच-छः और आ गई हैं। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती रहती हैं। इसलिए प्रावधान रखना आवश्यक है उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा।

दूसरी बात आपने प्राविजो के बारे में कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रोविजो की कतई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो इन्डस्ट्रीज बताई गई हैं. उसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है : इन्डस्ट्री कॉटेज इन्डस्ट्री स्माल स्केल इन्डस्ट्री विलेज इन्डस्ट्री ये सारी की सारी हैं। जहां तक खादी का सवाल है वह खादी बोर्ड के तहत आती हैं. खादी एक्ट के तहत उनको सहयता मिलती है। ऐसी शक्ल के अन्दर मैं समझता हूँ. हम देते भी नहीं हैं, अभी तक नही दे रहे हैं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप देते हैं, यह बात सही है, राजस्थान गवर्नमेंट देती है।

श्री उपाध्यक्ष : You are very sensitive about Khadi.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक्ट के तहत जो इन्डस्ट्रीज स्पेसिफाइड हैं, you cannot draw a line between cottage industry and village industry. It is very difficult.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : But you have drawn.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Cottage industries...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You have drawn a 'moti" line.

श्री रिखब चन्द धारीवाल : इसलिये मैंने अर्ज किया है कि इसकी जरूरत ही नहीं है। The decision of the State Government as to whether conditions of this section are fulfiled shall be final and shall not be called in question in any court of law.

इस एक्ट में जो प्रावधान हैं उसके खिलाफ करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यह तो एक तरीका है। इसका फाइनल डिसीजन कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में थोड़े हीच सीटते रहेंगे। This should be the decision of the Government. These are provisions in the Acts of other States also. There is nothing new.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : If you do not keep this provision can it be challanged in the Court of Law.

श्री उपाध्यक्ष : Let us see tomorrow. So we adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर १ मिनिट पर दिनांक १३ सितम्बर, १९६१ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, दिनांक १२ सितम्बर, १९६१)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक २३४

कार्यालयों का स्थानान्तरण ।

टोंक जिले में लगान की वसूली ।

अध्यापकों की पदोन्नति ।

भूमि आवंटन ।

सड़क निर्माण की योजना ।

रेवेन्यू बोर्ड के निर्णयों की तामील ।

रोड बाउन्डरी की जमीन पर दुकान का निर्माण ।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, जयपुर ।

जोधपुर जिले में जागीरों का पुनर्ग्रहण ।

राजस्थान स्टेट होटल की बकाया ।

नेहरू एवार्ड के अनुसार जागीरदारों को लाभ ।

नसीराबाद कस्बे में बिजली ।

गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिन्सीपल की नियुक्ति के आधार ।

जालोर जिले में जागीरों का पुनर्ग्रहण ।

झुन्झुनू गुढ़ा गोड़जी उदयपुर सड़क ।

पंचायतों के दावे तथा प्रोविजनल एवार्ड—जिला जालोर ।

अनिवार्य पाठशालाओं के अध्यापकों के पे स्केल्स ।

धौलपुर के श्रीनृसिंहजी व श्री राधाबिहारीजी के मन्दिरों में सामग्री की व्यवस्था ।

एसेन्सियलिटी सर्टिफिकेट ।

पाली जिले में नई सड़कों का निर्माण ।

फोल्डिंग कैमरा की खरीद ।

धौलपुर नगर के गार्डन्स पर व्यय ।

सांचोर हायर सेकन्डरी स्कूल में पढ़ाये जाने वाले विषय और उनके निमित्त अध्यापक ।

भरतपुर जिले में विद्युत वितरण की व्यवस्था ।

परिगणित जातियों तथा परिगणित जन जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति ।

भरतपुर जिले की कतिपय सड़कों

का निर्माण कार्य तथा मरम्मत ।

सदन से अनुपस्थित हेतु अनुमति । २६६

श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा) को ११ सितम्बर, १९६१ से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई ।

राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता विधेयक, १९६१ २६६

श्री रिखबचन्द धारीवाल, उद्योग मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

वाद–विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री मोतीलाल चौधरी

(२) श्री पी० के० चौधरी

(३) श्री जनार्दनराय नागर

(४) श्री मुरलीधर व्यास

(५) श्री लादूराम सुलाणिया

(६) श्री श्रीमानसिंह

(७) श्री रामचन्द्र

(८) श्री हीराभाई यादव

(९) श्री हरिप्रसाद यादव

(१०) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(११) श्री दयाकृष्ण विजय

(१२) डॉ० बहादुरसिंह ।

प्रभारी मन्त्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन–प्रस्ताव अस्वीकार किया गया एवं विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ ।

खण्ड २ से ३–स्वीकार किए गए । खण्ड ४–पर बहस हो रही थी कि सदन की बैठक १३ सितम्बर, १९६१ तक के लिए स्थगित की गई ।

बुधवार, दिनांक १३ सितम्बर, १९६१ की कार्य-सूची

१. राजस्थान उद्योगों के लिये राजकीय सहायता विधेयक, १९६१ अग्रेतर खण्डशः विचार–विमर्श एवं पारित)

२. राजस्थान कमर भोम उत्पादन विधेयक, १९६१ (खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित) ।

३. राजस्थान नाटकीय प्रदर्शन तथा मनोरंजन (संशोधन) विधेयक १९६१ (विचार–विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर देखिये)

LIST OF OFFICES SHIFTED

S. No.	Name of the Department	SHIFTED from	to	Year
1.	Devasthan Department.	Jaipur	Udaipur	1955
2.	Chief Conservator of Forests.	Kotah	Jaipur	1956
3.	Engineer, Industries & Commerce Department.	Udaipur	Jaipur	1956
4.	Divisional Commissioner, Jaipur	Jaipur	Ajmer	1956
5.	Officer, Live-Stock Develpment.	Kotah	Jaipur	1956
6.	Director of Ayurved.	Jaipur	Ajmer	1956
7.	Dy. Inspector General of Police (Range)	Jaipur	Ajmer	1956
8.	Divisional Panchayat Officer, Jaipur.	Jaipur	Ajmer	1957
9.	Manager, Govt. Pharmacies Rajasthan,	Jaipur	Ajmer	1957
10.	Animal Husbandary Officer.	Alwar	Jaipur	1957
11.	Dy. Director of Social Education.	Bikaner	Jaipur	1957
12.	Competent Officer, Rajasthan.	Alwar	Jaipur	1957
13.	Dy. Director of Employment.	Ajmer	Jaipur	1958
14.	Rajasthan Public Service Commission.	Jaipur	Ajmer	1958

1	2	3		5
15.	Board of Revenue for Rajasthan.	Jaipur	Ajmer	1958
16.	Rajasthan Oriental Research Institute.	Jaipur	Jodhpur	1958
17.	Divisional Officer, Small Savings Scheme.	Jodhpur	Bikaner	1958
18.	Dy. Director, Sheep & wool	Bikaner	Jaipur	1959
19.	Director of Archieves.	Jaipur	Bikaner	1960
20.	Director of Collegs Education Rajasthan.	Bikaner	Jaipur	1960
21.	Registrar, Departmental Examinations.	Jaipur	Bikaner	1960

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर देखिये)

नक्शा आराजी जे दिनांक १६-६-६१ से अब तक तहसील उनियारा में अलॉटमेंट

नं० शु०	नाम ग्राम	नाम भूमिहीन आसामी जिसको अलॉटमेन्ट	तादाद रकबा जो अलॉट हुआ	विशेष विवरण
	सद्दीकपुरा	श्री बदरी पुत्र गोपाला बागरिया	४)	अस्थाई एक साल के लिए।
२.	‥ ाई	श्री नजरू वल्द घासी फकीर	५)	,,
३.	रूपवास	श्री रंगा पुत्र श्रीया मीना	१५)	,,
४.	सुरेली	श्री अमरा पुत्र रामसुखा कुम्हार	१०)	,,
५.	रूपवास	जन्सी पुत्र बजरंगा	१५)	,,
६.	आली	श्री धन्ना पुत्र भूरा गूजर	१०)	,,
७.	,,	श्री रामनाथ पुत्र गिरधारी भैरवा	१०)	,,
८.	सोप	श्री छीतर पुत्र बालू धाकड़	१५)	,,
९.	,,	श्री जगन्नाथ पुत्र कान्हा धाकड़	।)	,,
१०.	पाड़ली	श्री रामचन्द्र पुत्र गणेश मीना	५।)	,,
११.	सूंथड़ा	श्री सोहनलाल पुत्र भूरालाल खाती	१०)	बाद में गांव वालों की उजरदारी होने पर तसफिया सुपुर्द नहीं की गई
१२.	दोबड़िया	श्री स्वरूपसिंह पुत्र कल्याणसिंह उनियारा	१५)	,,

1	2	3	4	5
१३.	सोप	श्री चन्द्रा पुत्र ओंकार भैरवा	५)	बाद में गांव वालों की उजरदारी होने पर तसफिया सुपुर्द नहीं की गई
१४.	ओलरिया	श्री छोटू पुत्र श्रीया	८)	
१५.	,,	श्री सूरजमल पुत्र कल्याण बोहरा	३)३	,,
१६.	बनेठा	श्री घासी पुत्र रोड़बलाई	१५)	ताजा काश्त हो चुकी, लेने से इन्कार किये अतः केन्सिल किया गया
१७.	,,	घनश्याम पुत्र मूल्वा माली	१८)	,,
१८.	,,	बंशी पुत्र बजरंगा माली	१०)१	,,
१९.	,,	श्री राधेश्याम पुत्र बजरंगा नाई	१२।)	,,
२०.	बड़जारी	श्री केसरनाथ पुत्र बैजनाथ	।)	अस्थाई रूप से एक साल के लिए
२१.	सोप	पंचायत सोप	१५)	,,
२२.	गोपाली	श्री फजल रहमान पुत्र अब्दुलरहमान	१५)	,,
२३.	बनेठा	श्री घासी पुत्र रामदेवा बलाई	२।)२	,,
२४.	,,	श्री मांगीलाल पुत्र बिरदा बलाई	१५)	,,
२५.	,,	श्री भूरा पुत्र हरनाथ बलाई	१५)	,,
२६.	,,	श्री चन्द्रा पुत्र माना रेगर	१०)	,,
२७.	सूंथड़ा	श्री अमृतलाल पुत्र चन्द्रा भील	११)	,,
		श्री नारायण पुत्र चन्द्रा भील	१५)	,,
२८.	बनेठा	श्री नुरुद्दीन पुत्र सुलतान मुसलमान	३)	,,

1	2	3	4	5
३०.	,,	श्री धन्ना पुत्र रामनाथ बलाई	१।)४	अस्थाई रूप से एक साल के लिए
३१.	,,	जिन्सी पुत्र रामा बलाई	२॥)३	,,
३२.	,,	श्री खांगा पुत्र रामा बलाई		,,
३३.	बनेठा	श्री पांच्या पुत्र काना बलाई	१॥।)४	,,
३४.	,,	श्री निवास	२॥।)	,,
३५.	कल्याणपुरा	श्री प्रहलाद पुत्र बिशना गूजर	६।)	,,
३६.	,,	ओंकार पुत्र गौरीलाल गूजर	७)	,,
३७.	,,	चोथमल पुत्र कंवरीलाल गूजर	८)	,,
			३१७॥।)३	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर देखिये)

विषय	कक्षा ६	७	८	९	१०	११
हिन्दी अ०	फतसराज	फतहराज	प्रभूमल	पी जैन	बानसिंह	भूपतमल
गणित	प्रतापचंद	मुरलीमनोहर	जे. कोठारी	मुरलीमनोहर	मु०मनोहर	मु.मनोहर
अंग्रेजी	जीवनलाल	जीवनलाल	जीवनलाल	हीरामसिंह	हीरामसिह	हीरामसिह
सा० ज्ञान	प्रतापचंद	फतहराज	फतहराज	भवरलाल	भंवरलाल	भवरलाल
सा० विज्ञान	गिरधारीसिंह	गिरधारीसिंह	गिरधारीसिंह	मु०मनोहर	मु०मनोहर	मु०मनोहर
संस्कृत	जीवनलाल	जीवनलाल	जीवनलाल	—	—	—
वाणिज्य	पूनमचंद	पूनमचंद	पूनमचंद	—	—	—

विषय	कक्षा ६	७	८	९	१०	११
क्राफ्ट	प्रतापचन्द	प्रतापचन्द	प्रतापचंद	प्रतापचंद	प्रतापचंद	प्रतापचद
हिन्दी ए०	—	—	—	भभूतमल	कानसिंह	कानसिंह
आ० शास्त्र	—	—	—	—	भभूतमल	भभूतमल
अर्थ शास्त्र	—	—	—	भंवरलाल	भवरलाल	भंवरलाल
इतिहास	—	—	—	भभूतमल	भभूतमल	भभूतमल

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, १२ सितम्बर, १९६१)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२३४	प्रथम	अंक २	अंक १२
,,	७	प्रारम्भ हुई।	प्रारम्भ हुई
२३७	५	के, लिये	के लिये
,,	२४	राजस्थान माद्यमिक	राजस्थान माध्यमिक
,,	२८	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
२३९	१९	श्री दामादरलाल	श्री दामोदरलाल
,,	२५	इन्सपेटेक्टर	इन्सपेक्टर
,,	२७	एग्रीकल्चरट	एग्रीकल्चर
२४१	१८ व ३०	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
२४४	८	तहसीलदार	तहसीलदार
,,	अन्तिम से २	नहीं हुई।	नहीं हुई।
२४९	१२	अलानमेन्ट के	अलाइनमेंट के
२५५	९	प्रशानिक कामों	प्रशासनिक कामों
२५७	८	श्री दामेदरलाल	श्री दामोदरलाल
२६२	१६	रिटायरमेन	रिटायरमेन्ट
,,	१९	लेनी है।	लेनी है?
,,	अन्तिम	बद	बाद
२६३	प्रथम	मैं आपक	मैं आपको
,,	२	इनका जमो	इनका जमा
२६६	अन्तिम	वेन्टोनमेन्ट	केन्टोनमेन्ट
२६९	४	५ वर्प	५ वर्ष
२७०	८–९	का मवेश	का समावेश
२७२	अन्तिम से २	यो ना-काल	योजना-काल
२७५	२०	क बाद	के बाद

१	२	३	४
२७५	२२	समय भी हो	समय हो
२७६	शीर्षक	तारांत	तारांकित
२७८	१४	अव्यस्था होती	अव्यवस्था होती
२७६	६	प्रस्तुत करे	प्रस्तुत करें
,,	१२	रेटस पर	रेट्स पर
२८०	२६	(६) १ अप्रेल	(१) १ अप्रेल
,,	अन्तिम से ३	सर्टीफिकेटस	सर्टीफिकेट्स
२८१	१८	एसेशियलिटी	एसेन्शियलिटी
,,	२५	सर्टीफिकेटस	सर्टीफिकेट्स
,,	२८	एफ/१/४२/	एफ११/४२
२८२	१६	एसेशियलिटी	एसेन्शियलिटी
,,	१६	डेवलमेंट विंग	डेवलपमेंट विंग
२८५	२६	formeda	formed/a
२६२	अन्तिम से २	श्री रिखवचन्द	श्री रिखबचन्द
२६३	६	श्री लादराम	श्री लादूराम
२६४	२५	चर्वेदी	चतुर्वेदी
२६६	१२	सदन के	सदन से
२६८	१०	रखते है	रखते हैं
३००	६	इम्पलमेंट	इम्प्लीमेंट
,,	अंतिम से५-४	एक्ट हो वह चार पेज क है	एक्ट है वह चार पेज का है
३०१	२	खर्च का चिन्ता	खर्च की चिन्ता

१	२	३	४
३०१	११	ther in	therein
३०२	१६	कोरोगेटेट	कोरोगेटेड
,,	२७	कन्सोलिडे टेट	कन्नोलिडेटेड
३०३	१७	पंचवर्षोय	पंचवर्षीय
३०४	शीर्ष	——	(श्री भैरोंसिंह)
,,	४	कांग्रेज के	काँग्रेस के
,,	१३	Organisarion	Organisation
३०५	८	कहना चाहिये	करना चाहिये
,,	२४	of for	or for
,,	२६	o rules	to rules
३०६	प्रथम	चासते हों	चाहते हों
,,	५	किये ह	किये हों
,,	२६	कन्सोलिडेटेट	कन्नोलिडेटेड
,,	३०	इन संस्थाओं	इन संस्थाओं
३०७	२	इन्वोल्ड थे । एक रचनात्नम	इन्वोल्वड थे, एक रचनात्मक
,,	३	इनवोल्क थे	इन्वोल्ड थे
,	१७	दिया वा।	दिया था।
३०८	७	जांच की	जांच की
३१३	१४	को जव वे	जब
३१४	अन्तिम से ५	उनको काश्तकार	काश्तकार
३१५	शीर्षक	विधेयक	विधेयक

१	२	३	४
३१५	१	राजस्थान कीं	राजस्थान की
,,	२१	दिये जान	दिये जावें
३१६	१०	समाजसादी	समाजवादी
,,	२८	जो आर्थिक	जो आर्थिक
३२०	११	डेवलमेंट	डेवलपमेन्ट
,,	१३	के पिटलस्ट	केपिटलिस्ट
३२१	अन्तिम से ७ व ४	केपेटलिस्टों	केपिटलिस्टों
,,	अन्तिम से ३	उद्देश्य	उद्देश्य से
३२२	४	मैं इसका	मैं इसका
३२६	७	निवेतन करूंगा	निवेदन करूंगा
,,	१०	(१. १ म. प.)	(१. १० म. प.)
,,	अन्तिम से ४	मोनोपोल	मोनोपोली
३२७	,,	कन्सेन्ट्रेड	कन्सेन्ट्रेटेड
३२८	२७	कपड़ा के	कपड़ों के
३२९	२	लगान	लगाने
३३०	२३	मैं निसाल	में मिसाल
३३१	४	और दूस	और दूसरी
,,	अन्तिम से ३	क्या दिक्कते	क्या दिक्कतें
३३२	,, ,, ५	लेकिन कानूनी	लेकिन कानूनी
३३४	,, ,, ४	मुझे ऐसा	मुझे ऐसा
३३५	१०	उसका, में	उसका मैं

१	२	३	४
३३५	अन्तिम	विकाल का	विकास की
३३७	अन्तिम से २	वोर्डस हैं,	वोर्डस हैं,
,,	अन्तिम	है क	है कि
,,	२०	समाजयाद का	समाजवाद का
३३६	१६	का हम	को हम
,,	२७	का विकासों	का विकास
३४०	शीर्षक	राजस्थन	राजस्थान
३४३	१५	सार्वजनिकों	सार्वजनिक
३४६	६	कम-काल	काम-काज
,,	२७	मनोवे ज्ञनिक	मनोवैज्ञानिक
,,	२६	अन्देशों	अन्देशों
३४७	१८	राजस्थान	राजस्थान
३४८	शीर्षक	उद्यगों	उद्योगों
,,	७	यिचार	विचार
,,	८	आयश्यकता	आवश्यकता
३४६	७	आ ार	आधार
,,	अन्तिम पंक्ति	लग सर्के	लग सकें
३५०	२१	उदेश्य	उद्देश्य
,,	अन्तिम से ४	मैंस मभता	मैं समझता
३५१	६	जिसफे	जिसके
,,	३०	चासिए	चाहिए

१	२	३	४
३५२--३५३ व ३५४-३५५	शीर्ष	(श्री जनार्दनराय नागर)	(श्री मुरलीधर व्यास)
३५२	अन्तिम से २	नैतिक स्टैट	नैतिक स्टेंट
३५६	अन्तिम पंक्ति	शान्ति में मिला	शांतिमिले
३५७	२७	उह्नोंने	उन्होंने
३५६	१	लादराम	लादूराम
,,	५	व्ययस्था	व्यवस्था
,,	१५	मंत्री महोदय	मंत्री महोदय
,,	२३	व्रह-हरिजन	वह हरिजन
३६०	२६	उद्योग	उद्योग
३६२	२३	occassion	occasion
३६४	८	caunot	cannot
३६५	३७	industeialalists	industrialists
३६६	११	industnials	industrial
३६७	१६	iudustnial	industrial
,,	२०	de centnalation	de-centralisation
,,	२३	Semitis and	Samiti and
,,	अन्तिम से २	mangel ment	management
,,	अन्तिम से १	pnobaby	y
३६८	१	Handcrapts	Handicrafts
,,	६--१०	thene also	there is also
,,	२५	Seand	Board

१	२	३	४
३६६	१६	mnst	must
,,	३२	te two arsess	the two areas
३७०	१६	ha v	have
,,	अन्तिम से ३	agriculrume	agricaltture
३७१	३	reSourees	resources
,,	१४	indstrialise	industrialise
,,	२१	Goverment	Government
,,	२६	Corporation is like the Corporation	Corporation, Like the Corporation
३७२	८	otner	other
,,	३०	उसको	उनको
३७८	३	तो में	तो मैं
,,	१२	इन्डट्रीज	इन्डस्ट्रीज
३८३	२८--२६	जायगी के लेकिन	जायेगी लेकिन
,,	अन्तिमपंक्ति	उद्योग विभाग	उद्योग विभाग के
३८४	२१	अधिक्रतर	अधिकतर
३८५	२	निवेद्स	निवेदन
३८६	७	अपने खिस्को	अपन खिस्कों
३८७	अन्तिम से ३	मूझे	मुझे
३८८	११	कौने का	कोने का
,,	१७	कर्म चारियों	कर्मचारियों
,,	२५	सनाज	समाज
३८६	अन्तिम पंक्ति	हरिजेंन	हरिजनों

१	२	३	४
३६०	२०	उनका	उसका
,,	अन्तिम से ५	उपाध्यन्न :	उपाध्यक्ष :
३६१	१३	राज्यों	राज्यों
,,	२४	जान है	जानी है
३६२	२८	कहीं	कहीं
,,	२६	बांटे	बांट
३६४	२०	उद्योग	उद्योग
३६८	८	वहां	वहां
,,	२१	करें	करें
४०१	१४	संशोवन	संशोधन
४०७	१३	राजथथान	राजस्थान
,,	३०	कामून	कानून
४०८	५	हनारे	हमारे
४०९	१४	he	He
४१०	१६–१७	भ्रज्टाचारी	भ्रष्टाचारी
,,	२५	कर्तध्य	कर्तव्य
४११	२८	एनाउ	एनाउन्स
४१२	३	नजायज	नाजायज
४१३	१८	रोहत	तहत
,,	अन्तिम से २	संक्षेप मैं	संक्षेप में
४१	१४	चल	चला

१	२	३	४
४१५	१२	जावेग	जावेगा
४१६	२६	एस्टेउ	एस्टेट
४१७	३०–३१	मुविधायें मिल	सुविधायें मिलें
,,	अन्तिम से ३	चाहता दूँ	चाहता हूँ
४२०	१७	को	के
४२३	१५	मैं	में
४२७	८	jaid	ai d l
,,	२६–३०	conceru ? Then	concern ? Then
४२८	५	amendnent	amendment
,,	१२	प्रधान	प्रदान
,,	१६		अंग
४२६	२ व १२	Govenment	Government
,,	२३	इडस्ट्री	इन्डस्ट्री
४३०	अन्तिम से २	induatry	industry
,,	अन्तिम पंक्ति	whioh	which
४३२	१५	seetion	section
,,	२२	शर्तीं	शर्तों
४३३	२–३	सहावता किस धिचार	सहायता किस विचार
,,	८	उद्योगीं	उद्योगों
४३५	अन्तिम से ३	अमेंटमेंट	अमेंडमेंट
४३६	५	विंजय	विजय

१	२	३	४
४३६	१०	Chaudra	Chandra
,,	१२	पर्टिक्वुलर	पर्टिक्युलर
४३७	२४	धारीयाल	धारीवाल
४३८	अन्तिम से १	कोटे	कोर्ट
,,	अन्तिम पंक्ति	हीघ सीटते	ही घसीटते
४४१	१०	एसेन्सियलिटी	एसेन्शियलिटी
४४२	शीर्षक	सं	संक्षिप्त विवरण
,,	३	जनुमति	अनुमति
४४३	२	हरिप्रसाद यादय	हरिप्रसाद यादव

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

(१२ सितम्बर ६१)

कॉलम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२३४	१४	श्री भैरोंमिह	श्री भैरोंसिंह
२५०	२७	श्री दामोदरलाल	श्री दामोदरलाल व्यास
३००-३०१	शीर्षक	११ सितम्बर	१२ सितम्बर
३०७	१	श्री भैरोंमिह	श्री भैरोंसिंह
३४०	शीर्षक	६४०	३४०
३६८	४-५ व ६	उतना दूसरी किसी भी जगह नही पनपा है उतना दूसरी किसी भी जगह नही पनपा है	उतना दूसरी किसी भी जगह नहीं पनपा है।
,,	११	गांवों की	गांवों को
३६६	३	उसका से	उसका में
,,	१५	कोशीश	कोशिश
,,	२३	बनाया	बना था
,,	२७	औद्योगोकरण	औद्योगीकरण
४००	१	हम	हम यह
,,	१०-११	यूनटाऐसी परिस्यित	यूनिटाऐसी परिस्थिति
४०१	७	चाहये	चाहिये
,,	२५	हु कि	हूँ कि
,,	अन्तिम से ३	उद्योगीकरण	औद्योगीकरण
४०२	१७	निश्चत	निश्चित
,,	२२	उद्योग	उद्योगों
४०३	३	कनोवृति	मनोवृति
,,	अन्मित से ३	सारा वित	सारा बिल
४३४	शीर्षक	उद्यगों	उद्योगों
४४२	,,	२ सितम्बर	१२ सितम्बर